त्रयोदश माला, खंड 27, अंक 11

सोमवार, 29 जुलाई, 2002

7 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No FB-025
Block 'G'

(खंड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

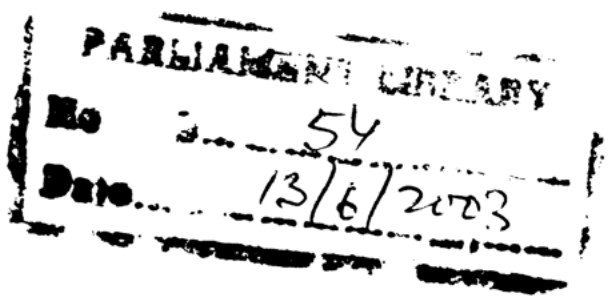

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 29 जुलाई, 2002/7 श्रावण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220	3–33
अतारांकित प्रश्न संख्या 2014 से 2243	33–160

Gazette & Debates
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक सभा

सोमवार, 29 जुलाई, 2002/7 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री कृष्णकांत के दुखद निधन की सूचना देनी है। उनका निधन 75 वर्ष की आयु में 27 जुलाई, 2002 को नई दिल्ली में हृदयगति रुक जाने से हुआ।

श्री कृष्णकांत ने 1997 से मृत्युपर्यन्त उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति के पदों का कार्यभार कुशलतापूर्वक निभाया। राज्य सभा के सभापति के रूप में संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में उनके अनुभव, शांत स्वभाव और मिलनसार व्यवहार ने सभा की चर्चाओं का कुशलतापूर्वक मार्ग निर्देशन करने में सहायता प्रदान की। विनोदपूर्ण टिप्पणियों द्वारा सभा में तनावपूर्ण क्षणों को शांत करने की अद्वितीय शैली तथा अपने उचित और निष्पक्ष व्यवहार से वह संसद के पीठासीन अधिकारियों में एक अत्यन्त प्रतिष्ठित पीठासीन अधिकारी बने।

उनका जन्म 28 फरवरी, 1927 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संसद के सदस्य चुने गए थे और उसकी कैबिनेट के सदस्य भी रहे। वे लाहौर विद्यार्थी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे।

वे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और दो वर्ष के लिए जेल भेजा गया। राजनीति में आने से पूर्व उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी।

1966 से 1977 तक वे हरियाणा से राज्य सभा के सदस्य रहे। 1977 से 1979 तक वे छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने चण्डीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे जल प्रदूषण निवारण विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सभापति थे, 1972 से 1976 तक वे रेलवे आरक्षण और बुकिंग संबंधी समिति के सभापति रहे और विभिन्न अन्य संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने विदेशी मामलों, रक्षा नीति, भूमि और चुनाव सुधारों तथा प्रैस की स्वतंत्रता आदि विषयों पर चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण योगदान किया।

1990 से 1997 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। 1996-97 के दौरान उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला।

श्री कृष्ण कांत के व्यक्तित्व में वैज्ञानिक सूझ-बूझ और आध्यात्मिकता का मणिकांचन योग था। वे विज्ञान और आध्यात्मिकता के एकीकरण के पुरजोर समर्थक थे। वे अखिल भारतीय विज्ञान और अध्यात्म समिति के तथा सर्वसेवा संघ के सदस्य भी रहे। वे भारतीय ससंदीय और वैज्ञानिक समिति के संस्थापक सचिव और उस समिति की पत्रिका ''साइंस इन पार्लियामेंट'' के सम्पादक भी थे। 1968 से 1974 तक वे भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्य रहे और 1978 से 1988 तक रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे।

श्री कृष्णकांत का गांधीवादी मूल्यों में अटूट विश्वास था और वे सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों के समर्थक थे। वे 1976 में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों संबंधी लोक संघ के संस्थापक सचिव रहे। 1990-97 के दौरान इंडियन रेडक्रास (आंध्र प्रदेश शाखा) के अध्यक्ष रहे और 1991 के सर्वेन्ट्स ऑफ द पीपुल्स सोसायटी के अध्यक्ष रहे। भूमि सुधार, कृषि आयोग के कार्यकारी दल के एक सदस्य के रूप में उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले के रूपोली प्रखंड में भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि वितरित करने का कार्य किया। वे अखिल भारतीय लाला लाजपत राय शताब्दी राष्ट्रीय एकीकरण शिविर और पंजाब लाला लाजपत राय शताब्दी शिविर के संयोजक थे। वे जवाहर लाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेन्ट एंड डेवलपमेंट, डा. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल अवार्ड फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग और डा. बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल चेंज के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष रहे। वे भारतीय प्रैस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी चयन समिति और प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति के

अध्यक्ष थे। वे संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के संरक्षक रहे।

श्री कृष्ण कांत की उर्दू शायरी में अत्यन्त रुचि थी। लाहौर में लालन-पालन होने के कारण उन्हें यह शौक विरासत में मिला था। उन्होंने अनेक प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, चुनाव सुधारों, संस्कृति और विज्ञान से संबंधित अनेक लेख लिखे।

श्री कृष्ण कान्त ने 1968 में डाकार, सेनेगल में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की बैठक में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने अनेक देशों की सद्भावना यात्रा की।

श्री कृष्ण कांत के निधन से हमने एक महान सांसद खो दिया तथा इस देश ने एक ऐसे सच्चे गांधीवादी और प्रतिष्ठित विद्वान को खो दिया है जो भारत के सार्वजनिक जीवन का एक बहुत ही सक्रिय और आकर्षक व्यक्तित्व था। उनका अभाव संसद और देश में हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

आज हुई नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्षपीठ से किए गए इस उल्लेख को सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं तथा सम्पूर्ण सभा की ओर से माना जाए। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वैष्णोदेवी जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षा कवच

***201. श्री के. येरननायडू:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में वैष्णोदेवी जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने तीर्थयात्रियों ने वहां की यात्रा की;

(ग) क्या तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) वर्ष 2000 के दौरान जम्मू में वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों को संख्या में वर्ष 1999 की तुलना में वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में तीर्थ यात्रियों की संख्या में कुछ कमी आई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तीर्थ-मन्दिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	तीर्थयात्रियों की संख्या
1999	46,68,340
2000	51,09,575
2001	50,56,919

(ग) जी हां।

(घ) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अवगत कराया है कि न केवल जम्मू प्रांत में बल्कि राज्य में सभी जगह, क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ-साथ स्थायी गार्डों द्वारा सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की पहरेदारी की जाती है।

कटरा से माता वैष्णो देवी के मंदिर तक की सुरक्षा राज्य पुलिस और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है और मंदिर के आस-पास कई सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं।

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु सहायता

***202. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विभिन्न राज्यों में आधार संरचना और पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु किन-किन राज्यों को धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य भी अपने राज्यों में स्थित पर्यटन स्थलों की स्थिति सुधारने हेतु सहयोग देने और सभी सुविधायें देने के लिए सहमत हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास और उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास जैसी नई योजनाओं का प्रस्ताव किया है।

(ग) परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके अभिनिर्धारित की जाएंगी और उनके सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित की जाएंगी।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि पर्यटन परिपथों और गंतव्य स्थलों के एकीकृत विकास के लिए प्रस्ताव भेजें।

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट एलिफेंट

***203. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवैध शिकार के कारण हाथियों की संख्या में बहुत कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाथियों की संख्या को बचाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) देश के उन क्षेत्रों में हाथियों की क्षेत्रवार संख्या कितनी है जहां ''प्रोजैक्ट एलिफेंट'' लागू की गई है;

(घ) क्या देश में हाथियों की संख्या में वृद्धि हेतु कोई प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) हाथी परियोजना देश में हाथियों के वासस्थलों में सुधार तथा हाथियों की सुरक्षा के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार उन राज्यों में हाथियों की संख्या जिनमें हाथी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, निम्नलिखित है:

राज्य	संख्या
आंध्र प्रदेश	73
अरुणाचल प्रदेश	1607
असम	5317
झारखंड	618
कर्नाटक	6088
केरल	5737
मेघालय	1840
नागालैंड	147
उड़ीसा	1827
तमिलनाडु	2971
उत्तरांचल	1507
पश्चिम बंगाल	327

हाथियों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा हेतु उठाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं:

1. भारत सरकार ने जीवनक्षम हाथी रेजों को सुव्यवस्थित और संकेन्द्रित प्रबंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में 25 हाथी आरक्षित क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से अब तक राज्य सरकारों द्वारा 10 हाथी आरक्षित क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है।
2. संवेदनशील क्षेत्रों में वन कर्मचारियों द्वारा सघन पैट्रोलिंग की जाती है। जब कभी आवश्यकता होती है पुलिस से भी सहायता ली जाती है।
3. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत दोषियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई है।
4. गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वन्यजीवों के अवैध शिकार और गैरकानूनी व्यापार को रोकने के

लिए वन विभागों की फील्ड फार्मेसन्स की सहायता करने के लिए लिखा है।

5. भारत के प्रधान मंत्री ने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को वन्यजीवों की सुरक्षा संबंधी तंत्र को मजबूत बनाए जाने के संबंध में पत्र लिखा है।

6. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के संबंध में किए गए उपायों की देखरेख के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार की कई प्रवर्तन एजेंसियों से प्रतिनिधियों वाली एक विशेष समन्वय एवं प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

7. केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के वन विभागों ने अवैध शिकारियों के अंतर्राज्यीय गिरोहों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही के लिए एक क्षेत्रीय समन्वय समिति गठित की है।

8. हाथी दांत के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

9. भारत जंगली वनस्पति जात और प्राणिजात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेशन का हस्ताक्षरकर्ता है जिसमें हाथी दांत तथा अन्य हाथी उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मनाही है।

10. हाथी के अंगों और उत्पादों के सीमापारीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं।

[अनुवाद]

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश में परिवर्तन

***204. श्री महबूब जहेदी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में आठ करोड़ टन से अधिक दुग्ध का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश (एम एंड एम पी ओ) में परिवर्तन के कारण आयातित दुग्ध और दुग्ध उत्पादों से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके कारण सहकारी दुग्ध समितियों के अस्तित्व और दुग्ध उत्पादों की आजीविका को खतरा पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त आदेश में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों से दुग्ध खरीदने संबंधी सरकार का निदेश भी रद्द हो गया है;

(घ) क्या डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा छः श्रेणियों के दुग्ध उत्पादों के बेरोक-टोक आयात से देश में दुग्ध उत्पादन बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की घरेलू सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में किए गए संशोधों का दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात से कोई संबंध नहीं है। दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश मुख्यतया खाद्य सुरक्षा निर्धारित करता है।

(घ) और (ङ) आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय-4 के तहत आने वाले दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की श्रेणी का आयात पशुधन आयात अधिनियम, 1898 द्वारा विनियमित होता है। सरकार ने देश के दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(1) स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण के आयात पर बंधी दर 15 प्रतिशत शुल्क पर सार्वभौमिक आधार पर 10,000 मी. टन की वार्षिक शुल्क दर कोटे के साथ 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है।

(2) सरकार ने बटर आयल पर उत्पाद शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है।

(3) दुग्ध उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों का आयात अब केवल सफाई परमिट पर अनुमत्य है।

[हिन्दी]

उर्वरकों/कीटनाशकों का उपयोग

***205. श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों और कृमिनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले खतरों और भू-जल के इष्टतम उपयोग और उत्पादन बढ़ाने वाले अन्य संसाधनों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए भी कोई संगठित प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) वर्ष 2001-02 के दौरान भारत में उर्वरकों के पौध पोषक तत्वों की औसत खपत मात्र 92 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर रही है। खपत का यह स्तर अत्यधिक नहीं समझा जाता। समेकित कीट प्रबंध के संवर्धन से कीटनाशी दवाओं की खपत भी वर्ष 1994-95 के दौरान 61357 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) से घटकर वर्ष 2000-01 के दौरान 43584 मीटरी टन रह गई है और यह अत्यधिक नहीं समझी जाती। तथापि, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हैं:

(1) लागत प्रभावी तरीके से अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के मृदा-परीक्षण पर आधारित संतुलित एवं समेकित उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(2) देश में उर्वरकों के उपयोग के लिए जैविक कृषि की अवधारणा तथा जैविक खाद, ग्रामीण/शहरी कम्पोस्ट, हरी खाद, जैव-उर्वरकों जैसे पोषक तत्वों वाले जैविक संसाधनों की सहायता से कीटनाशी दवा-मुक्त कृषि प्रणाली और जैव कीटनाशी दवाओं एवं जैव-एजेन्टों आदि सहित खरपतवार/कीटों के नियंत्रण के लिए यांत्रिक/प्राकृतिक साधनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(3) विनियंत्रित फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि इनकी खपत बढ़ाई जा सके और इससे एन.पी.के. की खपत में संतुलन लाया जा सके।

(4) कीटनाशी दवाओं के खतरनाक प्रभावों के बारे में किसानों को जानकारी देने तथा कीटनाशी दवाओं के यांत्रिक, जैविक एवं आवश्यकता आधारित उपयोग का प्रावधान करके कीट प्रबंध पद्धतियों को अपनाने के लिए समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) का संवर्धन किया जा रहा है। किसानों के फील्ड स्कूलों का आयोजन करके किसानों को कीटनाशी दवाओं के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(5) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विभागों कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की संस्थाओं, आदि द्वारा मौसम-पूर्व प्रशिक्षण, क्षेत्र प्रदर्शनों, किसान मेलों आदि जैसे तंत्र के जरिए उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के विवेकपूर्ण और समय पर उपयोग के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(6) चावल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा विविधीकृत कृषि कार्यकलापों को अपने के लिए भूमिगत जल के अनुकूलतम उपयोग हेतु वर्ष 2001-02 के दौरान "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म पर जल प्रबंध" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।

(7) जल के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(8) वर्षा के जल के संरक्षण तथा सतत् एवं लागत प्रभावी तरीके से मृदा एवं जल संसाधनों को अनुकूल बनाने के लिए, वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु समेकित पनधारा विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

विदेशी पर्यटकों के लिए "पैकेज"

***206. श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई पैकेज उपलब्ध हैं। सरकार ने सक्रिय समर्थक सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में यात्रा उद्योग को परामर्श दिया है कि वे भारत में पर्यटन यातायात को और बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज तैयार करें। पर्यटक पैकेजों का विकास एवं विपणन एक हमेशा चलता रहने वाला कार्यकलाप है, जिसे व्यापार तथा उद्योग द्वारा निरंतर चलाया जाता है।

जल क्षेत्र में कुप्रबंधन

***207. श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में दर्शाया है कि जल क्षेत्र में कुप्रबंधन के कारण देश को 74,730 करोड़ रु. का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) इस कारण हो रहे नुकसान के संबंध में क्या आकलन किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ङ) विश्व बैंक ने वर्ष 1999 में प्रकाशित ''इनिशिएटिंग एण्ड सस्टेनिंग वाटर सेक्टर रिफार्म : ए सिन्थिसिस'' नामक अपनी एक रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया था कि देश के जल संसाधनों के प्रबंधन में जल का कुशल प्रबंधन करने के बजाए जल संसाधनों के विकास पर अधिक बल देना, जल संसाधनों के व्यापक बेसिन-वार प्रबंधन की आवश्यकता, सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग का अभाव, जल की गुणवत्ता और मात्रा संबंधी पहलुओं पर ध्यान न देना और अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के आबंटन के विवादास्पद मुद्दों का समाधान न होने जैसी कमियां हैं। इस संबंध में इस रिपोर्ट में जल प्रदूषण, मिट्टी-गुणवत्ता ह्रास और कृषि के वास्ते लिए जाने वाले कम जल शुल्क और विद्युत शुल्क में दी जाने वाली रियासत से होने वाले राजस्व घाटे के संबंध में वित्तीय दृष्टि से निष्क्रिय अनुमानित लागत (इस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ इनेक्शन) का उल्लेख है।

राष्ट्रीय जल नीति, 1987 में देश में जल संसाधनों के विकास को व्यापक रूप से निर्देशित किया गया है। इसमें विश्व बैंक की रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को दूर करने की पहले से ही व्यवस्था है। इस राष्ट्रीय जल नीति में जल संसाधनों के कुशल और सतत विकास, संयुक्त उपयोग के माध्यम से सतही और भूजल के एकीकृत उपयोग, जल की गुणवत्ता सुधार और उसके कुशल उपयोग संबंधी कार्यक्रम के महत्व पर बल दिया गया है। राज्य सरकारें इन नीतिगत प्रावधानों के तहत अपने जल संसाधनों का प्रबंधन कर रही हैं। कृषि संबंधी विकास की आवश्यकताओं तथा सामाजिक-आर्थिक विषमता की संवेदनशीलता/बाध्यताओं ने कृषि और विद्युत क्षेत्र में रियायत देने के लिए राज्यों की इन नीतियों को निर्देशित किया है। इस प्रकार विश्व बैंक की रिपोर्ट में प्राक्कलित उक्त निष्क्रिय लागतों का ठोस आधार नहीं है।

संशोधित राष्ट्रीय जल नीति, 2002 जल संसाधनों के संशोधित और सतत विकास और प्रबंधन के फ्रेमवर्क को और भी व्यापक स्वरूप प्रदान करती है।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित स्मारक

***208. श्री आर.एल. जालप्पा:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) की संरक्षित स्मारकों की सूची के अंतर्गत देश में विशेषकर कर्नाटक और गुजरात में, कुछ और स्थलों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन स्थलों के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान और तत्पश्चात् इन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। कर्नाटक तथा गुजरात सहित देश में केन्द्रीय संरक्षण के लिए प्रस्तावित स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) स्मारकों पर व्यय इनके संरक्षण, परिरक्षण, पर्यावरणीय विकास और साथ ही वहां पर्यटन अनुकूल सुविधाओं की व्यवस्था करने पर किया जाता है किन्तु यह व्यय केवल इन स्मारकों को भारत के राजपत्र में ''केन्द्रीय संरक्षित'' स्मारकों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद ही किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिला	स्मारक/स्थल
1	2	3	4
1.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)		आर्टीलरी भवन
2.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)		किला दीवार, नानी दमन
3.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)		(1) होली जीसस चर्च, मोती दमन (2) चैपल ऑफ अवर लेडी ऑफ रोजरियो, मोती दमन (3) ध्वस्त चर्च, मोती दमन (4) चर्च आफ अवर लेडी ऑफ रेमेडिमोस, मोती दमन
4.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)		दीव स्थित स्मारक फायर मंदिर
5.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)		किला तथा भवन, दीव
6.	गुजरात	कच्छ	धौलावीरा का प्राचीन स्थल
7.	हरियाणा	झज्जर	मकबरों का समूह
8.	हिमाचल प्रदेश	मांडू	महादेव मंदिर, सुंदर नगर
9.	केरल	त्रिसूर	चावल्लूर महादेव मंदिर
10.	केरल	-वही-	रामास्वामी मंदिर, वेल्लारकड
11.	केरल	-वही-	अविट्टातुर शिव मंदिर
12.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	चतुर्भुज नाला स्थित इतिहास पूर्व शैल-चित्र
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल	कमलापति महल
14.	महाराष्ट्र	बुलधाना	धुरा बाराव, सिंधाखादराजा
15.	हिमाचल प्रदेश	चंबा	चम्पावती मंदिर
16.	हिमाचल प्रदेश	लाहौल और स्पीति	तेसी-शू-लिंग, गंधोला मठ
17.	कर्नाटक	हसन	श्री नागेश्वर मंदिर परिसर
18.	कर्नाटक	गुलबर्गा	पुरातात्विक स्थल, बेनागुटी
19.	कर्नाटक	मांडया	लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, श्रीरंगपट्टनम
20.	कर्नाटक	शिमोगा	नरसिम्ह मंदिर, कुडली

1	2	3	4
21.	कर्नाटक	मांडया	वाराहनाथ मंदिर, वाराहनाथ कलहल्ली
22.	कर्नाटक	बेल्लारी	मानवाकृतीय आकृतियां, कुमटी
23.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	थट्टे नाहर, औरंगाबाद
24.	महाराष्ट्र	शोलापुर	हरिहरेश्वर मंदिर
25.	पंजाब	रूपनगर	जमाल खान का मकबरा
26.	तमिलनाडु	नागापट्टिनम	बौद्ध विहार के उत्खनित अवशेष
27.	तमिलनाडु	देवानुर	तिरुनागेश्वर मंदिर
28.	तमिलनाडु	वेल्लौर	सोमनाथेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुमलाइचेरी
29.	त्रिपुरा	दक्षिणी त्रिपुरा	प्राचीन जगन्नाथ मंदिर
30.	त्रिपुरा	-वही-	श्री नारायण मंदिर
31.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	नक्कारखाना
32.	उत्तर प्रदेश	कार्वी	कोठी तालाओ
33.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	मोती झील मस्जिद तथा कब्रिस्तान
34.	राजस्थान	राजसमंद	राक्ता तलाई
35.	राजस्थान	-वही-	हल्दीघाटी
36.	राजस्थान	-वही-	बादशाही बाग
37.	राजस्थान	-वही-	चेतक समाधि
38.	उत्तरांचल	टिहरी	पाताल भुवनेश्वर
39.	असम	कामरूप	हयाग्रिवा महादेव मंदिर
40.	हरियाणा	झज्जर	कब्रे, झज्जर

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

***209. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की बचत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक कुल कितनी किलोमीटर सड़कें लाई गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक के आकलन से पता लगता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के चार लेन का बन जाने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 8000 करोड़ रु. की बचत होगी। सरकार यह लाभ प्राप्त करने के लिए तेजी से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कर रही है।

(ग) इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 58,112 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 13,186 कि.मी. (लगभग) है।

शोर-रोधी कार्यप्रणाली

***210. श्री रघुनाथ झा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि विमानों द्वारा उड़ान भरते समय और उतरते समय शोर-रोधी कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार उनके द्वारा उत्पन्न शोर अनुज्ञेय सीमा से अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या हवाई अड्डों को बस्तियों से दूर बनाने और उड़ान मार्गों को बदलने का कोई प्रस्ताव है जिससे लोग कम से कम प्रभावित हों; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अवैध उड़ानें

***211. योगी आदित्यनाथ:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के भीतर और बाहर कार्गो और अन्य उड़ानों सहित अवैध उड़ानों की घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें लिप्त संचालकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) अवैध उड़ान संचालकों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) हाल ही में पीछे वैध अनुमति के बगैर प्रचालनरत कार्गो उड़ान समेत किसी उड़ान की कोई घटना होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। तथापि, गृह मंत्रालय ने सूचना दी है कि मैसर्स साम एविएशन प्रा.लि. सी.आई.एस. देशों की कार्गो उड़ानों के प्रचालन के लिए डी.जी.सी.ए. से उड़ान क्लियरेंस प्राप्त करती रही है, ऐसा वह विदेश मंत्रालय को कजाखिस्तान दूतावास को फर्जी संतुति-पत्र प्रस्तुत करके करती रही है जिसके लिए कंपनी के जयदीप मीरचन्दानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिराज अमानी, कार्यपालक निदेशक तथा मधुर माइकल, प्रबंधक (प्रचालन) को 18 अप्रैल, 2002 को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए पुलिस थाना, स्पेशल सेल, लोदी कालोनी, नई दिल्ली में आई.पी.सी. की धारा 410/420/468/471/120-बी के अधीन दिनांक 16.4.2002 को एफ.आई.आर. 02/2002 दर्ज कराई गई थी। गृह मंत्रालय ने साम एविएशन प्रा.लि. तथा इसके निदेशकों के संबंध में अपनी सेक्यूरिटी क्लीरेंस भी वापस ले ली है।

[अनुवाद]

बीमे की उच्च प्रीमियम दर

***212. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास फसल बीमा योजना को आरम्भ करते समय 3 प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित की गई थी जो कि बाद में बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत कर दी गई और वर्तमान में यह 9.8 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या उक्त दर को घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कपास सहित वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम की बीमांकिक दरें प्रयोज्य हैं। ये दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तनीय हैं जो मुख्तया विगत में उपज के आंकड़ों में परिवर्तनशीलता की मात्रा पर निर्भर हैं। प्रीमियम की दरों के निर्धारण के लिए, गत दस वर्षों के उपज संबंधी आंकड़ों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) चूंकि प्रीमियम की बीमांकिक दरें क्रियान्वयन एजेंसी जैसे भारतीय साधारण बीमा निगम की सामान्य वितरण/केन्द्रीय सीमा थ्योरम कहलाने वाली मानक प्रणाली के आधार पर आंकी जाती है, अत: प्रीमियम की दरों में मनमानी वृद्धि अथवा कमी करना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

सूखा राहत संहिता

*213. **श्री जयभान सिंह पवैया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किस तिथि को सूखा राहत संहिता लागू की गई थी;

(ख) इसमें अब तक किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संहिता में और संशोधन करने या इसके स्थान पर एक नई संहिता लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) सूखा संहितायें आम तौर से राज्यों के राहत मैन्यूएल्स (पुस्तिका) का ही अंश होती है। कुछ राज्यों में अलग से ''अभाव पुस्तिकाएं'' (स्केयरसिटी मैन्यूएल्स) भी हैं। बहरहाल, सूखा-प्रबंधन के बारे में निर्देश दिया जाना राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है और इसीलिए इस विषय पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई संहिता तैयार नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व विरासत सूची में महाबोधि मंदिर को शामिल करना

*214. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''यूनेस्को'' ने बोधगया स्थित महाबोधि मन्दिर परिसर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके रख-रखाव के लिए प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय अनुदान राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करवाने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) बोध गया स्थित महाबोधि मन्दिर परिसर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। इसका वार्षिक रखरखाव बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति की देख-रेख में किया जाता है जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरचनात्मक मरम्मतों को निक्षेप कार्यों के आधार पर, राज्य सरकार के अनुरोध पर हाथ में लिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत से 16 सांस्कृतिक स्थलों को विश्व दाय सूची में पहले ही अंकित कर लिया गया है, तथा दो और स्थलों को क्रमश: फरवरी, 2002 और फरवरी, 2003 से प्रारंभ होने वाले समय-चक्र की सूची में अंकित किए जाने के वास्ते नामित किया गया है।

स्वायत्त पर्यटन संवर्धन बोर्ड

*215. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन विकास संबंधी कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर एक स्वायत्त पर्यटन संवर्धन बोर्ड (एटीबीपी) का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार इस बोर्ड द्वारा पर्यटन उद्योग को लाभ मिलने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजसहायता प्राप्त फ्लाइंग क्लब

***216. श्री रामदास आठवले:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और अन्य राज्यों में आज की तिथि के अनुसार फ्लाइंग क्लबों के पास कितने विमान/ग्लाइडर्स हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन क्लबों को दी गयी राजसहायता का क्लब-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नागर विमानन निदेशालय द्वारा उक्त प्रत्येक क्लब को प्रदान की गई श्रेणी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) दिल्ली तथा दूसरे राज्यों में फ्लाइंग क्लबों के पास कुल 194 विमान और 39 ग्लाइडर हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान फ्लाइंग क्लबों को मुहैया की गई सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा फ्लाइंग क्लबों की ग्रेडिंग किए जाने संबंधी कोई प्रणाली नहीं है।

(घ) फ्लाइंग क्लबों से पायलटों के प्रशिक्षण तथा सामान्य विमानन को प्रोत्साहित करने के संबंध में सहायता मिली है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों को मुहैया की गई सब्सिडी का ब्यौरा

क्र.सं.	फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों के नाम	नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि [लाख रुपयों में (लगभग)]		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब (दिल्ली)	5.89	1.89	0.12
2.	अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर (पंजाब)	0.46	0.14	शून्य
3.	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	3.29	1.69	शून्य
4.	बाम्बे फ्लाइंग क्लब, मुम्बई (महाराष्ट्र)	0.93	0.45	0.06
5.	गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	शून्य	1.18	1.24
6.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता (प. बंगाल)	शून्य	शून्य	0.2
7.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेन्टर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	5.61	2.61	शून्य
8.	गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ौदा (गुजरात)	0.99	3.35	0.10
9.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, हिसार ब्रांच (हरियाणा)	5.73	5.46	शून्य
10.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल (हरियाणा)			
11.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, पिंजौर ब्रांच (हरियाणा)			

1	2	3	4	5
12.	जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब, बिहार	2.25	शून्य	0.60
13.	केरल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम (केरल)	1.95	0.67	0.10
14.	लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना (पंजाब)	1.81	1.10	शून्य
15.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर (मध्य प्रदेश)+ भोपाल में एक ब्रांच	5.16	5.35	0.84
16.	मद्रास फ्लाइंग क्लब, चेन्नई (तमिलनाडु)	1.67	2.04	0.03
17.	नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर कैंट (पंजाब)	4.05	2.62	शून्य
18.	पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला (पंजाब)	2.70	1.66	शून्य
19.	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर (राजस्थान)	2.04	2.35	0.22
	कुल	44.53	32.56	03.33

[अनुवाद]

फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान

***217. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कितने फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन संस्थानों की भूमिका क्या है;

(ग) इन संस्थानों में से प्रत्येक संस्थान द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान किसानों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन संस्थानों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों को दिए गए इस प्रकार के प्रशिक्षण की उपयोगिता के बारे में कोई प्रतिपुष्टि (फीड बैक) प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफ.एम.टी. एण्ड टी.आई.) बुदनी, जिला शेहोर (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गार्लेदिन्ने जिला अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) और विश्वनाथ चारिआली, जिला सोनितपुर (असम) में चल रहे हैं।

(ख) इन फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों के कार्य हैं:

(1) फार्म मशीनरी के चयन, प्रचालन, रख-रखाव, मरम्मत और प्रबंधन के लिए मानव संसाधनों का विकास करना; और

(2) फार्म मशीनों का परीक्षण करना और उनके कार्य-निष्पादन का आकलन करना जिससे कि उनके निष्पादन की विशेषताओं का पता चल सके और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किसानों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

संस्थान	प्रशिक्षित किसानों की संख्या
बुदनी	934
हिसार	448
गार्लेदिन्ने	477
विश्वनाथ चरिआली	363

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान 631 लाख रुपये का खर्च किया गया।

(ङ) और (च) जी हां। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा 1987 में एक अध्ययन किया गया था। प्रशिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित ''फीड बैक'' संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। विभाग ने सितम्बर, 2000 में अपने कृषि-अर्थ अनुसंधान केन्द्रों को एक दूसरा अध्ययन करने का कार्य भी सौंपा है। प्राप्त अंतरिम रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा कृषि उपकरणों के बेहतर ढंग से प्रयोग के सक्षम बनने के साथ-साथ उनकी कार्य कुशलता और आय में भी सुधार आया है।

विवरण

प्रभावशीलता संबंधी उपाय

	बुदनी		हिसार	
	प्रशिक्षित कर्मचारी	अप्रशिक्षित कर्मचारी	प्रशिक्षित कर्मचारी	अप्रशिक्षित कर्मचारी
1. बैटरी प्रतिस्थापन की औसत अवधि (वर्ष)	5	2.3	2.9	2.3
2. टायर प्रतिस्थापन की औसत अवधि (वर्ष)	4	3.3	3.7	3
3. इंजन के ओवरहालिंग की औसत अवधि (वर्ष)	5.3	4.4	5.3	4.1
4. ट्रैक्टरों और उपकरणों से होने वाली कम से कम एक बड़ी दुर्घटना के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले प्रतिवादियों का अनुपात (%)	2	10	0	0
5. प्रतिवादियों का अनुपात, जो				
-स्वयं रोजमर्रा की सर्विसिंग करते हों (%)	15	9	18	14
-स्वयं थोड़ा-बहुत मरम्मत कार्य करते हों (%)	7	0	0	0

''ओजोन'' को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का प्रभाव

***218. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन तत्व के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (टी. आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) के हानिकारक

प्रभावों संबंधी अध्ययन 1970 के दशक के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में शुरू हुआ तथा केलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मोलिना और रोलैंड जैसे अनेक बड़े वैज्ञानिकों और लवलॉक तथा ''नासा'' के वैज्ञानिकों ने निष्कर्षात्मक तौर पर सिद्ध किया है कि सी.एफ.सी. वास्तव में ओजोन परत के लिए हानिकारक है।

(ग) सरकार ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से ओजोन की परत की सुरक्षा हेतु कई कदम उठाये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सरकार ने ओजोन ह्रास पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने वाली परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सामग्री पर सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की है और ओजोन कम न करने वाले पदार्थों की प्रौद्योगिकियों पर नए निवेश किए हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों को ओजोन ह्रास पदार्थ प्रौद्योगिकी वाली नई स्थापनाओं को वित्त प्रदान न करने के निर्देश जारी किए हैं।

(3) ओजोन ह्रास पदार्थों के आयात और निर्यात को नियमित करने के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था अपनाई गई है।

(4) गैर पक्षकार देशों के साथ ओजोन ह्रास पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(5) ओजोन ह्रास पदार्थ (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 अधिसूचित किए गए हैं जो कि विभिन्न ओजोन ह्रास पदार्थों के उत्पादन, व्यापार, आयात और निर्यात को नियमित करने के अलावा उनको चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हैं।

(6) भारत ने ओजोन ह्रास पदार्थों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजनाएं शुरू करने के लिए अभी तक 76.14 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्पादन को चरणबद्ध क्रमिक रूप से समाप्त करने की क्षतिपूर्ति के रूप में मान्ट्रियल प्रोटोकोल के बहुपक्षीय कोष द्वारा 80 मिलियन अमरीकी डालर अनुमोदित किए गए हैं।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों की स्थापना

*219. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से जून 2002 की समाप्ति तक राज्यवार कितने कुटीर उद्योग की इकाइयां स्थापित हुई;

(घ) इन इकाइयों में राज्यवार कितने लोग कार्यरत हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार राज्यवार रुग्ण कुटीर उद्योगों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान इनके पुनरुद्धार के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योगों आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामोद्योगों, जिसमें कुटीर उद्योग शामिल है, के विकास हेतु देश भर में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, के.वी.आई.सी., 25-30 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 25 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजना जारी रखी जा सकती है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए, सरकार द्वारा 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की गई थी, जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत है। इस पैकेज में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प एवं विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.), खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग एवं डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग और कलस्टर विकास आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) 30.6.2002 तक आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत कुटीर उद्योगों में वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत रोजगार संबंधी ब्यौरा विवरण-I और II पर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए रोजगार संबंधी आंकड़े संकलन के अंतर्गत हैं।

(ङ) के.वी.आई.सी. इस प्रकार के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु प्रौद्योगिकीय, प्रशिक्षण और विपणन सहयोग के रूप में सहायता के

अतिरिक्त मार्जिन मनी के रूप में एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वैयक्तिक इकाइयों के प्रचालन के संबंध में सूचना केन्द्रीय तौर पर तैयार नहीं की जाती है। घाटा उठा रही इकाइयों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं है।

विवरण I

30.6.2002 की स्थिति के अनुसार आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत राज्यवार वित्त पोषित परियोजनाएं अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9958
2.	अरुणाचल प्रदेश	317
3.	असम	425
4.	बिहार	545
5.	गोवा	1931
6.	गुजरात	685
7.	हरियाणा	3509
8.	हिमाचल प्रदेश	1068
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5754
10.	कर्नाटक	10413
11.	केरल	5592
12.	मध्य प्रदेश	16780
13.	महाराष्ट्र	16805
14.	मणिपुर	623
15.	मेघालय	2784
16.	मिजोरम	734
17.	नागालैंड	4665
18.	उड़ीसा	1467
19.	पंजाब	7363
20.	राजस्थान	20365
21.	सिक्किम	20
22.	तमिलनाडु	3492
23.	त्रिपुरा	48
24.	उत्तर प्रदेश	11710
25.	पश्चिम बंगाल	11441
26.	अंदमान और निकोबार	162
27.	चंडीगढ़	139
28.	दादरा और नागर हवेली	8
29.	दमन और दीव	0
30.	दिल्ली	203
31.	लक्षद्वीप	01
32.	पांडिचेरी	899
33.	छत्तीसगढ़	200
34.	झारखंड	218
35.	उत्तरांचल	361
	कुल	140685

विवरण II

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत राज्यवार रोजगार (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	105293
2.	अरुणाचल प्रदेश	2904
3.	असम	4743
4.	बिहार	4288
5.	गोवा	18699
6.	गुजरात	6180

1	2	3
7.	हरियाणा	44261
8.	हिमाचल प्रदेश	19021
9.	जम्मू एवं कश्मीर	53550
10.	कर्नाटक	102444
11.	केरल	66240
12.	मध्य प्रदेश	165741
13.	महाराष्ट्र	162099
14.	मणिपुर	5658
15.	मेघालय	25426
16.	मिजोरम	6808
17.	नागालैंड	44143
18.	उड़ीसा	12744
19.	पंजाब	84153
20.	राजस्थान	206848
21.	सिक्किम	219
22.	तमिलनाडु	48385
23.	त्रिपुरा	922
24.	उत्तर प्रदेश	132683
25.	पश्चिम बंगाल	93319
26.	अंदमान और निकोबार	1365
27.	चंडीगढ़	1684
28.	दादरा और नागर हवेली	82
29.	दिल्ली	1837
30.	पांडिचेरी	8212
31.	छत्तीसगढ़	5104
32.	झारखंड	1364
33.	उत्तरांचल	5663
	कुल	1442128

एन.बी.: बैंकों, राज्य बोर्डों एवं सी.बी.सी. (एम.एम.) के माध्यम से शामिल हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल एवं विघटनीय प्लास्टिक को बढ़ावा

***220. श्री पी.आर. किन्डिया:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल एवं विघटनीय प्लास्टिक को बढ़ावा देने संबंधी एक नए प्रोटोकोल के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल एवं विघटनीय प्लास्टिक को भारतीय बाजार में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत में जैव-विघटनीय प्लास्टिक की प्रौद्योगिकी की स्थिति एवं संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. विघटनीय प्लास्टिक को नीति समर्थन दिया जाए।
2. जैव विघटनीय प्लास्टिक के लिए मानक तैयार किए जाएं।
3. जैव-विघटनीय प्लास्टिक के उत्पादन के लिए सरकारी-निजी भागीदारी स्थापित की जाए।

इसके अतिरिक्त प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान पर गठित समिति ने सिफारिश की है कि विघटनीय/जैव विघटनीय प्लास्टिक के साथ गैर प्लास्टिक विकल्प के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) प्लास्टिक प्रदूषण निवारण के लिए ''पुन: चक्रण प्लास्टिक निर्माण एवं प्रयोग नियमावली, 1999'' नामक एक नियमावली अधिसूचित की गई थी जिसमें सामान ढोने वाले थैलों के लिए मोटाई कम से कम 20 माइक्रोन निर्धारित की गई है और खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग एवं वितरण के लिए पुन: चक्रित प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ऊपर उल्लिखित नियमों के संशोधन की एक प्रारूप अधिसूचना, जिसमें अन्य बातों के साथ ही साथ 8 × 12 इंच से कम आकार के सामान ढोने वाले थैलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाए जाने को भी 1 जुलाई, 2002 को अधिसूचित किया गया है।

[हिन्दी]

जालना में ऐतिहासिक स्मारक

2014. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जालना जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के संरक्षण में कितने ऐतिहासिक स्मारक/संग्रहालय हैं;

(ख) क्या उक्त स्मारकों/संग्रहालयों का रख-रखाव उचित रूप से किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भोकरदन में अवशेषों के साथ केवल एक पुरातात्विक उत्खनित स्थल को जिला जालना में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। यह स्थल स्वीकृत पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार भली-भांति परिरक्षित एवं अनुरक्षित है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजसहायता/अनुदान का भुगतान न किया जाना

2015. श्री टी. गोविन्दन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग से पूरे देश में फैली अपनी शाखाओं/इकाइयों को राजसहायता/अनुदान का भुगतान न किए जाने/प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ग) सरकार को खादी संस्थानों इत्यादि से खादी और ग्रामोद्योग आयोग से छूट के मद्दे खादी अनुदान की गैर-अदायगी तथा विलंबित अदायगी के संबंध में अभ्यावेदन पाक्षिक तौर पर प्राप्त हो रहे हैं। इन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को उपचारिक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिया जाता है। अदायगी में विलम्ब सामान्यत: दावे में कमी होने के कारण होता है, तथापि कभी-कभी विलम्ब छूट अदायगी की केन्द्रीयकृत निकासी की वजह से भी होता है। अब अदायगियों को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता है ताकि के.वी.आई.सी. में विलम्बों से बचा जा सके।

श्रम उत्पादकता

2016. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और अन्य विकासशील देशों में सम्पूर्ण उत्पादकता मूल्य की तुलना में, प्रति श्रमिक प्रति घंटा श्रम-उत्पादकता के मूल्यांकन का देश-वार प्रतिशत कितना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): भारत तथा अन्य विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति प्रति घंटा श्रम उत्पादकता तथा प्रति व्यक्ति प्रति घंटा समग्र उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है। सांख्यिकी वर्ल्ड कम्पीटेटिव इयर बुक, 2001 पर आधारित है।

देश	प्रति व्यक्ति प्रति घंटा श्रम उत्पादकता	प्रति व्यक्ति प्रति घंटा समग्र उत्पादकता	प्रतिशत
भारत	$2.42	$5.45	44
इंडोनेशिया	$3.14	$6.66	47
चीन	$3.47	$6.88	50
फिलीपिन्स	$4.94	$10.69	46
थाईलैंड	$5.59	$11.69	48
मैक्सिको	$8.66	$20.51	42

पिलाक के लिए तकनीकी परामर्श

2017. **श्री खगेन दास:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विश्व बौद्ध विरासत ग्राम के रूप में पिलाक को विकसित करने हेतु तकनीकी परामर्श परियोजना के वित्तपोषण हेतु त्रिपुरा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ धनराशि प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-152 का दोहरीकरण

2018. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोहरी लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में पाठसाला-नाम लांग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 के निर्माण हेतु मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) पाठसाला-नाम लांग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-152 की कुल 30 कि.मी. लंबाई में से 0-3 कि.मी. खंड को चौड़ा करने के लिए 274.34 लाख रु. की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और यह कार्य प्रगति पर है। 3 से 10 कि.मी. तक के खंड को चौड़ा करने का कार्य वार्षिक योजना 2002-03 में शामिल किया गया है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार पर बल दिया जा रहा है। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार पूरा कर लिए जाने के पश्चात् शेष खंडों को चौड़ा करने पर विचार किया जाएगा।

अपव्यय

2019. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने मंत्रालय/विभाग के ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां अत्यधिक अपव्यय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें कितने अपव्यय का पता चला है; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे व्यय को कम करने/बंद करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (घ) अपव्यय को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को सादगी बरतने के लिए अनुदेश जारी किये जाते हैं। सादगी उपायों में पदों के सृजन पर रोक लगाना, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी करना, रिक्त पदों के भरने पर प्रतिबंध लगाना, कार्यालय व्यय में कमी करना, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाना, विदेश यात्रा तथा मनोरंजन/आतिथ्य खर्चों पर प्रतिबंध लगाना, विदेश यात्रा के लिए दैनिक भत्ते में कमी करना, आदि शामिल हैं।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुदेशों का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय इस संबंध में व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) की सिफारिशों से भी सहमत है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में 853 पद तथा कॅयर बोर्ड में 58 पद पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं।

केरल में नए पुल का निर्माण

2020. **श्री वी.एम. सुधीरन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत केरल के थोट्टापल्ली नामक स्थान में नए पुल के निर्माण की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत थोट्टापल्ली नामक स्थान पर नए पुल के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य पार्कों की स्थापना

2021. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य पार्कों के चयन और उनकी स्थापना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा उनकी मुख्य विशेषताएं और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में स्थापित किए गए खाद्य पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में जालना जिले को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं को बिजली की लगातार आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, शीतागार/बर्फ संयंत्र/भंडागार सुविधाओं, बहिस्राव उपचार संयंत्र, गुणवत्ता नियंत्रण और विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला जैसी सामान्य सुविधाओं और फल सन्द्रण/गूदा बनाने वाली यूनिट आदि जैसी प्रमुख प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन के वास्ते सहायता अनुदान के रूप में 400 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्कीम के उद्देश्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लाभ के वास्ते सामान्य सुविधाओं का सृजन करने में सहायता देना और इसके द्वारा सामान्य सुविधाओं की लागत की अदायगी कर प्रसंस्करण यूनिटों की व्यवहार्यता को बेहतर बनाने में उनकी सहायता करना शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य पार्कों की स्थापना संबंधी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करता है जो सभी मायनों में संपूर्ण हो, स्थापित प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता वाले तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकित हों। जालना जिले में खाद्य पार्क की स्थापना के वास्ते कोई प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

विभिन्न राज्यों में खाद्य पार्कों की स्थापना के वास्ते वित्तीय सहायता के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अभी तक 29 प्रस्तावों—मध्य प्रदेश में चार, उत्तर प्रदेश में तीन, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल में दो-दो और आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा में एक-एक को अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23

2022. श्री राम टहल चौधरी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदार द्वारा बरती गई अनियमितता के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23 के रांची-गुमला खंड की स्थिति में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध और उक्त राजमार्गों के मरम्मत हेतु क्या कार्रवाई की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 के रांची-गुमला खंड के 52 से 75 कि.मी. तक सड़क की स्थिति में ठेकेदार द्वारा कार्य में सुधार/मरम्मत न करने के कारण खराबी आई है।

(ख) मंत्रालय ने राज्य सरकार को निदेश जारी किए हैं कि वह ठेका करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करे और उस ठेकेदार के खर्च पर सड़क की मरम्मत/सुधार करवाए।

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण

2023. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के पास कुल कितने पोत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनकी मरम्मत पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन पोतों को समुद्र पर कार्य के लिए अयोग्य घोषित करने और उनके स्थान पर नए पोत लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो नए पोतों को कब तक खरीदे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) इस समय भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पास 15 मत्स्यन यान हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के मत्स्यन यानों की मरम्मत पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	किया गया व्यय
1999-2000	1,07,07,638 रुपए
2000-2001	6,42,28,410 रुपए
2001-2002	4,20,45,980 रुपए

(ग) से (ङ) 1979 तथा 1981 में निर्मित दो यानों को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। बंद करने के लिए प्रस्तावित दो यानों को बदलने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। दो मत्स्यन यानों की खरीद के लिए वैश्विक निविदायें आमंत्रित की गई हैं। इन दो मत्स्यन यानों को 2003-2004 के वित्त वर्ष के अंत तक प्राप्त किए जाने की उम्मीद है।

श्रम विवादों के लंबित मामले

2024. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर बिहार की श्रम अदालतों और उच्च न्यायालय में श्रम विवादों के कितने मामले लंबित और विचाराधीन हैं;

(ख) बिहार में पीठासीन न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, देश में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में श्रम विवादों के 11,550 मामले लंबित हैं। बिहार राज्य में कोई केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय नहीं है। राज्य श्रम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों से संबंधित सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग

2025. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में उन राजमार्गों के नाम क्या हैं जिनके चौड़ीकरण, विस्तार एवं मरम्मत का कार्य फरवरी, 1997 से आज तक शुरू किया गया है और राज्य से गुजरने वाले अन्य राजमार्गों पर कब से यह कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) रा.रा. 1-ए को पंजाब/जम्मू और कश्मीर सीमा से श्रीनगर तक चार लेन का बनाना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण महामार्ग का हिस्सा है। 84 करोड़ रु. की लागत से पठानकोट-जम्मू खंड को 80 से 97.2 कि.मी. तक चार लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है। शेष खंड के लिए परियोजना तैयार की जा रही है। इसकी लागत का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। संपूर्ण उत्तर-दक्षिण महामार्ग तथा जम्मू और कश्मीर में खंड को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

जम्मू कश्मीर में दो अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् रा.रा. 1-बी बटोट-खानाबल और रा.रा. 1-सी दोमेल-कटरा को दो लेन का बनाने का कार्य चालू वित्त वर्ष में शुरू हो जाने की संभावना है और इन पर अनुमानित व्यय क्रमश: 300 करोड़ रु. और 20 करोड़ रु. है।

इन राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है।

पर्यटकों का आगमन

2026. श्री शिवाजी माने:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने विदेशी/घरेलू पर्यटक भ्रमण के लिए आये?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के भ्रमण की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भ्रमण की संख्या					
	1999		2000		2001	
	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	42316882	86310	47998204	78713	52533647	67147
अरुणाचल प्रदेश	1008	48	9932	2044	6349	323
असम	14336	604	891433	5954	1010651	6171
बिहार	8932921	76389	5520589	73321	6061168	85673
गोआ	960114	284298	976804	291709	1047342	260071
गुजरात	11533087	56337	11408281	31748	8272969	30930
हरियाणा	243052	1608	260442	1113	276287	898
हिमाचल प्रदेश	4352863	91445	4571129	111191	5211772	135760
जम्मू एवं कश्मीर	4984773	26799	5393463	19400	5246948	21298
कर्नाटक	15902666	229720	18000000	208000	14117464	140703
केरल	4888287	202173	5013221	209933	5240009	208830
मध्य प्रदेश	4259086	118391	4796133	111036	5048851	107824
महाराष्ट्र*	7542871	1033816	8297158	1075169	8479695	915399
मणिपुर	97523	277	105167	429	76527	183
मेघालय	159730	1971	169929	2327	178697	2390
मिजोरम	27139	216	28221	235	28771	152
नागालैण्ड	21041	119	13272	451	9948	920
उड़ीसा	2691841	25758	2888392	23723	3109976	22854
पंजाब	232424	6387	385682	3854	474305	3258
राजस्थान	6675528	562685	7374391	623100	7757217	608283
सिक्किम	138785	8554	143105	10409	203306	31028

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	21097141	722442	22982262	785876	23812043	773073
त्रिपुरा	246507	335	231902	0	254912	0
उत्तरांचल	–	–	–	–	9551669	44429
उत्तर प्रदेश	45723700	822150	64830000	848000	68071000	795000
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
झारखण्ड	–	–	–	–	353177	2979
पश्चिम बंगाल	4699187	198711	4737112	197061	4943097	284092
अंदमान एवं निकोबार	77448	6035	85300	3156	84064	5539
चण्डीगढ़	436350	11478	486355	14612	482133	15203
दमन एवं दीव	67429	8010	74172	8330	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
दिल्ली*	1571726	1225170	1497890	1127950	1323636	830092
दादरा और नागर हवेली	445464	245	408639	223	452000	400
लक्षद्वीप	1927	924	1087	597	3501	650
पांडिचेरी	346178	22700	527274	23878	476804	22115
जोड़	190671014	5832105	220106941	5893542	234200935	5423667

*अनुमानित।

राजस्थान में पर्यटकों का उत्पीड़न

2027. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान के विभिन्न भागों में पर्यटकों के उत्पीड़न, धोखाधड़ी और हत्या की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और उसके बाद इन अपराधों में गिरफ्तार/शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा करना मुख्यतया राज्य सरकारों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जयपुर में पर्यटक स्थलों पर सामान्य पुलिस बल के अलावा, पर्यटक पुलिस बल तैनात किया है। पर्यटन मंत्रालय ने नवम्बर, 2001 में अपने शिकायत कक्ष की पुन: स्थापना की है और महानिदेशक का कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इसकी निरन्तर मॉनिटरिंग कर रहा है। अब तक, 12 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से तीन का पहले ही निवारण किया जा चुका है और अन्य जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, भारत पर्यटन, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर, पर्यटकों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए राजस्थान राज्य सरकार के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

आम से गूदा निकालने वाले उद्योगों की स्थापना

2028. श्री रामानन्द सिंह: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में प्रचुर मात्रा में आम उगाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सतना, रीवा, पन्ना, कटनी, सिद्दी और शहडोल जिलों में आम से गूदा निकालने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु कोई सिफारिशें की हैं या केन्द्र सरकार के साथ परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन जिलों में ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2000-2001 के दौरान आम की 75,150 मीट्रिक टन उपज हुई।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र, जिमसें आम के गूदे पर आधारित उद्योग शामिल हैं, के विकास के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, मानव संसाधन विकास संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता देता है। मंत्रालय की स्कीमें परियोजना-प्रधान हैं, राज्य-प्रधान नहीं।

[अनुवाद]

मुम्बई (मध्य वैतर्ण) जलापूर्ति परियोजना

2029. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई (मध्य वैतर्ण) जलापूर्ति परियोजना को महाराष्ट्र द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूकंप वैज्ञानिकों द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन व्यवहार्य बताया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन, अध्ययन और लागत आकलन भी कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। म्युनिसीपल कारपोरेशन आफ ग्रेटर बम्बई (अब म्युनिर्सीपल कारपोरेशन आफ बृहन मुंबई) ने केन्द्रीय जल आयोग को सितम्बर, 1993 के दौरान बांध निर्माण और बचाव के संबंध में तकनीकी जांच के लिए मध्य वैतरन बांध परियोजना के निर्माण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय जल आयोग ने बांध की सिधाई और स्लिपवे का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) और (घ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय में परियोजना की जांच की गई थी और परियोजना प्राधिकारियों को तांसा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर परिकल्पित कार्यों, जलगुणता और उपचारात्मक उपायों आदि संबंधी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी, जिसकी अभी प्रतीक्षा है। सामान्यतया परियोजना पर निर्णय पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर ले लिया जाता है।

त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कार्गो भाड़ा

2030. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोच्ची, कोझीकोड विमानपत्तनों के कार्गो केन्द्रों की तुलना में त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर खाड़ी क्षेत्र के लिए कार्गो भाड़ा ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाड़ी क्षेत्र के लिए त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कार्गो शुल्क में इस असमानता को दूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम, कोच्चि तथा कोझीकोड हवाई अड्डों से विभिन्न खाड़ी सेक्टरों के लिए कार्गो दरें दुबई और शारजाह के अलावा वही हैं। ये दरें मुख्यत: मार्केट रुझान पर होती हैं जो कार्गो क्षमता, स्थान की उपलब्धता तथा स्पर्द्धाकर्त्ताओं आदि द्वारा पेशकश की गई दरों जैसे कारकों पर आधारित होती हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन इकाई का स्थानांतरण

2031. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रीगंगानगर स्थित केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन इकाई को सिरसा (हरियाणा) स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने सी आई आर सी ओ टी हेतु गठित पंचवर्षीय पुनरीक्षा दल (क्यू.आर.टी.) की सिफारिश पर केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी आई आर सी ओ टी) की क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन इकाइयों (पहले कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला) जो श्रीगंगानगर, लुधियाना और हिसार में स्थित थी, को बंद कर दिया है और सिरसा इकाई को कायम रखते हुए सुदृढ़ किया गया है तथा इसे गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु उच्च क्षमता वाले जांच उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) 1986-1996 की अवधि के लिए संस्थान के कार्य की लेखा परीक्षा हेतु सी आई आर सी ओ टी के लिए नियुक्त पंचवर्षीय पुनरीक्षा दल ने अन्य बातों के अंतर्गत फेजिंग आउट/सी आई आर सी ओ टी के क्षेत्रीय एककों को कम करने की सिफारिश की थी। इस मामले में क्यू आर टी ने सिफारिश की है कि उत्तरी अंचल के चार क्षेत्रीय एकक लुधियाना, हिसार, श्रीगंगानगर और सिरसा में स्थित हैं, में से केवल सिरसा स्थित एक ही इकाई को रहने दिया जाए।

भा.कृ.अ.प. ने शासी निकाय के अनुमोदन के बाद ही क्यू आर टी की सिफारिश को लागू किया। हिसार और लुधियाना केन्द्रों को 01.06.2002 से बंद किया गया और वहां कार्यरत लोगों तथा सामग्री को सिरसा केन्द्र में स्थानांतरित किया गया।

उत्तरी अंचल के उत्पादकों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस ए यू) के अन्य कपास वैज्ञानिकों ने सी आई आर सी ओ टी यूनिट को केवल सिरसा में रखने पर सहमति व्यक्त की।

सिरसा स्थित सी आई आर सी ओ टी इकाई को सुदृढ़ किया गया है और आधुनिक परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जैसे उच्च वाल्यूम उपस्कर, ट्रेश सेपरेटर इत्यादि और बेहतर संचार सुविधाएं जैसे फैक्स इत्यादि। अब यह इकाई अधिक संख्या में कपास के नमूनों को हैंडल करने में सक्षम होगी जितने कि पहले तीनों केन्द्रों द्वारा किये जाते थे। इस प्रकार अब सिरसा केन्द्र उत्तरी अंचल के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों यथा पी ए यू लुधियाना, आर ए यू बीकानेर और एच ए यू हिसार को सेवा उपलब्ध कराएगा। इन सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को इस आशय का आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय

2032. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने विद्यार्थियों और ग्रामीण जनता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय/क्षेत्रीय और जिला स्तर पर कई विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक खोले गए ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों को खोलने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) ऐसे केन्द्रों को खोलने में राज्य सरकारों द्वारा क्या भूमिका निभाए जाने की संभावना है; और

(ङ) केन्द्र और राज्य के बीच पूंजी व्यय भागीदारी अनुपात क्या है और ऐसे केन्द्रों को खोलने में कितनी लागत आने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एन सी एस एम) ने नगरों, शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा विशेषत: विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुझान और अन्वेषणात्मक तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति पैदा करने के लिए देश में छ: राष्ट्रीय स्तर के, आठ क्षेत्रीय स्तर के तथा बारह जिला/उप क्षेत्रीय स्तर के विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) किसी राज्य में विज्ञान केन्द्र के विकास की पहल, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के अनुरोध पर एन सी एस एम, परियोजना की लागत तथा राज्य सरकार से प्रत्याशित प्रतिबद्धता दर्शाने वाला एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करता है। राज्य सरकार से आवश्यक प्रतिबद्धता की पुष्टि होने के बाद, भारत सरकार द्वारा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	संग्रहालय/केन्द्र का नाम	स्तर
1.	बिरला इण्डस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजीकल म्यूजियम (बीआईटीएम), कोलकाता	राष्ट्रीय
2.	विश्वेश्वरया इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नो. म्यूजियम (बीआईटीएम), बेंगलूर	राष्ट्रीय
3.	नेहरू विज्ञान केन्द्र (एनएससी), मुंबई	राष्ट्रीय
4.	राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (एनएससी), दिल्ली	राष्ट्रीय
5.	सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लैबोरेटरी (सीआरटीएल), कोलकाता	राष्ट्रीय
6.	साइंस सिटी, कोलकाता	राष्ट्रीय
7.	श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना	क्षेत्रीय
8.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय
9.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी	क्षेत्रीय
10.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ	क्षेत्रीय
11.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भोपाल	क्षेत्रीय
12.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, तिरुपति	क्षेत्रीय
13.	रमण विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, नागपुर	क्षेत्रीय
14.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं तारामंडल, कालीकट	क्षेत्रीय
15.	नार्थ बंगाल विज्ञान केन्द्र, सिलीगुड़ी	उप-क्षेत्रीय
16.	कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर, कुरुक्षेत्र	उप-क्षेत्रीय
17.	जिला विज्ञान केन्द्र, धरमपुर	उप-क्षेत्रीय
18.	जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्ग	उप-क्षेत्रीय
19.	जिला विज्ञान केन्द्र, तिरुनेलवेली	उप-क्षेत्रीय
20.	जिला विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया	उप-क्षेत्रीय
21.	उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, बर्दवान	उप-क्षेत्रीय
22.	उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, धेनकनाल	उप-क्षेत्रीय
23.	दिघा विज्ञान केन्द्र एवं राष्ट्रीय विज्ञान शिविर, दिघा	उप-क्षेत्रीय
24.	कपीलास विज्ञान पार्क, कपीलास	उप-क्षेत्रीय
25.	गोवा विज्ञान केन्द्र, गोवा	उप-क्षेत्रीय
26.	साइंस एक्टिविटी कॉर्नर, ग्वालियर	उप-क्षेत्रीय

विवरण II

राज्य सरकार को उपयुक्त भू-खंड मुफ्त उपलब्ध कराना होता है। क्षेत्रीय स्तर के विज्ञान केन्द्र के लिए 10 एकड़ भूमि जबकि उप क्षेत्रीय या जिला स्तर के विज्ञान केन्द्र के लिए 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उत्तर पूर्व तथा द्वीप समूह क्षेत्र की राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों को विज्ञान केन्द्र के विकास पर होने वाले पूंजीगत व्यय में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी वहन करनी होती है। उत्तर-पूर्व तथा द्वीप समूह क्षेत्र की राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय का 10 प्रतिशत भाग देना होता है। संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र को विज्ञान केन्द्र के शुरू होने के बाद उसे अपने अधिकार में लेने, उसके संचालन तथा अनुरक्षण की सहमति भी देनी होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को विज्ञान केन्द्र के संचालन तथा अनुरक्षण की आवर्ती लागत भी वहन करनी होती है जो क्षेत्रीय स्तर के विज्ञान केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख रु. तथा उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख रु. बैठती है। क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने में 6.50 करोड़ रु. तथा उपक्षेत्रीय या जिला स्तर का विज्ञान केन्द्र स्थापित करने में 2 करोड़ रु. का पूंजीगत व्यय आता है। भू-खंड मुफ्त उपलब्ध कराने के अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पूंजीगत व्यय में 50 प्रतिशत या 10 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, की भागीदारी करनी होती है। आवश्यक कार्मिक शक्ति, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

झारखंड में बाघ परियोजनाएं

2033. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड में बाघ परियोजना के विकास हेतु झारखंड सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) ''बाघ परियोजना'' और बाह्य सहायता प्राप्त भारत पारि-विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पलामू बाघ रिजर्व की वर्ष 2002-03 के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना प्राप्त हो गयी है और निम्नलिखित मंजूरी प्रदान की गई है:

(लाख रुपये)

		कार्यवाही की वार्षिक योजना में मांगी गई राशि	कुल स्वीकृत	कुल केन्द्रीय सहायता	पहली किस्त में जारी की गई राशि
(1)	*बाघ परियोजना केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-2002-03*	*370.33*	*41.25*	*23.125*	*18.00*
(2)	भारत पारिविकास परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त)	417.59 (विश्व बैंक से अनुमोदित)	419.59	419.59	272.61 पूर्व वर्षों की खर्च न की गई राशि पुन: वैध की गई)

राजस्थान में डेयरी खोला जाना

2034. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में डेयरी खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। राजस्थान सरकार से समेकित डेयरी विकास परियोजना के तहत गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में सहायता का कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा द्वारा लिया गया ठेका

2035. श्री राममोहन गाड्डे:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली द्वारा दिए गए कार्य के ठेके का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उक्त अवधि के दौरान उसकी लागत और पूरा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा ठेका देने में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने कि निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन न हो, के लिए कोई औचक जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(च) मक्का अनुसंधान निदेशालय में कार्य का ठेका देने में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. की स्पष्ट नीति के बावजूद मक्का अनुसंधान निदेशालय के परियोजना निदेशक को अधिवर्षिता के बाद सेवाकाल विस्तार देने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कार्य के ठेके का मूल्यांकन मक्का अनुसंधान निदेशालय के स्तर पर ठेका देते/नवीकरण करते समय किया गया।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान फील्ड/प्रयोगशाला से संबंधित पहचान किए गए कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई लागत धनराशि 56.50 लाख रु. है जिसका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	किया गया भुगतान (रु. लाख में)
1999-2000	15.75
2000-2001	18.45
2001-2002	22.30
कुल	56.50

मक्का अनुसंधान निदेशालय के पास 135 एकड़ फार्म एरिया है जिसमें बेगूसराय स्थित अनुसंधान केन्द्र भी शामिल है। यह ठेका विभिन्न फार्म परिचालनों और प्रयोगशाला कार्य इत्यादि जिनमें श्रम शामिल है, जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए दिया गया है।

(ग) यह ठेका उन्हीं ठेकेदारों को दिया गया है जो संविदा आमंत्रित करने के पश्चात् श्रम मंत्रालय में पंजीकृत हैं।

(घ) और (ङ) गन्ना अनुसंधान निदेशालय फार्म स्तर पर अप्रत्याशित जांच द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अनुपालन सुनिश्चित करता है।

(च) डी एम आर में ठेका देते समय निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

(छ) लागू नहीं होता, क्योंकि वर्तमान परियोजना निदेशक (मक्का) अभी अधिवर्षिता की आयु पर नहीं पहुंचे हैं।

नहरों की खुदाई

2036. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश समेत राज्य सरकारों से अनेक राज्यों में नहरों की खुदाई के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) यद्यपि उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में विशेष रूप से नहरें खोदने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि, राज्य सरकारों ने नई सिंचाई स्कीमें प्रस्तुत की हैं जिनमें नहरों का खोदा जाना भी शामिल है। इन परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	बृहद					मध्यम				
		ए	बी	सी	डी	कुल	ए	बी	सी	डी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	7	–	–	10	6	9	–	1	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	2	2	–	–	4	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
6.	गोवा, दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1
8.	हरियाणा	–	2	–	–	2	1	–	–	–	1
9.	हिमाचल प्रदेश	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1
10.	जम्मू व कश्मीर	1	–	–	–	1	7	2	–	–	9
11.	झारखण्ड	3	4	–	–	7	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	1	2	1	–	4	1	–	–	–	1
13.	केरल	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1
14.	मध्य प्रदेश	3	3	–	1	7	–	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	5	5	–	1	11	24	8	–	–	32
16.	मणिपुर	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैण्ड	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1
19.	उड़ीसा	3	8	–	–	11	1	10	–	–	11
20.	पंजाब	4	–	–	1	5	2	1	–	–	3
21.	राजस्थान	3	2	–	–	5	1	2	–	–	3
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	1	1	–	–	2	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	5	7	–	–	12	1	–	–	–	1
26.	उत्तरांचल	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
27.	पश्चिम बंगाल	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	कुल योग	37	47	2	3	89	46	34	1	2	83

ए-मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत परियोजना।
बी-कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय के सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
सी-जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।
डी-निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी गई।

विमान का खड़ा किया जाना

2037. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के अनेक विमानों को भारत और विदेशों में मरम्मत हेतु खड़ा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एअर इंडिया के कुल कितने विमान हैं (इनमें पट्टे पर लिए गए विमान शामिल हैं) और कितने विमान खड़े किये गये और उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ग) क्या एअर इंडिया प्रयोग में लाए जा रहे कुल बीस विमानों के लिए अभी भी 380 पायलटों को काम में लगा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) आज तक, एअर इंडिया के पास 28 विमान (पांच ड्राई लीज सहित) हैं जिनमें से छह विमान एअर इंडिया की मुम्बई की अनुरक्षण सुविधा का उपयोग करने के लिए बड़ी जांच के लिए भेजे गए हैं और एक विमान फ्रांस में मैसर्स सोगरमा के अनुरक्षण सुविधा में भेजा गया है।

(ग) और (घ) एअर इंडिया के पास लम्बी रेंज वाले तथा मध्यम रेज वाले विमानों का मिला-जुला बेड़ा है। विमान बेड़ा साइज, प्रचालनों के तरीके, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित ड्यूटी समय तथा आराम अपेक्षाओं, द्विपक्षीय, छुट्टी आवश्यकताओं, प्रशिक्षण अपेक्षाओं इत्यादि के आधार पर विमान चालकों की संख्या होती है। एअर इंडिया के पास 354 विमान चालक हैं जो सुचारू रूप से उड़ान ड्यूटियों के लिए उपलब्ध हैं। विमान चालकों की वर्तमान संख्या वर्तमान विमान-बेड़ा तथा प्रचालनों के स्वरूप के लिए पर्याप्त हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ बनी शराब की दुकानें हटाना

2038. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ शराब की अनेक दुकानें स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ऐसी शराब की दुकानें हटाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मुद्दे और शराब की दुकानें हटाने में अपनी भूमिका पर चर्चा करने के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ कोई बैठक बुलाई है;

(ङ) यदि हां, तो बैठक का स्थान और तारीख क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां। राज्य

सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की कुछ दुकानों के लिए अनुमति दी गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) से (च) डा. पी. पुल्ला राव, अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा फोरम, पोलावरम, पश्चिमी गोदावरी जिले से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसे राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है। शराब की दुकानें स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करना और रद्द करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डा. राव से सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित की जाने वाली सेमिनार की तारीख और स्थान की सूचना देने का अनुरोध किया है जिसमें इस मामले पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

जैव कृषि

2039. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैव कृषि के लिए कृतिक बल की सिफारिशें लागू करने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2010 और 2020 तक जैव कृषि में अनाज, सब्जियों, फलों, दलहन, तिलहन का किस अनुपात में उत्पादन किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जैविक कृषि संबंधी कृतक बल की सिफारिशों के अनुसार, निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए दसवीं योजना के दौरान एक राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान की स्थापना की जा रही है:

(1) जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रणाली को व्यवस्थित करना।

(2) जैविक उत्पादन इकाइयों की स्थापनार्थ सहायता।

(3) जैविक कृषि का संवर्धन एवं विस्तार, आदि।

(ख) इस स्तर पर कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना

2040. श्री अनंत गुढ़े: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों से अधिक समय से महाराष्ट्र में चल रही कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के कार्य-निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्धियों और देखी गई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कपास की पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई खरीद का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना भुगतान किया गया/लंबित है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कपास के किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के पुनर्गठन, प्रबोधन करने हेतु की गई/प्रस्तावित नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचना दी है कि व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा कपास उत्पादकों को शोषण से बचाने तथा उनकी कपास के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने का निर्णय लिया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राधिकरणों ने योजना के कार्यान्वयन में जो हानियां वहन की हैं, वे इस प्रकार हैं:

मौसम	करोड़ रुपए में
1997-98	204.14
1998-99	622.87
1999-2000	923.04
2000-01	600.00
2001-02 (अनुमानित)	1200.00

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिप्राप्ति और भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

मौसम	अधिप्राप्ति (लाख क्विंटल में)	भुगतान की गयी राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1997-98	88.26	1695.00
1998-99	120.48	2345.00

1	2	3
1999-2000	175.62	3623.00
2000-01	74.54	1560.00
2001-02	153.18	2408.00

वर्ष 2001-02 के लिए, किसानों को अब तक गारन्टीशुदा मूल्य (जी.पी.) की पूरी राशि दे दी गई है। राज्य सरकार कुल 624 करोड़ रुपए के अग्रिम अतिरिक्त मूल्य (ए.ए.पी.) की अदायगी करने के लिए सहमत हो गयी है।

(घ) राज्य सरकार ने 2001-02 मौसम के दौरान खरीदी गई कपास का कुल मूल्य चार किश्तों में यानी गारन्टीशुदा मूल्य की 90 प्रतिशत राशि खरीद के समय, गारन्टीशुदा मूल्य की 10 प्रतिशत राशि 31 मार्च, 2002 अग्रिम अतिरिक्त मूल्य की पहली किश्त 2 मई, 2002 और अग्रिम अतिरिक्त मूल्य की दूसरी किश्त 2 अगस्त, 2002 से पहले भुगतान करने का निर्णय किया है। फिर भी, वित्तीय अभाव के कारण, राज्य सरकार लिए गए निर्णय के अनुसार कपास का भुगतान नहीं कर सकी। गारन्टीशुदा मूल्य यानि 2408 करोड़ रुपये की पूरी राशि कपास उत्पादकों को पूर्णतया अदा कर दी गई है और अग्रिम अतिरिक्त मूल्य की शेष राशि शीघ्र ही दे दी जाएगी।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया कि उन्हें इस संबंध में कपास उत्पादकों एवं विभिन्न सहकारी समितियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें राज्य सरकार को कपास की खरीद के लिए भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने कपास उत्पादकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

(च) कपास मौसम 1993-94 तक, राज्य में यह योजना महाराष्ट्र कच्ची कपास (खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित की गई थी। इस योजना में भारी घाटा हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने कपास मौसम 1994-95 से 2001-2002 तक गारन्टीशुदा मूल्य के अलावा अग्रिम अतिरिक्त मूल्य देने की नीति अपनाई हुई थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार योजना के इस घाटे की प्रतिपूर्ति करने को बाध्य है। इस योजना को भविष्य में कार्यान्वित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है क्योंकि योजना को इसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखना राज्य द्वारा व्यवहार्य नहीं समझा गया है। राज्य सरकार ने आगामी मौसम से इस योजना को सख्ती से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता

2041. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में चल रही सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राज्य को कोई धनराशि मंजूर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या खरीफ की फसल की बुवाई के आधार पर मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(च) क्या फसल के क्षेत्र में कमी और समय पर पानी न मिलने के कारण रबी की फसल पर भी प्रभाव पड़ा है;

(छ) क्या सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त रबी की फसल के प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्य को आदान संबंधी राजसहायता और अन्य सहायता देने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो राज्य को कब तक आदान संबंधी राजसहायता दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) ज्ञापन में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 253.84 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की गई है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के संदर्भ में अंतर-मंत्रालयी दल द्वारा इस पर विचार किया गया। इस मामले में उच्च स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से विचार किया जाना है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि राज्य सरकार के पास अपने आपदा राहत कोष से राहत व्यय करने के लिए निधियों की तत्काल उपलब्धता है।

(ङ) राज्य सरकार विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करती है।

(च) कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(छ) और (ज) आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष में से व्यय के लिए सहायता की मदों और मानदण्डों के अंतर्गत, उन छोटे और मार्जिनल किसानों को आदान राजसहायता अनुज्ञेय है जिनकी फसल हानि 50% और इससे अधिक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अंतर्गत किसान क्षतिग्रस्त फसलों के लिए क्षतिपूर्ति के भी हकदार हैं।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन संबंधी संगोष्ठी

2042. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ''क्लाइमेट चेंज एंड इंडस्ट्री: इश्यूज एंड अपारचुनिटीज'' संबंधी किसी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जैसाकि 14 जुलाई, 2002 के ''द हिन्दू'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को नीचे लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। ''जलवायु परिवर्तन: मुद्दे एवं अवसर'' पर 13 जुलाई, 2002 को चेन्नई में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग प्रकोष्ठ संघ ने संयुक्त रूप से एक सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन परिदृश्य, जलवायु परिवर्तन के प्रक्षेपित प्रभाव, सुभेधता और अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी सी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श और 23 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2002 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले यू एन एफ सी सी पक्षकारों के 8वें सम्मेलन तथा कन्वेशन के तहत हुए विभिन्न समझौतों के संदर्भ में भारतीय उद्योगों के लिए अवसरों सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) सरकार द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के निराकरण हेतु उठाए गए कदमों में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, स्वच्छतर ऊर्जा वाला ईंधन, वनों की रोपाई और संरक्षण, कोयले का उचित ढंग से प्रयोग, उद्योगों में ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा, गैस भभक में कमी, तेल और विद्युत क्षेत्र में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी सिस्टम लगाना तथा कृषि क्षेत्र में बेहतर कृषि विधियां अपनाया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

बीजों और उर्वरकों का भण्डार

2043. श्रीमती रमा पायलट: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खेती योग्य कुल भूमि के लिए बीजों और उर्वरकों का पर्याप्त भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में बीजों और उर्वरकों की कितनी आवश्यकता है और उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों से कृषि उपज की खरीद हेतु भुगतान का क्या तरीका अपनाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) प्रमाणीकृत/क्वालिटी बीजों और उर्वरकों (यूरिया, डाइ-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) तथा म्यूरिएट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) की समग्र आवश्यकता और उपलब्धता, 1 से 4 में दर्शायी गयी है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम किसानों/कच्चे आढ़तियों को चेक के माध्यम से भुगतान करता है।

विवरण I

खरीफ 2002 में सभी कृषि फसलों के प्रमाणित और क्वालिटी बीज आवश्यकता और उपलब्ध का राज्यवार सारांश

(मात्रा क्विंटल में)

राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3
अंदमान और निकोबार	245	245
आंध्र प्रदेश	703861	881541

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	7185	7185
असम	13100	13100
बिहार	115410	62310
छत्तीसगढ़	53570	40705
गोवा	2620	2620
गुजरात	220966	277799
हरियाणा	56060	119309
हिमाचल प्रदेश	15395	15395
जम्मू और कश्मीर	12675	12930
कर्नाटक	498100	481977
केरल	27420	27420
मध्य प्रदेश	300000	393302
मेघालय	3664	3664
महाराष्ट्र	774325	910300
मणिपुर	7480	3250
मिजोरम	17364	17364
नागालैण्ड	14630	14630
उड़ीसा	345110	278865
पांडिचेरी	5570	9728
पंजाब	71730	116181
राजस्थान	182300	206114
सिक्किम	1220	1220
तमिलनाडु	145732	196624
त्रिपुरा	7554	7554
उत्तरांचल	11766	7657
उत्तर प्रदेश	279350	317909
पश्चिम बंगाल	246899	256882
सकल योग	4141301	4683780

विवरण II

यूरिया के ईसीए/मांग, उपलब्धता/बिक्री/अंतिम स्टाक का विवरण

यूरिया
खरीफ
जून

(हजार मीटरी टन)

राज्य	खरीफ 2002 (अप्रैल-जून)			
	ई.सी.ए./अपेक्षित सप्लाई	उपलब्धता	संचयी बिक्री	अंतिम स्टाक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1103.00	598.29	126.83	471.47
कर्नाटक	711.00	279.51	123.62	155.89
केरल	64.00	37.76	24.17	13.59
तमिलनाडु	382.00	239.00	100.07	138.93
गुजरात	467.00	224.33	86.38	137.95

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	389.00	256.34	81.12	175.23
छत्तीसगढ़	301.00	170.50	58.59	111.91
महाराष्ट्र	1051.00	567.97	221.63	346.35
राजस्थान	420.00	206.73	133.32	73.41
हरियाणा	581.00	373.27	226.22	147.05
पंजाब	945.00	673.50	597.82	75.68
उत्तर प्रदेश	2380.00	1247.62	754.26	493.36
उत्तरांचल	105.00	62.91	47.29	15.63
बिहार	662.00	258.04	113.79	144.25
झारखंड	105.00	44.41	13.52	30.88
उड़ीसा	339.00	125.59	7.85	117.74
पश्चिम बंगाल	446.00	176.40	66.11	110.29
असम	84.00	60.39	34.71	25.69
त्रिपुरा	10.00	2.64	1.56	1.08
मणिपुर	33.00	15.48	14.29	1.19
मेघालय	3.00	0.24	0.24	0.00
नागालैण्ड	0.30	0.40	0.00	0.40
अरुणाचल प्रदेश	0.40	0.44	0.00	0.44
सिक्किम	0.70	0.70	0.70	0.00
मिजोरम	0.70	0.60	0.00	0.60
अंदमान और निकोबार	0.50	0.10	0.10	0.00
पांडिचेरी	8.00	5.79	3.66	2.13
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन व दीव	0.31	0.05	0.03	0.02
गोवा	1.35	0.65	0.42	0.22
हिमाचल प्रदेश	30.00	20.49	10.01	10.59
जम्मू और कश्मीर	63.00	31.35	26.11	5.24

1	2	3	4	5
चंडीगढ़	0.05	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	5.00	0.07	0.07	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.90	0.24	0.21	0.03
सकल योग	10692.21	5681.91	2874.68	2807.23

विवरण III

डी.ए.पी. की मांग, उपलब्धता/बिक्री/अंतिम स्टाक का विवरण

डी.ए.पी.
खरीफ
जून
(हजार मीटरी टन)

	खरीफ 2002 (अप्रैल-जून)			
राज्य	मांग	उपलब्धता	संचयी बिक्री	अंतिम स्टाक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	425.00	124.92	47.22	77.70
कर्नाटक	250.00	141.78	86.81	54.97
केरल	6.00	4.78	1.95	2.83
तमिलनाडु	135.00	40.94	25.79	15.15
गुजरात	210.00	105.04	59.03	46.01
मध्य प्रदेश	225.00	190.06	60.82	129.24
छत्तीसगढ़	75.00	47.48	21.74	25.74
महाराष्ट्र	300.00	201.23	135.06	66.16
राजस्थान	250.00	126.01	50.41	75.59
हरियाणा	160.00	140.56	90.47	50.08
पंजाब	225.00	197.28	144.43	52.85
उत्तर प्रदेश	450.00	254.57	82.06	172.51
उत्तरांचल	9.50	5.53	2.52	3.01
बिहार	120.00	34.61	23.56	11.05

1	2	3	4	5
झारखंड	60.00	47.43	35.14	12.29
उड़ीसा	75.00	37.65	13.86	23.80
पश्चिम बंगाल	150.00	99.17	21.16	78.01
असम	23.00	14.27	4.68	9.59
त्रिपुरा	0.30	0.02	0.02	0.00
मणिपुर	4.00	0.12	0.12	0.00
मेघालय	1.50	0.72	0.72	0.00
नागालैण्ड	0.20	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.07	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.54	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	1.00	0.00	0.00	0.00
अंदमान और निकोबार	0.28	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	2.60	2.14	1.11	1.03
गोवा	0.50	0.22	0.21	0.01
हिमाचल प्रदेश	0.10	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	35.00	15.17	12.40	2.77
दिल्ली	3.00	0.01	0.01	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.85	0.00	0.00	0.00
सकल योग	3198.44	1831.67	921.28	910.39

विवरण IV

एम.ओ.पी. की मांग, उपलब्धता/बिक्री/अंतिम स्टाक का विवरण

एम.ओ.पी.
खरीफ
जून

(हजार मीटरी टन)

राज्य	खरीफ 2002 (अप्रैल-जून)			
	आवश्यकता	उपलब्धता	संचयी बिक्री	अंतिम स्टाक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	125.00	39.48	25.19	14.30
कर्नाटक	160.00	63.46	48.20	15.26

1	2	3	4	5
केरल	80.00	41.51	20.35	21.16
तमिलनाडु	150.00	63.01	39.44	23.58
गुजरात	40.00	38.99	11.50	27.49
मध्य प्रदेश	25.00	12.62	2.56	10.06
छत्तीसगढ़	30.00	26.55	4.85	21.70
महाराष्ट्र	140.00	108.99	40.66	68.33
राजस्थान	5.00	2.57	1.18	1.39
हरियाणा	10.00	6.45	2.56	3.89
पंजाब	35.00	17.77	9.36	8.41
उत्तर प्रदेश	65.00	28.86	3.81	25.05
उत्तरांचल	4.50	1.43	0.24	1.20
बिहार	40.00	20.05	4.84	15.21
झारखंड	5.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	60.00	17.78	3.62	14.16
पश्चिम बंगाल	120.00	38.06	17.31	20.75
असम	35.00	22.00	11.86	10.14
त्रिपुरा	4.95	0.02	0.02	000
मणिपुर	2.50	0.06	0.06	0.00
मेघालय	0.20	0.06	0.06	0.00
नागालैण्ड	0.03	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.01	0.01	0.00
सिक्किम	0.12	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.50	0.00	0.00	0.00
अंदमान और निकोबार	0.10	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	3.10	2.23	1.52	0.71
गोवा	0.50	0.19	0.12	0.06

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	0.40	0.03	0.03	0.00
जम्मू और कश्मीर	6.00	0.12	0.09	0.03
दिल्ली	0.60	0.00	0.00	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.02	0.00	0.00	0.00
राज्य (कुल)	1148.55	552.31	249.44	302.88
काम्पलैक्स	300.00	238.80	193.26	45.54
सकल योग	1448.55	791.11	442.69	348.42

[अनुवाद]

'नेफेड' के लक्ष्य और उद्देश्य

2044. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नेफेड' अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) विपणन को संगठित करने, प्रोन्नति करने और विकास द्वारा किसानों को नियमित विपणन समर्थन मुहैया कराने, उसकी सदस्य सहकारिताओं के कृषि, बागवानी और वनीय उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण के उद्देश्य से नेफेड की स्थापना की गयी थी। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नेफेड विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के कार्यकलाप करता है।

अपने लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नेफेड सहकारी विपणन नेटवर्क के सहयोग से कृषि, बागवानी और वनीय उत्पादों की अधिप्राप्ति और विपणन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। नेफेड अपने वाणिज्यिक लेखों, संयुक्त उपक्रम लेखों, सरकारी लेखों (पीएसएस/एमआईएस), प्रेषण लेखों आदि में विविध प्रकार की कृषि जिंसों की बिचौलियों के बिना सीधे किसानों से यह सुनिश्चित करने के लिए अधिप्राप्ति करता है कि नेफेड द्वारा प्रदान कराए गए प्रतियोगी मूल्यों का लाभ सीधे किसानों को और उसकी सदस्य विपणन सहकारिताओं को मिले। इसी प्रकार, नेफेड सहकारिताओं के अनुरूप प्राथमिकताओं द्वारा कृषि जिंसों की बिक्री की व्यवस्था करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नकली पेस्टनाशियों और कीटनाशियों के मामले

2045. श्री भान सिंह भौरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में नकली पेस्टनाशियों और कीटनाशियों के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार रिकार्ड किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस बुराई को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि और उसके बाद की अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं। गत पांच वर्षों के दौरान अवमानक कृमिनाशियों की प्रतिशतता 3.7% से घटकर 3.01% हो गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ग) भारत सरकार ने कीटनाशी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत डुप्लीकेट/नकली कीटनाशियों के विनिर्माण की रोकथाम के लिए कई उपाय किए

हैं। तदनुसार, निम्नलिखित उपाय करने के अलावा सीधी निगरानी रखी जाती है:

(1) राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु अधिसूचित कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा विनिर्माण परिसरों और वितरण/बिक्री केन्द्रों से नमूने उठाया जाना ताकि कीटनाशकों की क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके।

(2) डुप्लीकेट/अवमानक कीटनाशकों के विनिर्माताओं और डीलरों के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन शुरू करना;

(3) नकली कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए ब्लाक और जिला स्तर पर अधिकारियों के दल गठित करना और डीलरों/वितरकों के परिसरों में अचानक छापे मारने के लिए फ्लाइंग स्क्वैड की स्थापना;

(4) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय/जोनल सम्मेलनों के दौरान आवधिक समीक्षा करना ताकि क्वालिटी कृमिनाशियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके;

(5) प्रयोगशाला सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय और राज्य कीटनाशक विश्लेषकों द्वारा राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की तकनीकी लेखा परीक्षा की गई है।

(घ) अभियोजित व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर देखा जा सकता है।

विवरण I

1997-2002 के दौरान राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में क्वालिटी नियंत्रण हेतु कृमिनाशी नमूनों के विश्लेषण के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

राज्य/सं.शा. प्रदेश	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02	
	विश्लेषित नमूने	अवमानक नमूने	विश्लेषित नमूने	अवमानक नमूने	विश्लेषित नमूने	अवमानक नमूने	विश्लेषित नमूने	अवमानक नमूने	विश्लेषित नमूने	अवमानक नमूने
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	7291	127(1.74)	7979	141(1.77)	9026	88(0.97)	6112	133(2.18)	4365	91(2.08)
असम	143	4(2.80)	127	3(2.36)	76	4(5.26)	25	-(0)	6	-(0)
बिहार	-	-(-)	-	(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)
गुजरात	2178	134(6.15)	2270	162(7.14)	2079	131(6.30)	2142	115(5.37)	2262	135(5.97)
हरियाणा	1819	233(12.8)	1904	(216(11.36)	1932	194(10.04)	1623	144(8.87)	428	32(7.48)
जम्मू और कश्मीर	729	6(0.83)	747	22(2.95)	455	22(4.83)	465	37(7.96)	-	-(-)
कर्नाटक	2000	101(5.05)	3399	138(4.06)	3419	101(2.95)	3966	133(3.35)	2956	91(3.08)
केरल	1784	6(0.34)	1501	24(1.60)	1780	7(0.37)	1698	-(0)	1075	3(0.28)
मध्य प्रदेश	654	108(16.52)	642	91(14.17)	531	96(18.08)	634	106(16.72)	395	139(35.19)
महाराष्ट्र	2838	93(3.28)	1994	76(3.81)	3928	106(2.70)	2524	79(3.12)	2461	90(3.66)
मणिपुर	18	-(0)	15	-(0)	1	-(0)	19	-(0)	-	-(-)
उड़ीसा	956	-(0)	815	2(0.25)	769	1(0.13)	857	1(0.12)	630	-(0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पांडिचेरी	500	-(0)	500	-(0)	500	3(0.6)	500	9(1.8)	502	6(1.20)
पंजाब	3603	178(4.94)	3900	114(2.92)	3850	95(2.47)	3922	81(2.07)	3302	124(3.76)
राजस्थान	1138	122(10.72)	1144	133(11.63)	1345	87(6.47)	1682	104(6.18)	1623	105(6.47)
तमिलनाडु	15772	315(2.0)	16506	186(1.12)	13856	181(1.33)	16648	121(0.73)	12296	55(0.45)
उत्तर प्रदेश	2939	204(6.94)	2925	143(4.89)	2025	103(5.09)	2305	108(4.69)	1740	154(8.85)
पश्चिम बंगाल	-	-(-)	170	-(0)	222	2(0.91)	306	12(3.92)	-	-
सकल योग:	44362	1631(3.7)	46538	1451(3.12)	45524	1221(2.68)	45439	1183(2.60)	34041	1025(3.01)

*जानकारी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।
ब्रैकिट में दिए गए आंकड़े अवमानक नमूनों का प्रतिशत है।

विवरण II

कृमिनाशियों का गुण नियंत्रण

1997-2002 के दौरान राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी आंकड़े

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	लाइसेंस									
		निलंबित					निरस्त				
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	16	50	7	9	5	1	238	193	190	273
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	1	26	0	3	1	–	4	10	4	2
8.	हरियाणा	–	2	4	23	1	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	शून्य	शून्य	–	–	–	शून्य	–	–
11.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	कर्नाटक	13	19	23	2	शून्य	12	1	10	शून्य	शून्य
13.	केरल	4	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	11	26	25	12	14	29	–	13	5	2
15.	महाराष्ट्र	9	–	4	2	7	341	44	20	37	10
16.	मणिपुर	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	3	शून्य	81	12	150	102	95	81	75
22.	राजस्थान	–	शून्य	शून्य	शून्य	14	–	–	शून्य	शून्य	2
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	39	73	158	72	27	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	शून्य	1	शून्य	–	–	9	2	शून्य
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	3	9	6	–	–	52	11	16

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	अभियोजन									
		आरंभ					प्राप्त न्याय				
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	26	32	15	8	7	31	20	6	17	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	4	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	28	132	60	77	66	15	31	27	12	4
8.	हरियाणा	–	185	194	137	8	–	–	शून्य	36	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	–	7	7	–	–	–	–	शून्य	–	–
11.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	28	23	22	35	5	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
13.	केरल	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	–	3	1	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	2	शून्य
15.	महाराष्ट्र	8	16	53	34	2	1	–	शून्य	2	शून्य
16.	मणिपुर	–	–	–	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	11	5	82	41	18	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	40	48	79	63	48	–	–	शून्य	–	2
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	19	135	23	29	8	10	10	23	29	14

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25.	त्रिपुरा	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	37	75	39	91	117	–	9	8	25	शून्य
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	लक्ष्यद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	11	शून्य	शून्य	–	–	शून्य	शून्य	शून्य

–राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

वाइल्ड लाइफ सीजर प्रोजेक्ट

2046. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 2002 के ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' में ''डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. 'रेड टेप', स्पेल्स एण्ड फॉर वाइल्ड, लाइफ सीजर प्रोजेक्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. ट्रैफिक इंडिया की समीक्षा करने और उसे पुन: शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) ट्रैफिक-इंडिया, वन्य जीव और उसके उत्पादों के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों को पकड़वाने में मदद करके व आसूचना उपलब्ध करके सरकार के संरक्षण प्रयासों में सहायता कर रहा है। दिल्ली में अन्य बहुत से गैर-सरकारी संगठन इसी तरह का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अवैध शिकार, वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सीमाशुल्क विभाग और राजस्व आसूचना निदेशालय को शामिल किया है। इन परिस्थितियों में डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. की ट्रैफिक इंडिया परियोजना को बन्द करने से देश में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक-इंडिया को बन्द करना, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. का आन्तरिक मामला है और इस मामले में हस्तक्षेप करना भारत सरकार के लिए उचित नहीं होगा।

[हिन्दी]

वन्य भूमि के अन्यत्र उपयोग के माध्यम से अर्जित धनराशि का उपयोग

2047. श्री महेश्वर सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन्य भूमि के उपयोग अथवा कोई अन्य विकास संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए उन्हें दी गई अनुमति के स्थान पर पेड़ उगाने के लिए कुछ अनुमानित धनराशि जमा करने के लिए संबंधित विभागों से कहती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष सरकार के पास राज्य-वार ऐसी जमा धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्य-वन विभाग, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने अधिनियम की भावना के अनुरूप ऐसी धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन ने वनों और पर्यावरण के नुकसान को पूरा करने और पार्वती जलविद्युत परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि के स्थान पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए 86 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो उक्त धनराशि का उपयोग किस ढंग से किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा करवाई गई 1089.95 लाख रुपये की राशि में से 881.51 लाख रुपयों का प्रयोग कर लिया है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निधि का प्रयोग संतोषजनक नहीं है क्योंकि वन विभाग को अपेक्षित निधि जारी नहीं की गई है। प्रयोग की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) पार्वती चरण-II की तुलना में नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट, नैशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन ने कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए 1.00 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं। 31.3.2002 तक प्रयोग की गई राशि की स्थिति नीचे दिए अनुसार है:

वास्तविक	वित्तीय
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क-स्थान बाह्य वनस्पति और प्राणिजात का संरक्षण	36.26 लाख
जी एच एन पी में संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण	33.74 लाख
योजनाएं तैयार करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान को परामर्श प्रभार	30.00 लाख
कुल	100.00 लाख रुपये

विवरण I

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा करवाई गई राशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	258.00	568.00	2453.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.00	486.00	747.00
3.	असम	0.00	187.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	2.00
5.	गोवा	144.00	86.00	114.00

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	973.00	2170.00	1002.00
7.	हरियाणा	116.00	262.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	358.34	138.58	593.03
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	1064.00	650.00	227.00
11.	केरल	4095.00	376.00	1505.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	1092.00
14.	मणिपुर	0.05	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	1.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	422.00	0.00
17.	उड़ीसा	303.00	228.00	615.00
18.	पंजाब	1039.00	260.00	329.00
19.	राजस्थान	539.00	75.00	497.00
20.	सिक्किम	255.00	0.00	357.00
21.	तमिलनाडु	0.00	110.00	133.00
22.	त्रिपुरा	0.00	22.00	49.00
23.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तरांचल	0.00	0.00	3229.00
25.	पश्चिम बंगाल	177.00	0.00	407.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	15.00
27.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	102.00	0.00
	कुल	9375.39	6143.58	13366.03

विवरण II

वन भूमि के वनेतर प्रयोग के बदले प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा करवाई गई निधि के प्रयोग की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम/ संघ शासित क्षेत्र	प्रयोक्ता एजेंसियों से जारी की जाने वाली निधि	जारी की गई वास्तविक राशि	खर्च की गई राशि	खर्च की गई जारी राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7034	7165	3421	47.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	1156	897	230	26.64
3.	असम	566	566	136	24.02
4.	बिहार	175	38	3	7.89
5.	गोवा	367	365	261	71.5
6.	गुजरात	10034	9679	7119	73.55
7.	हरियाणा	939	820	134	16.34
8.	हिमाचल प्रदेश	1960	1875	1046	55.78
9.	जम्मू एवं कश्मीर	954	90	0	0
10.	कर्नाटक	5346	5248	4691	89.38
11.	केरल	11623	6077	5287	87
12.	मध्य प्रदेश	7045	6106	2100	34.39
13.	महाराष्ट्र	16452	12918	8223	63.66
14.	मणिपुर	0.05	0.05	0	0
15.	मेघालय	96	–	0	0
16.	मिजोरम	1338	607	267	43.99
17.	उड़ीसा	4130	3853	1296	33.63
18.	पंजाब	1820	1703	1018	59.77
19.	राजस्थान	2269	1994	750	37.61
20.	सिक्किम	612	612	342	55.88
21.	तमिलनाडु	528	482	103	21.36

1	2	3	4	5	6
22.	त्रिपुरा	177	177	33	18.64
23.	उत्तर प्रदेश	2091	1723	928	53.85
24.	उत्तरांचल	3308	3229	1158	3586
25.	पश्चिम बंगाल	744	739	554	74.96
26.	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	90	84	15	17.85
27.	दादरा और नागर हवेली	118	102	0	0
	कुल	80972.05	67149	39115	

[अनुवाद]

जेट एयरवेज में संदेहास्पद निवेश

2048. श्रीमती कांति सिंह:
श्री किरीट सोमैया:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
डा. बी.बी. रमैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जेट एयरवेज में संदेहास्पद निवेश के मामले की जांच में क्या प्रगति हुई है;

(ख) आगे संदेहास्पद निवेश की रोकथाम करने के लिए जेट एयरवेज के विरुद्ध क्या अंतरिम उपाय किए जाने की बात है;

(ग) क्या यह देखने के लिए प्राथमिक जांच की गई है कि देश में अन्य निजी विमान सेवाओं में भी तो कहीं ऐसा संदेहास्पद निवेश नहीं हुआ;

(घ) ऐसे निवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) जेट एयरवेज के संबंध में चल रही जांच को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) जेट एयरवेज में कालाधन के निवेश संबंधी मामले पर सरकार अभी विचार कर रही है। देश की दूसरी गैर-सरकारी एयरलाइनों में कालाधन निवेश के बारे में नागर विमानन मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

पादप संगरोध केन्द्र

2049. श्री सुनील खां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) ने पश्चिम बंगाल के पानीटंकी स्थित पादप संगरोध केन्द्र पर पायी गयी गंभीर खामियों जिनके परिणामस्वरूप 1.66 करोड़ रुपये मूल्य के पौधों/पौध-सामग्री के संक्रमित हो जाने का खतरा पैदा हो गया, के संबंध में कस्टम अधिकारियों और कृषि मंत्रालय, दोनों से जांच करवाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने इस विषय पर एक मसौदा पैराग्राफ भेजा है।

(ख) जुलाई 2000 से कस्टम प्राधिकारी इन खेपों की ओर ध्यान दे रहे हैं और इसकी संगरोध संबंधी जांच की जा रही है।

टिप्पणियां निदेशक (निरीक्षण) लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) निदेशक के कार्यालय, कोलकाता को सूचित कर दी गई हैं। टिप्पणियों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, संघ सरकार (सिविल) में शामिल करने हेतु पौध संगरोध स्टेशन, कलिपोंग से संबंधित 'राजस्व की हानि' के संबंध में मसौदा पैराग्राफ

अनियमितताओं के मुद्दे

1. सितम्बर, 1987 से जुलाई 2000 तक आयातित पौध सामग्री की सभी खेपों को पी.पी.ओ. से बिना किसी आवश्यक प्रमाण-पत्र के देश में आने की अनुमति थी। सम्पूर्ण लापरवाही और असफलता के कारण देश में संक्रमित पौध सामग्री के आयात का खतरा बना और सितंबर 1987 से जुलाई 2000 के लिए 1.66 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

2. चूंकि पी.पी.ओ. ने संक्रमित पौध सामग्री का ऐसा कोई एक भी निरीक्षण नहीं किया, सितम्बर 1987 से जुलाई 2000 की अवधि के दौरान उनके कार्यालय पर व्यय की गई राशि का एक बड़ा भाग जो 81.59 लाख रुपये था, निष्फल था।

टिप्पणियां

लेखा परीक्षा ने स्वयं यह टिप्पणी की है कि पी.पी.ओ. सितम्बर 1987 से जुलाई 2000 की अवधि के लिए कृषि उत्पादों की आयातित खेपों की जांच नहीं कर सका क्योंकि कस्टम प्राधिकारी (जिनके लिए पी.पी.ओ. से निरीक्षण और स्वीकृति प्रमाण-पत्र के बाद ही इन खेपों को निर्मुक्त करना अनिवार्य था) ने पौध संगरोध स्टेशन (पी.पी.ओ.), पानीटंकी को इन खेपों के बारे में सूचित नहीं किया और बिना किसी निरीक्षण के इन खेपों को निर्मुक्त कर दिया। लेखा परीक्षा द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि कस्टम अधीक्षक, भूमि कस्टम केन्द्र, पानीटंकी ने नक्सलवाडी मण्डल के सहायक कस्टम आयुक्त को इस संबंध में निर्देश लेने के लिए केवल दिसम्बर 1998 में लिखा। निर्देशों के प्राप्त न होने के कारण, कस्टम अधीक्षक भूमि कस्टम केन्द्र, पानीटंकी ने जुलाई 2000 तक पी.पी.ओ. को आयातित पौध सामग्री की कोई खेप नहीं भेजी। पी.पी.ओ. द्वारा निरीक्षण केवल अगस्त 2000 से शुरू हो सके जब इन खेपों के निरीक्षण हेतु पी.पी.ओ. को कहा गया। आगे यह भी कहा गया है कि आलोच्य अवधि के दौरान पौध संगरोध स्टेशन, पानीटंकी में कृषि जिंसों का निरीक्षण न करने का कारण पौध संगरोध स्टेशन, पानीटंकी में पौध संरक्षण अधिकारी की ओर से की गई लापरवाही अथवा किसी प्रकार की चूक नहीं थी क्योंकि पौध संगरोध अधिकारी की ऐसी खेपों का निरीक्षण करने हेतु न तो कोई पहुंच थी और न ही उसके पास कोई अधिकार था जब तक प्रवेश/आयात दस्तावेजों के विधेयक में अधिकारिक तौर पर कस्टम विभाग द्वारा उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। संदर्भावधि के दौरान किसी आयातकर्त्ता अथवा उनके कस्टम एजेंटों ने प्रवेश बिलों के साथ पौध संरक्षण अधिकारी, पानी टंकी से संपर्क नहीं किया। आगे यह उल्लेख किया जाता है कि एल.सी.एस. पानीटंकी में कस्टम अधिकारियों ने समय-समय पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुत से अनुदेशों के बावजूद ऐसी किसी खेप का उल्लेख नहीं किया।

पौध संगरोध स्टेशन, पानीटंकी को खोलना डी.आई.पी. अधिनियम 1914 के तहत कानूनी/सांविधिक आवश्यकताओं और पी.एफ.एस. आदेश, 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य कदम था। आलोच्य अवधि के दौरान सामग्री का निरीक्षण न करना पौध संरक्षण अधिकारी (पी.पी.ओ.) के नियंत्रण से बाहर था क्योंकि सक्षम कस्टम अधिकारियों ने निरीक्षण/निर्मुक्ति के लिए पौध संगरोध स्टेशन, पानीटंकी में पौध सामग्री का उल्लेख नहीं किया था। हालाकि सितंबर, 1987 में पौध संगरोध स्टेशन पानीटंकी की स्थापना से, प्रमुख पौध संगरोध कार्यकलाप के रूप में पी.एस.सी.एस. को जारी किया जाता रहा है जिसका कस्टम अधिकारियों से संबंध नहीं है।

अनियमितताओं के मुद्दे

कस्टम अधिकारी भी पी.पी.ओ. से निरीक्षण और प्रमाणीकरण के बिना खेपों की निर्मुक्ति करने के कारण गलती कर रहे थे। ऐसी गंभीर गलतियों के लिए जिससे की वित्तीय हानियां होने के अलावा देश में संक्रमित पौध सामग्री के आने का खतरा बना रहता है, के मामले में कस्टम अधिकारी और कृषि मंत्रालय दोनों के द्वारा जांच की आवश्यकता है।

टिप्पणियां

पौध संगरोध अधिकारी अथवा पानीटंकी में अन्य पौध संगरोध अधिकारी गलती पर नहीं थे। चूंकि कस्टम प्राधिकारियों ने खेपों को उनके पास भेजा था और उसका पौध संगरोध दृष्टिकोण से निरीक्षण किए बिना निर्मुक्त किया था, अत: वे ही इस गलती के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि पौध/पौध सामग्री को पौध संगरोध स्टेशन को भेजने की कानूनी बाध्यता की जिम्मेदारी है। इससे आगे यह कहा गया है कि पौध संगरोध अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सभी संभव कदम उठाए गए और खेपों को पौध संगरोध निरीक्षण कराने के लिए कस्टम अधिकारियों तक भेजा गया है।

पूर्वोत्तर तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा खेपों को पौध संगरोध निरीक्षण कराने के लिए पी.पी.ओ., पानीटंकी द्वारा किए गए प्रयासों के प्रकाश में भी कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता

विभाग पौध संरक्षण संगरोध और संचयन निदेशालय तथा पौध संगरोध स्टेशन, पानीटंकी के संदर्भानुसार लेखा परीक्षा पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के लिए भूमि का अधिग्रहण

2050. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 पर चाकई की ओर के हिस्से पर ऊपरि पुल के कार्य को पूरा करने में होने वाले असाधारण विलंब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 में नेयाटिनकारा राष्ट्रीय राजमार्ग उपमार्ग के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुक्कोला से कांजिशमकुल्लम तक भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम आरंभ कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या करमाना से प्रवाचम्बलम और केबवदासपुरम से ब्रीकरियम तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के स्ट्रैचेज को चौड़ा करने और उसे चार लेनों का बनाया जाने हेतु भूमि अधिग्रहण की लागत पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विचार किया जाना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) जी हां। भू-तकनीकी समस्याओं के कारण सड़क उपरि पुल के पहुंच मार्ग पूरा करने में विलंब हुआ है। केरल लोक निर्माण विभाग से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

अवक्रमित वन्य भूमि का वितरण

2051. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा भूमिहीन गरीब लोगों में अवक्रमित वन्य भूमि वितरित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) गरीब लोगों में वितरण हेतु ग्रामों और नगरों में अतिरिक्त भूमि का पता लगाने हेतु क्या प्रस्ताव किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमिहीन गरीबों को भूमि के वितरण सहित गैर-स्थल विशिष्ट कार्यों के लिए वनभूमि नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरबीन के माध्यम से खुदाई

2052. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां नलकूप खुदाई दूरबीन प्रणाली के माध्यम से की जाती है; और

(ख) राज्य में साधारण और दूरबीन खुदाई पर कितना व्यय किया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) मध्य प्रदेश के सभी जिलों में टेलिस्कोपिक विधि से नलकूप की बोरिंग की गई है.

(ख) जल संसाधन मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन से मध्य प्रदेश सहित देश में नलकूपों की खुदाई का कार्य करता है। नलकूपों की बोरिंग पर होने वाली व्यय में स्थान दर स्थान अन्तर होता है और यह किसी क्षेत्र के भू वैज्ञानिक संरचना, नलकूपों की गहराई एवं आकार, कुआं निर्माण की किस्म, प्रयुक्त सामग्री आदि

जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यह व्यय एक कम्पोजिट स्कीम के तहत निर्धारित किया जाता है और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा साधारण एवं टेलिस्कोपिक बोरिंग हेतु अलग से खातों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

शहरी जल संचयन योजना

2053. श्री थावरचंद गेहलोत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शहरी जल संचयन योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों से कुल 77 स्कीमें प्राप्त हुई हैं तथा केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा प्रायोगिक आधार'' पर भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत इन्हें अनुमोदित किया गया है। ऐसी अनुमोदित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भू-जल के पुनर्भरण के अध्ययन संबंधी केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की स्कीम के तहत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित छत के वर्षा जल संचयन स्कीमों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीम का नाम
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	रस्किन उप-प्रभाग, पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में छत के वर्षा जल संचयन की स्कीम
2.	असम	कामरूप जिला, असम के सोनापुर ब्लॉक और गुवाहाटी क्षेत्र के चुनिंदा क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन
3.	बिहार	पटना विश्वविद्यालय परिसर, पटना, बिहार में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव
4.	चण्डीगढ़	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण
5.	चण्डीगढ़	अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम
6.	चण्डीगढ़	भूजल भवन, चण्डीगढ़ में छत के वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
7.	चण्डीगढ़	सेक्टर-9, चण्डीगढ़ में चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम
8.	चण्डीगढ़	डी.ए.वी. स्कूल, सेक्टर 8, चण्डीगढ़ में वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
9.	गुजरात	गुजरात उच्च न्यायालय भवन, सोला, अहमदाबाद, गुजरात में छत के वर्षा जल संचयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम
10.	गुजरात	फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद, गुजरात में वर्षा जल संचयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम
11.	गुजरात	इफ्को आवासीय कालोनी, कस्तूरियानगर-सेरथा, गांधी नगर जिला, गुजरात के लिए वर्षा जल संचयन स्कीम के वास्ते प्रस्ताव
12.	हरियाणा	अरावली व्यू रेल विहार, सेक्टर-56, गुड़गांव में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम।
13.	हरियाणा	डी सी ऑफिस, फरीदाबाद, हरियाणा में छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से कृत्रिम पुनर्भरण के वास्ते स्कीम

1	2	3
14.	हिमाचल प्रदेश	कार्यकारी अभियन्ता, आई एच पी प्रभाग, इन्दौरा, कांगड़ा के परिसर में भूजल के पुनर्भरण के लिए छत के वर्षा जल संचयन के वास्ते प्रायोगिक स्कीम
15.	हिमाचल प्रदेश	आई पी एच ऑफिस, पालनपुर टाउन, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में भूजल के पुनर्भरण के लिए छत के वर्षा जल संचयन के वास्ते प्रायोगिक स्कीम
16.	जम्मू और कश्मीर	राजकीय महिला महाविद्यालय, गांधीनगर, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में छत के वर्षा जल संचयन की परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना-जम्मू कार्य योजना।
17.	जम्मू और कश्मीर	राजकीय विद्यालय भरवाल, जिला कथुआ, जम्मू और कश्मीर में छत के वर्षा जल का संचयन
18.	जम्मू और कश्मीर	भलवल जिला, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में छत के वर्षा जल संचयन के लिए परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन के वास्ते कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना-जम्मू कार्य योजना
19.	जम्मू और कश्मीर	माता वैष्णो देवी तीर्थ, जिला-ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर के लिए छत के वर्षा जल का संचयन
20.	जम्मू और कश्मीर	निर्माण भवन, पनामा चौक, जम्मू में छत के वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
21.	जम्मू और कश्मीर	एयरपोर्ट बिल्डिंग, सातवरी, जम्मू में छत के वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
22.	झारखण्ड	सेण्ट्रल हार्टीकल्चर (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टीकल्चर रिसर्च, रांची, झारखण्ड) के कार्यालय भवन में छत के वर्षा जल संचयन के लिए प्रस्ताव
23.	झारखण्ड	दीपाटोली कैन्टोनमेंट क्षेत्र, रांची, झारखण्ड में छत के वर्षा जल संचयन के लिए परियोजना प्रस्ताव
24.	झारखण्ड	इंजीनियर्स लाइन कैन्टोनमेंट क्षेत्र, रांची, झारखण्ड के लिए छत के वर्षा जल संचयन के लिए परियोजना प्रस्ताव
25.	केरल	मैटियल कॉलोनी, तालीपराम्बा तालुक, कन्नुर, केरल में छत के वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम प्रस्ताव
26.	मध्य प्रदेश	नर्मदा जल आपूर्ति, पीएचईडी कॉलोनी, भूसाखेड़ी, इन्दौर में छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक परियोजना
27.	मध्य प्रदेश	देवास शहर, देवास जिला, मध्य प्रदेश लिए छत के वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
28.	महाराष्ट्र	पंचायत समिति कार्यालय परिसर, वरूद जिला, अमरावती, महाराष्ट्र में छत के वर्षा जल का संचयन
29.	महाराष्ट्र	के आई टी एस कैम्पस, रामटेक, महाराष्ट्र में छत के वर्षा जल का संचयन
30.	मेघालय	शिलांग शहर, मेघालय में छत के वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
31.	मिजोरम	मिजोरम में छत के वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
32.	नई दिल्ली	मीरा बाई पालीटेक्निक परिसर, महारानी बाग, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम
33.	नई दिल्ली	प्रेसीडेन्ट इस्टेट, नई दिल्ली के लिए कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम
34.	नई दिल्ली	वायुसेनाबाद, एयरफोर्स स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम

1	2	3
35.	नई दिल्ली	प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम
36.	नई दिल्ली	श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
37.	नई दिल्ली	लक्ष्मण स्कूल, नई दिल्ली में छत के वर्षाजल का संचयन
38.	नई दिल्ली	सेना भवन, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम
39.	नई दिल्ली	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली मे भूजल के लिए कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम
40.	नई दिल्ली	डी-ब्लॉक, बसन्त विहार, नई दिल्ली के पार्क में कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम
41.	नई दिल्ली	5-जनपथ रोड, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम
42.	नई दिल्ली	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण
43.	नई दिल्ली	ग्रुप हाउसिंग फार अभियान सी जी एच एस लिमिटेड, प्लॉट-15, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम
44.	नई दिल्ली	सुल्तानगढ़ी टौम्ब, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण
45.	नई दिल्ली	रयान इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-सी, पाकेट-8, वसंतकुंज, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण।
46.	नई दिल्ली	डी टी सी केन्द्रीय कार्यशाला, ओखला, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम
47.	नागालैंड	कोहिमा और मोकोकचुंग नगर, नागालैंड में बहुउद्देश्यीय उपयोग के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की परियोजना
48.	नागालैंड	मोकोकचुंग नगर, नागालैंड में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन
49.	नागालैंड	रेंग्मा क्षेत्र, नागालैंड में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन और भंडारण
50.	उड़ीसा	हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट बिल्डिंग डेल्टा स्क्वायर, भुवनेश्वर के परिसर में कृत्रिम पुनर्भरण के अनुप्रयोग के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन की प्रायोगिक परियोजना स्कीम
51.	उड़ीसा	राजभवन क्षेत्र, भुवनेश्वर में वर्षा जल संचयन/छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन की स्कीम
52.	राजस्थान	मुख्यमंत्री के आवास, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन
53.	राजस्थान	गवर्नर हाउस, राजभवन, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन
54.	राजस्थान	राजस्थान, उच्च न्यायालय, जयपुर में छत पर गिरने वाले/पेवमेंट पर वर्षा जल प्रवाह संचयन संरचनाएं
55.	राजस्थान	भारतीय रिजर्व बैंक, राम बाग सर्कल, जयपुर, राजस्थान में छत पर/पेवमेंट पर वर्षा जल प्रवाह संचयन
56.	राजस्थान	विट्टा भवन, जयपुर, राजस्थान में छत पर/पेवमेंट पर वर्षा जल प्रवाह संचयन
57.	राजस्थान	ए आर ई सी, संस्थागत भवन, जयपुर के छत पर प्रवाह संचयन कृत्रिम पुनर्भरण संरचना का भाग
58.	राजस्थान	राज्य सचिवालय (भाग 1 व भाग 2) जयपुर में छत पर/पेवमेंट पर वर्षा जल प्रवाह संचयन संरचनाएं

1	2	3
59.	राजस्थान	पी एच ई डी, मुख्य कार्यालय (नई बिल्डिंग), जयपुर, राजस्थान के परिसर में परियोजना डिजाइन की संकल्पना योजना और छत पर/पेवमेंट पर गिरने वाले वर्षा जल प्रवाह संचयन संरचना का क्रियान्वयन
60.	राजस्थान	कलेक्टरेट (आई) जयपुर, राजस्थान में परियोजना डिजाइन की संकल्पना योजना और छत पर/पेवमेंट पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन संरचना का क्रियान्वयन
61.	राजस्थान	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के कार्यालय भवन, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए छत पर/पेवमेंट पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की स्कीम
62.	राजस्थान	सिंचाई भवन, जयपुर में छत पर/पेवमेंट पर वर्षा जल प्रवाह संचयन
63.	राजस्थान	आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल (ओटीएस, नेहरू भवन), जयपुर, राजस्थान में परियोजना डिजाइन की संकल्पना और छत पर/पेवमेंट पर गिरने वाले वर्षा जल प्रवाह संचयन संरचनाएं
64.	राजस्थान	प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कालेज, उदयपुर, राजस्थान में कृत्रिम पुनर्भरण
65.	राजस्थान	भूजल विभाग बिल्डिंग परिसर, जयपुर, राजस्थान में छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन संरचना
66.	तमिलनाडु	कलेक्टरेट कम्पलेक्स, रामनाथ पुरम, तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन के क्रियान्वयन की स्कीम का प्रस्ताव।
67.	तमिलनाडु	सेण्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम
68.	तमिलनाडु	उडुमलपेट टाक, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में अरासुर के निकट कोसाबाम्पालायम में एक तालाब का निर्माण
69.	उत्तर प्रदेश	110 इंजीनियर रेजि. द्वारा 56 ए वी ओ, लखनऊ में भूजल के पुनर्भरण के वास्ते वर्षा जल संचयन के लिए स्कीम
70.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ शहर, उत्तर प्रदेश में तूफानी वर्षा जल अपवाह के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीम
71.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ विश्वविद्यालय के नए परिसर, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में छत के वर्षा जल संचयन द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव
72.	उत्तर प्रदेश	जल निगम कालोनी, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में छत के वर्षा जल संचयन द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव
73.	उत्तर प्रदेश	भूजल भवन, लखनऊ में छत के वर्षा जल संचयन द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना प्रस्ताव
74.	उत्तर प्रदेश	विकास भवन, इलाहाबाद में छत के वर्षा जल का संचयन
75.	उत्तर प्रदेश	संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में छत के वर्षा जल का संचयन
76.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ में सात स्थलों पर छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से कृत्रिम पुनर्भरण
77.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती क्षेत्र, बोलपुर, पश्चिम बंगाल के भूजल संसाधनों (अबाधित उथले जल-भृत्त) पर छत के वर्षा जल संचयन के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन।

पेस्टनाशी द्वारा फसलों को क्षति

2054. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न स्थानों, विशेषकर बिहार के टाल और दियारा क्षेत्रों में पेस्टनाशकों द्वारा फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या की राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषणा की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हानि की क्षतिपूर्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सस्यगत क्षेत्र की विशालता को देखते हुए, देश के विभिन्न स्थानों विशेषकर बिहार के टाल और दिआरा क्षेत्रों में कृमियों द्वारा हुई क्षति नगण्य है।

(ख) और (ग) कृमियों द्वारा फसलों को होने वाली क्षति को संघीय भारत के ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में विकृत पशुधन

2055. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती ग्रामों के पशुधन की संख्या में भारी कमी आई है जैसाकि 21 जून, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जीविका का मुख्य स्रोत, विशेषकर पंजाब, जम्मू और राजस्थान और विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पशुधन का पालन-पोषण है;

(घ) क्या अधिकतर पशु अपने मालिकों के लिए बेकार हैं क्योंकि वे पशु अपंग और विकृत हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पशुधन के नुकसान और सीमावर्ती गरीब लोगों पर इसके प्रभाव का मौके पर अध्ययन शुरू कराया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके अस्तित्व के लिए कुछ विशेष पैकेज देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिकों की पहचान

2056. श्री अम्बरीश:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उद्योगों/संगठनों में बाल श्रमिकों की पहचान और वहां से बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की दिशा में किन-किन राज्यों में बड़े कदम उठाए हैं;

(ख) क्या अनेक राज्य निधियों की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन्होंने बाल श्रमिकों की पहचान करने एवं उनको मुक्त कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, उक्त

अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध 13 व्यवसायों तथा 57 प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य की 1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 465 में सर्वोच्च न्यायालय में जुलाई, 2001 में दायर किए गए शपथ पत्र (एफीडेविट) के अनुसार, खतरनाक व्यवसायों में पहचान किए गए कामकाजी बच्चों की संख्या के बारे में राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1995-97 के दौरान 133 बाल श्रम बहुल जिलों में से प्रत्येक जिले को बाल श्रम की बुराई के संबंध में सर्वेक्षण कराने तथा जागरूकता लाने के उद्देश्य से क्रमशः 1.95 लाख रुपए तथा 5.00 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी।

(ग) भारत सरकार, कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना नामक दो योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत मुख्य कार्यकलाप, कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल/केन्द्र संचालित किया जाना है। परियोजना वाले क्षेत्र में जागरूकता लाने संबंधी कार्यकलाप चलाये जाते हैं। परियोजना से पूर्व एक सर्वेक्षण किया जाता है। कार्य से हटाए गए लगभग 2.11 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए बाल श्रम बहुल राज्यों में 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

बाल श्रमिकों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खतरनाक व्यवसायों में	गैर-खतरनाक व्यवसायों में	कुल
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	7769	39000	46769
2. अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	38	38
3. अरुणाचल प्रदेश	24	1095	1119
4. असम	4	6102	6106
5. बिहार	21281	27761	49042
6. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	150	150
7. छत्तीसगढ़	996	632	1628
8. दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	शून्य	शून्य
9. दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	शून्य	शून्य
10. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	10	1071	1081
11. गोवा	35	74	109
12. गुजरात	1417	172	1589
13. हरियाणा	6	2813	2819
14. हिमाचल प्रदेश	83	231	314
15. जम्मू एवं कश्मीर	19818	4417	24235

1	2	3	4
16. झारखंड	3570	6375	9945
17. कर्नाटक	3006	39459	42465
18. केरल	1081	8986	10067
19. लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	शून्य	शून्य
20. मध्य प्रदेश	10226	2893	13119
21. महाराष्ट्र	1023	20391	21414
22. मणिपुर	शून्य	589	589
23. मेघालय	शून्य	16	16
24. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
25. नागालैण्ड	शून्य	2076	2076
26. उड़ीसा	23761	191461	215222
27. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	617	617
28. पंजाब	91	3523	3614
29. राजस्थान	3026	5064	8090
30. सिक्किम	शून्य	38	38
31. तमिलनाडु	9270	10609	19879
32. त्रिपुरा	11	264	275
33. उत्तर प्रदेश	27276	29304	56580
34. उत्तरांचल	121	1326	1447
35. प. बंगाल	464	15792	16256
कुल (अनंतिम)	133905	406547	540452

प्रधान मंत्री का विमान उतरने में कठिनाई

2057. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 2002 के 'द हिन्दू' में 'द ट्रबुलसम लैंडिंग फार पीएम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसा किन कारणों से हुआ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई है, की गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 28 जून, 2002 को उपकरण अवतरण प्रणाली (आई.एल.एस.) की सुविधा युक्त इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 10 पर प्रधान मंत्री की उड़ान से पहले अवतरित होने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आई सी-903 ने स्थानीकारक संकेतक के बारे में शिकायत किया। तत्पश्चात आई.एल.एस. को मुख्य स्थान से हटाकर स्टैंड-बाई में बदला गया और आई.सी.-658 ने कुछ सेकण्डों तक सिग्नल अवरुद्ध होने की रिपोर्ट की। ये दो अंतर उपकरण अवतरण प्रणाली की सहनीय सीमा के भीतर थे। यद्यपि सुविधा के सामान्य प्रचालन की पुन: अभिपुष्टि हेतु ग्राउंड चैक पठन लेने के लिए रन वे 10 पर से उपकरण अवतरण सुविधा हटा ली गई। पालम में काफी संख्या में विमानों के उतरने के कारण ग्राउंड चैक करने में कुछ समय लग गया और ग्राउंड चैक पूरा होने के बाद इस सुविधा को फिर से चालू कर दिया गया। रन वे 10 पर आई.एल.एस. की अनुपलब्धता के कारण किसी भी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपनी उड़ान अनुसूची में संशोधन नहीं किया था और किसी भी उड़ान के आगमन और प्रस्थान में कोई देरी नहीं हुई थी। आई.एल.एस. उपलब्ध नहीं होने पर किसी विमान के अवतरण हेतु वैकल्पिक उपकरण कार्यविधि है। इस मामले में, प्रधान मंत्री जी के विमान को रन वे 10 पर डी.वी.ओ.आर./डी.एम.ई. एप्रोच के लिए रडार द्वारा दिशा भान कराया गया। इस विमान को उचित प्राथमिकता दी गई और बिना किसी देरी के अवतरण कराया गया।

(घ) से (च) इस घटना की जांच कराई गई। निष्कर्ष यह निकला कि स्थानीकरण संकेतक में अंतर के बारे में विमान चालकों से कुछ रिपोर्ट मिलने के कारण आई.एल.एस. सुविधा हटा ली गई थी। यद्यपि यह अंतर आई.एल.एस. की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर था। अनुचित तरीके से आई.एल.एस. सुविधा हटाए जाने के कारण दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2

2058. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चौड़ा करने के संबंध में अधिगृहीत की गई भूमि के लिए किसानों एवं अन्यों को मुआवजे के भुगतान हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सार्वजनिक संस्थाओं अथवा अन्य व्यक्तियों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चौड़ा करने और इसे चार लेनों में परिवर्तित करने के दौरान मिडियन ओमनिश के निर्माण के समय सार्वजनिक संस्थाओं को भी ध्यान में रखा गया है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 को चौड़ा करने हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए किसानों और अन्य व्यक्तियों को मुआवजे का निर्धारण, यथास्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1997/भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। मुआवजे की दर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित अधिनियम के प्रावधान और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस तरह निर्धारित राशि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उसके निपटारे पर छोड़ दी जाती है। तत्पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, प्रभावित व्यक्तियों को राशि का भुगतान करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-2 के अनेक खंडों पर किसानों को पहले ही भुगतान कर दिया गया है। शेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण शीघ्र कराने और मार्च, 2003 तक उनका भुगतान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में नौरमई के समीप एक स्कूल के लिए माध्यिका में खुला स्थान छोड़ने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि समीप में ही माध्यिका खुली हुई थी और माध्यिका में अनेक निकट स्थानों पर खुला स्थान छोड़ना सुरक्षा के लिए खतरा है।

राजमार्गों की मरम्मत के लिए निधियां

2059. श्री मानसिंह पटेल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दो, चार, छह और आठ लेन वाले राजमार्गों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उपर्युक्त राजमार्गों की मरम्मत पर राज्य-वार कितनी निधियां खर्च की गई;

(ग) इस समय खराब स्थिति में कौन-कौन से राजमार्ग हैं;

(घ) इनकी मरम्मत कब तक कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) इस संबंध में क्या मापदंड अपनाए गए?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जेरनल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) संभवत: राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जानकारी मांगी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लेनवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए धनराशि के आबंटन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंड ऐसे हैं जिनमें अतिरिक्त अनुरक्षणों प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार ने सन् 1999 से विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। लगभग 23,000 कि.मी. लंबाई में गुणता में अब तक सुधार कर दिया गया है। शेष राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में अगले दो वर्षों में सुधार कर दिए जाने का लक्ष्य है। सड़क गुणता सुधार कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर शुरू किये जाते हैं।

विवरण I

(लंबाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जिसमें इकहरी/ मध्यम लेन का मार्ग है	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जिसमें दो लेन का मार्ग है	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जिसमें 4/8 लेन का मार्ग है
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4038	348	3617	73
2.	अरुणाचल प्रदेश	392	392	0	0
3.	असम	2836	848	1988	0
4.	बिहार	3502	2196	1291	15
5.	चंडीगढ़	24	0	11	13
6.	छत्तीसगढ़	1774	891	877	6
7.	दिल्ली	72	0	0	72
8.	गोवा	269	121	148	0
9.	गुजरात	2461	0	1954	507
10.	हरियाणा	1361	555	456	350
11.	हिमाचल प्रदेश	1188	825	363	0
12.	जम्मू और कश्मीर	823	97	726	0
13.	झारखंड	1413	829	541	43

1	2	3	4	5	6
14.	कर्नाटक	3570	1617	1848	105
15.	केरल	1440	516	890	34
16.	मध्य प्रदेश	4664	1396	3217	51
17.	महाराष्ट्र	3626	314	3092	220
18.	मणिपुर	954	734	211	9
19.	मेघालय	717	428	289	0
20.	मिजोरम	927	927	0	0
21.	नागालैंड	369	268	101	0
22.	उड़ीसा	3301	1603	1665	33
23.	पांडिचेरी	53	0	53	0
24.	पंजाब	1553	0	1389	164
25.	राजस्थान	4597	1716	2632	249
26.	सिक्किम	62	62	0	0
27.	तमिलनाडु	3748	367	3292	99
28.	त्रिपुरा	400	400	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	4942	581	4189	172
30.	उत्तरांचल	1075	760	315	0
31.	पश्चिम बंगाल	1951	505	1361	85
	जोड़	58112	19296	36516	2300

नोट––8 लेन वाला कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

विवरण II

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5413.75	4220.04
2.	असम	4778.92	4149.18
3.	बिहार	6448.55	4516.12
4.	चंडीगढ़	44.54	46.00
5.	छत्तीसगढ़	1180.00	2419.99
6.	दिल्ली	82.00	102.00
7.	गोवा	605.53	400.00
8.	गुजरात	2457.79	2582.17

1	2	3	4
9.	हरियाणा	1953.49	1942.17
10.	हिमाचल प्रदेश	3351.03	1992.42
11.	जम्मू और कश्मीर	284.42	85.92
12.	झारखंड	960.84	1999.56
13.	कर्नाटक	4683.83	3943.45
14.	केरल	3340.03	2335.64
15.	मध्य प्रदेश	8634.19	6082.43
16.	महाराष्ट्र	4295.00	5291.00
17.	मणिपुर	824.49	936.05
18.	मेघालय	1016.71	1134.65
19.	मिजोरम	981.43	499.53
20.	नागालैंड	361.25	203.05
21.	उड़ीसा	4776.99	4888.17
22.	पांडिचेरी	182.10	85.29
23.	पंजाब	2085.62	2525.97
24.	राजस्थान	4104.10	4468.55
25.	तमिलनाडु	5380.57	4544.78
26.	उत्तर प्रदेश	6076.50	6619.14
27.	उत्तरांचल	459.30	1068.36
28.	पश्चिम बंगाल	5374.80	4202.77

[अनुवाद]

बीमार पशुओं की संख्या

2060. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और अन्य देशों में पशुओं और मनुष्यों की संख्या का तुलनात्मक अनुपात का आंकड़ा कितना है;

(ख) क्या सरकार बीमार पशुओं की संख्या के आंकड़े रखती है;

(ग) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत तथा अन्य देशों में पशु तथा जनसंख्या के बीच अनुपात के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रोग नियंत्रण सहित पशुपालन राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता प्रदान करके रोग-नियंत्रण में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। तथापि, ''पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता'' नामक पशु रोग निगरानी घटक योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें विभाग को मासिक आधार पर केवल संक्रामक/सांसर्गिक रोगों की घटनाओं तथा प्रभावित पशुओं के बारे में सूचना भेजती है। इस सूचना के अनुसार देश में 2001 के दौरान विभिन्न संक्रामक/सांसर्गिक रोगों के कारण कुल 278153 पशु प्रभावित हुए हैं।

विवरण

भारत और अन्य देशों में पशुधन तथा जनसंख्या का अनुपात

देश	जनसंख्या अनुमान (मिलियन में)	कुल पशुधन (मिलियन में)	पशुधन और जनसंख्या का अनुपात
1	2	3	4
चीन	1282.44	867.49	0.68
भारत	1008.94	513.50	0.51

1	2	3	4
संयुक्त राज्य अमेरिका	283.23	171.24	0.60
इंडोनेशिया	212.09	39.93	0.19
ब्राजील	170.41	235.09	1.38
रूस फेडरेशन	145.49	63.32	0.44
पाकिस्तान	141.26	121.30	0.86
बंगलादेश	137.44	59.96	0.44
जापान	127.10	14.46	0.11
नाइजीरिया	113.86	70.71	0.62
मैक्सिको	98.87	74.11	0.75
जर्मनी	82.02	43.42	0.53
वियतनाम	78.14	27.89	0.36
फिलीपींस	75.65	23.41	0.31
ईरान इस्लामी गणराज्य	70.33	89.03	1.27
मिस्र	67.88	18.05	0.27
तुर्की	66.67	49.64	0.74

जनसंख्या तथा उनकी पशुधन संख्या के अनुसार प्रथम 15 देशों को आंकड़े तैयार करने के लिए लिया गया है।
पशुधन में शामिल है गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े, खच्चर, गधे तथा ऊंट।
स्रोत : एफ.ए.ओ. स्टेट डेटाबेस, वर्ष 2000

[हिन्दी]

दिल्ली में बटरफ्लाई पार्क

2061. श्री रामपाल सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सिंगापुर की तर्ज पर किसी बटरफ्लाई पार्क की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पार्क पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को अवगत कराया है कि वह दिल्ली में एक बटरफ्लाई पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा अनुमानित लागत लगभग 150.00 लाख रुपए बताई गई है और इसके पूरा होने की प्रस्तावित अवधि, परियोजना के प्रारंभ होने से लगभग 18 महीनों की है।

पारिस्थितिकी पर्यटन

2062. श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री पी.आर. खूंटे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण एवं वनों का संरक्षण करने के उद्देश्य से पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई पर्यटन नीति 2002 में, पारिस्थितिकीय पर्यटन पर अधिकाधिक बल दिया गया है जिसके पैरामीटरों को केवल प्राकृतिक पर्यटन की तुलना में व्यापक किए जाने की आवश्यकता है। इससे गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी खत्म करने, नए कौशल (दस्तकारी) के सृजन, महिलाओं के स्तर में वृद्धि, सांस्कृतिक हैरिटेज के संरक्षण, जनजातीय और स्थानीय शिल्पों को प्रोत्साहित करने तथा समग्र पर्यावरण में सुधार करने एवं न्याय और उचित सामाजिक व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने में मदद होगी।

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज

2063. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चार महानगरों को जोड़ने वाले राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज के सर्वेक्षण एवं जोड़ने की दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई;

(ख) क्या पूर्वी और पश्चिम एक्सप्रेस मार्ग से चतुर्भुज बनता है; और

(ग) यदि हां, तो इन एक्सप्रेस मार्गों को किस हद तक जोड़ा जा सका है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के लिए सर्वेक्षण और संरेखण पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और इलाहाबाद बाइपास (84 कि.मी. खंड) को छोड़कर सभी ठेके सौंप दिए गए हैं।

(ख) और (ग) संभवत: दिल्ली के चारों ओर पश्चिमी और पूर्वी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग से संबंधित जानकारी मांगी गई है, जो शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल ने इन एक्सप्रेस मार्गों के लिए संरेखण निर्धारित कर दिया है। पश्चिमी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग का प्रस्तावित संरेखण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा से गुजरता है, जबकि पूर्वी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग का प्रस्तावित संरेखण हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गुजरता है।

नया संगरोध विधेयक

2064. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी नये संगरोध विधेयक को पुर:स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में परीक्षण एवं पहचान की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त अनेक जीवों का आयात हुआ है जिससे कृषि की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो संगरोध विधेयक को लाने से इस स्थिति पर किस सीमा तक काबू पाया जा सकेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) एक पृथक संगरोध विधेयक के माध्यम से एक संगरोध प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव था किन्तु इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) अपर्याप्त परीक्षण एवं जांच सुविधाओं के कारण बाहर से किसी कीट का प्रवेश नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटर वाहन अधिनियम में बार-बार परिवर्तन करना

2065. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 1 जुलाई, 2002 से मोटर वाहनों की नंबर प्लेटों को बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 28 फरवरी, 2003 से पुन: मोटर वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा वाली मोटर प्लेटों को लगाने को शुरू करने/लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जब वर्तमान नंबर प्लेटों को पुन: बदला जाना है तो इस पूरी प्रक्रिया को करने का क्या कारण हैं जिससे आम जनता पर वित्तीय भार पड़ेगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) नए वाहनों के संबंध में नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की शुरूआत अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन 28 फरवरी, 2003 से लागू होगा। पहले से ही पंजीकृत वाहनों के मामले में दो वर्ष आगे तक का समय दिया गया है और उसके बाद नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवानी है। नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाने का कार्य लंबित होने की स्थिति में विद्यमान पंजीकृत प्लेटों पर रंग स्कीम में परिवर्तन अर्थात् परिवहन वाहनों के मामले में पीले धरातल पर काले रंग में अक्षर और अंक तथा अन्य वाहनों के मामले में सफेद धरातल पर काले रंग में अक्षर और अंक क्रमश: 1 फरवरी, 2002 और 1 जुलाई, 2002 को अथवा पहले अनिवार्य बनाया गया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि नई रंग स्कीम में अधिकतम पूर्व-परावर्तिता और दृश्यता है तथा यह सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता

2066. श्री रामशकल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संगठन-वार और योजना-वार उत्तर प्रदेश और बिहार को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्राम स्तर पर इन योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) निम्नलिखित स्कीमों से गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार;
- गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्र;
- बागवानी में मानव संसाधन विकास;
- मधुमक्खी पालन में विकास;
- वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता।

(ख) विस्तार और कृषि विज्ञान केन्द्र संबंधी स्कीमों से संबंधित ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रमों का नियोजन और आयोजन—किसानों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, आन-फार्म परीक्षण, अध्ययन दौरों, आदि पर संकेन्द्रण।
- भौतिक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त करना।
- कार्यशालाओं/सेमिनारों और अन्तर-विषयी दलों के दौरों के माध्यम से वार्षिक समीक्षाएं आयोजित करना।

विवरण-I

स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार स्कीम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों (1999-2000 से 2001-2002) के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के गैर-सरकारी संगठनों को निधियों की निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	सहायक अनुदान के रूप में निर्मुक्त निधि			योग
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1	2	3	4	5	6
1.	**उत्तर प्रदेश**				
1.	वनवासी सेवा आश्रम सोनभद्रा (उ.प्र.)	4.26	4.50	–	8.76
2.	ज्योति ग्रोमोद्योग संस्थान, गन्गोह, सहारनपुर (उ.प्र.)	5.00	5.00	5.00	15.00

1	2	3	4	5	6
3.	ग्राम विकास समिति, जिला देवरिया, (उ.प्र.)	–	5.00	5.00	10.00
4.	स्वामी कल्याण देव ग्रामोत्थान समिति, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)	–	5.00	5.00	10.00
5.	एक्शन फार ग्रीन अर्थ, बागपत (उ.प्र.)	5.00	5.00	5.00	15.00
	योग	14.26	24.50	20.00	58.76
2. बिहार					
1.	ग्राम निर्माण मंडल, नवादा (बिहार)	–	5.00	4.99	9.99
2.	ग्रामीण विकास केन्द्र, जिला नालन्दा (बिहार)	–	5.00	5.00	10.00
3.	मुजफ्फरपुर जनहित प्रतिष्ठान, मुजफ्फरपुर (बिहार)	–	5.00	5.00	10.00
	योग	–	15.00	14.99	29.99

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में गैर-सरकारी संगठनों के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों को निर्मुक्त राशि

क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और पता	मेजबान संगठन	निर्मुक्त राशि (1999-2000 से 2001-2002)
1	2	3	4
बिहार (4)			
1.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र पी.ओ. सोखोदेवरिया नवादा-805106	महा सचिव, ग्राम निर्माण मंडल आश्रम, सोखोदेवरिया, नवादा-805106 (बिहार)	77.93
2.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वनवासी सेवा केन्द्र, पी.ओ. अधौरा, भभुआ-821116	अध्यक्ष, वनवासी सेवा केन्द्र, अधौरा भभुआ-821116	47.39
3.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती खादीग्राम, खादीग्राम पी.ओ. जामुई-811313	अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम, जामुई-811313	52.80
4.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वी.पी.ओ. बसैठ, चांदपुरा, मधुबनी-847102	अध्यक्ष, एस.के. चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली	63.49
	कुल		241.61

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश (7)			
5.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत कमला नेहरू मैमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर-228118 (उ.प्र.)	सचिव, कमला नेहरू मैमोरियल ट्रस्ट सुल्तानपुर-228118 (उ.प्र.)	94.92
6.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र जयप्रभा, ग्राम-गोपालग्राम, खारगु चांदपुर गांधी पार्क, गोंडा-271001	अध्यक्ष, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	88.50
7.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गानीवान, बांदा-210206 (उ.प्र.)	-तदैव-	72.00
8.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र सोहना, सिद्धार्थनगर-272193 (उ.प्र.)	सचिव, लिओन्ड टेल एरिया डेवलेपमेंट सोसायटी, सोहना, सिद्धार्थनगर-272193 (उ.प्र.)	85.50
9.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उन्नाव*	अध्यक्ष, कुंवर रामबेक्स सिंह शिक्षा समिति, दौसा, हासनगंज, उन्नाव	60.85
10.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रतापगढ़*	अध्यक्ष, राजा अवधेश सिंह मैमोरियल सोसायटी, एन्थन (कलाकंकर) प्रतापगढ़	53.45
11.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गाजीपुर*	पी.जी. कालेज, गाजीपुर	6.30
	कुल		461.52

*नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्र।

[अनुवाद]

विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चलाई जा रही विमान सेवा

2067. डा. जयन्त रंगपी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी को केन्द्र मानते हुए विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यात्री विमानों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस प्रकार की विमान सेवा कब तक मिल पायेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस के लिए छह 50 सीटों वाले ए.टी.आर. 42-500 विमान खरीदने के प्रस्ताव पर जून, 1999 में सरकार द्वारा विचार किया गया। किंतु प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसलिए सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को लीज के आधार पर इन विमानों के अर्जन की संभावनाओं को तलाशने का परामर्श दिया। वर्तमान में, इंडियन एयरलाइंस ए.टी.आर. 42-320 विमानों की ड्राई लीज की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है।

व्यादीगी किस्म की मिर्च का मूल्य

2068. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मिर्च के किसान व्यादीगी किस्म की मिर्च के मूल्य में अचानक आई भारी गिरावट से परेशान हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन किसानों जिन्होंने काफी ऋण लिया हुआ है और वह अपनी अतिरिक्त पैदावार को बेच नहीं पा रहे हैं को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मिर्च उगाने वाले किसान परेशान नहीं हैं क्योंकि मिर्च के इस समय चल रहे मूल्य किसानों के लिए लाभकारी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

फर्जी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र

2069. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकृत वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र फर्जी प्रमाण-पत्र जारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदूषण की जांच करने वाले प्राधिकारियों ने फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले इन प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों का औचिक निरीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जुलाई, 2002 के पहले सप्ताह के दौरान समाचार-पत्रों के कुछ भागों में यह सूचित किया गया कि दिल्ली में कुछ प्रदूषण जांच केन्द्र, बिना जांच किए वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण में होने संबंधी प्रमाण-पत्र (पी.यू.सी.) जारी कर रहे थे।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने 4 और 6 जुलाई, 2002 के बीच, अपने गश्ती प्रवर्तन दल के माध्यम से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों पर आकस्मिक जांच की। आकस्मिक जांच से पता चला कि प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र, प्रदूषण जांच करने के बाद ही जारी कर रहे थे।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अनाचार को रोकने के लिए समय-समय पर प्रदूषण जांच केन्द्रों की आकस्मिक जांच कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

2070. श्रीमती जसकौर मीणा :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस पर कितना खर्च हुआ;

(ग) 2002-2003 के दौरान निर्माण के लिए प्रस्तावित नए पुलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पुलों का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नए पुलों के निर्माण का राज्य-वार, स्थान-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(छ) इनमें से प्रत्येक पुलों का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) 325

(ख) केवल कुल परियोजनाओं के लिए व्यय दर्शाना संभव नहीं है क्योंकि उनमें से अनेक परियोजनाएं सड़क सुधार परियोजनाओं का हिस्सा हैं।

(ग) और (घ) वार्षिक योजना 2002-03 में सम्मिलित बड़े और छोटे पुलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। उनके पूरे होने की तारीखें बता पाना अभी संभव नहीं है।

(ङ) और (च) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृति के लिए पुलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

10वीं योजना में पुलों के निर्माण के लिए प्रदान की गई कुल अनुमानित लागत 2447 करोड़ रु. है।

(छ) इन पुलों के पूरे होने की तारीखें बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुनर्निर्माण/नव निर्माण	
		बड़े पुलों की संख्या	छोटे पुलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	2	2
4.	बिहार	14	5
5.	चंडीगढ़	0	1
6.	छत्तीसगढ़	2	13
7.	दिल्ली	0	0
8.	गोवा	1	0
9.	गुजरात	0	0
10.	हरियाणा	3	1
11.	हिमाचल प्रदेश	7	10
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0
13.	झारखंड	5	6
14.	कर्नाटक	4	8
15.	केरल	2	0
16.	मध्य प्रदेश	0	0
17.	महाराष्ट्र	1	39
18.	मणिपुर	2	6
19.	मेघालय	4	9
20.	मिजोरम	3	1
21.	नागालैंड	0	0
22.	उड़ीसा	4	11
23.	पांडिचेरी	1	1
24.	पंजाब	1	7
25.	राजस्थान	4	3
26.	तमिलनाडु	2	9
27.	त्रिपुरा	1	0
28.	उत्तर प्रदेश	7	18
29.	उत्तरांचल	6	5
30.	पश्चिम बंगाल	0	5

उपर्युक्त ब्यौरों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क सड़कों के अंतर्गत चार/छह लेन के बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल शामिल नहीं है क्योंकि पुलों का निर्माण सामान्यत: 4/6 लेन की सड़क परियोजनाओं के भाग के रूप में किया जा रहा है।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुनर्निर्माण/नव निर्माण	
		बड़े पुलों की संख्या	छोटे पुलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	43	43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	2	2
4.	बिहार	31	50
5.	चंडीगढ़	2	1
6.	छत्तीसगढ़	19	74
7.	दिल्ली	1	0
8.	गोवा	2	0

1	2	3	4
9.	गुजरात	4	0
10.	हरियाणा	7	0
11.	हिमाचल प्रदेश	97	10
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0
13.	झारखंड	26	62
14.	कर्नाटक	12	161
15.	केरल	4	13
16.	मध्य प्रदेश	16	25
17.	महाराष्ट्र	15	0
18.	मणिपुर	2	6
19.	मेघालय	12	55
20.	मिजोरम	3	1
21.	नागालैंड	0	0
22.	उड़ीसा	10	29
23.	पांडिचेरी	3	3
24.	पंजाब	1	23
25.	राजस्थान	7	0
26.	तमिलनाडु	26	45
27.	त्रिपुरा	1	0
28.	उत्तर प्रदेश	7	18
29.	उत्तरांचल	11	5
30.	पश्चिम बंगाल	0	3

उपर्युक्त ब्यौरों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क सड़कों के अंतर्गत चार/छह लेन के बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल शामिल नहीं हैं क्योंकि पुलों का निर्माण सामान्यत: 4/6 लेन की सड़क परियोजनाओं के भाग के रूप में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति

2071. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं की प्रतिशतता को वर्तमान दो प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने हेतु कोई नयी राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए सरकार कितना निवेश करेगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) एक खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा तैयार किया गया है।

(ख) मसौदा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल वातावरण के सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, खेत स्तर पर लिंकेज आदि का उल्लेख है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश अनिवार्यत: निजी स्त्रोतों, जिसमें घरेलू और विदेशी निजी स्त्रोत शामिल हैं, से आना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण को सुकर बनाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को वित्तीय सहायता देता है।

[अनुवाद]

पश्चिमी-उत्तरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2072. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिमी-उत्तरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार/राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गईं; और

(ग) उक्त राजमार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रियां है।

(ख) धनराशि का आबंटन राज्य-वार किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	धनराशि का आबंटन (लाख रु.)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5707.87	11188.26	10379.7
2.	असम	4239.32	5253.64	7605.19
3.	बिहार	6117.52	6927.56	6532
4.	चंडीगढ़	100	144	150
5.	छत्तीसगढ़	0.00	1227.8	3228
6.	दिल्ली	700	483	600
7.	गोवा	1700.02	2300	2000
8.	गुजरात	8851.9	9099.97	7042.710
9.	हरियाणा	1000	10100	10388.47
10.	हिमाचल प्रदेश	4000	4415	5500
11.	जम्मू और कश्मीर	100	250	230
12.	झारखंड	0.00	2200	3500
13.	कर्नाटक	6113.84	8104	10947.56
14.	केरल	12837.07	8978.03	9261.56
15.	मध्य प्रदेश	12334.8	13472.11	9099
16.	महाराष्ट्र	17808.08	21236.2	19371.95
17.	मणिपुर	1014.15	851.31	1452.59
18.	मेघालय	1785.28	1708.34	2270
19.	मिजोरम	300	1000	2600
20.	नागालैंड	800	1500	1500

1	2	3	4	5
21.	उड़ीसा	9228.02	10046.89	7912.7
22.	पांडिचेरी	319.46	200	212
23.	पंजाब	5300.1	5365	6413
24.	राजस्थान	5214.02	8720	8746
25.	तमिलनाडु	6754.08	10342.21	9739
26.	त्रिपुरा	50	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	12647.45	14949.76	14662.88
28.	उत्तरांचल	0.00	199.35	2500
29.	पश्चिम बंगाल	8818.02	12800	8422.04

[अनुवाद]

हिमालय में झीलों पर अनुसंधान

2073. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय में झीलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोई अनुसंधान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने इसे रोक दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किसी यू.एन. निकाय के माध्यम से भारतीय हिमालय में झीलों पर कोई अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मसालों का उत्पादन/निर्यात

2074. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री रामसिंह कस्वां :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में मसालों की वार्षिक मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए मसालों का उनके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) मसालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन और सहायता दी गई और दिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में मसालों की मांग के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान देश में मसालों के उत्पादन के नवीनतम उपलब्ध अनुमान नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन में)
1998-1999	30.91
1999-2000	30.23
2000-2001	31.00 (अनन्तिम)

(ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान मसालों के निर्यात की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन में)	मूल्य (रुपये करोड़ में)
2000-2001	2.30	1612.07
2001-2002 (अनन्तिम)	2.45	1625.35

(ग) मसालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पौध सामग्री के उत्पादन, नर्सरियों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार, कीट और रोग प्रबंधन, जैव नियंत्रण एजेन्टों के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना, फील्ड प्रदर्शन प्लाटों के लिए सहायता मुहैया करायी गयी है और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रदर्शन-सह-परिणाम उद्यानों की स्थापना तथा रखरखाव तथा ''कृषि में वृहद् प्रबंध-कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्य प्रयासों का अनुपूरण/संपूरण'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण, सेमिनारों आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण किया गया। यह योजना राज्य सरकार को फसलों को प्राथमिकता देने तथा आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेप करने में लचीलापन प्रदान करती है। मसाला बोर्ड, इलायची और वैनीला के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पौध सामग्री के उत्पादन, पुनर्रोपण/नयी पौध रोपण, सिंचाई, बड़ी इलायची के लिए निम्न लागत ड्रायर तथा वैनीला के लिए तराई गृह हेतु भी समर्थन मुहैया कराता है।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी को प्रोत्साहन

2075. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर बिहार में मात्स्यिकी के प्रोत्साहन हेतु बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी निधियां जारी की गईं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत सरकार देश में ताजा जल जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (एफ.एफ.डी.ए.) के जरिए ''ताजा जल जलकृषि का विकास'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत बिहार में 33 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों सहित देश में स्थापना के लिए 429 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को मंजूरी प्रदान की गई है। विकासात्मक क्रियाकलाप जैसे नए तालाबों का निर्माण, तालाबों और टैंकों का नवीनीकरण, प्रथम वर्ष आदानें (मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, खाद, उर्वरक आदि) बहते जल में मत्स्य पालन, एकीकृत मत्स्य पालन, मत्स्य बीज हैचरियां, मत्स्य आहार मिलें, मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण आदि संबंधी खर्च भारत सरकार और राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजना के तहत जारी की गई धनराशि संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एफ.एफ.डी.ए. के माध्यम से ताजा जल जलकृषि के विकास के लिये जारी की गई निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	25.00	35.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
4.	बिहार	70.11	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	38.06	0.00	61.55
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	22.73	5.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	12.50
9.	कर्नाटक	31.24	0.00	0.00
10.	केरल	0.00	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	185.84	87.00	0.00
12.	महाराष्ट्र	40.00	184.46	0.00
13.	मणिपुर	0.00	43.47	0.00
14.	मेघालय	0.00	0.00	45.00
15.	मिजोरम	10.00	30.00	35.00
16.	नागालैण्ड	26.66	103.14	109.85
17.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
18.	पंजाब	0.00	50.00	0.00
19.	राजस्थान	0.00	0.00	17.26
20.	सिक्किम	3.50	5.86	3.64
21.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
22.	त्रिपुरा	31.00	40.00	71.68
23.	उत्तर प्रदेश	283.34	205.00	337.77
24.	पश्चिम बंगाल	140.25	333.99	358.96
25.	पांडिचेरी	0.32	2.32	0.00
26.	छत्तीसगढ़	0.00	35.00	21.48
27.	उत्तरांचल	0.00	27.07	0.00
28.	झारखण्ड	0.00	0.00	51.97
	कुल	868.32	1195.04	1166.76

राज्य राजमार्ग का उन्नयन

2076. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुज-कवाड़ा इंडिया ब्रिज-धरमशाला राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) गुजरात में राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए उक्त प्रस्ताव सहित 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अब नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंड के आधार पर समीक्षा के लिए ये प्रस्ताव जून, 2002 में राज्य सरकार को वापस लौटा दिए गए हैं। निधियों की कमी के कारण फिलहाल देश में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार, यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों में से कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों की खेती

2077. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जड़ी-बूटियों की खेती में सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) नौवीं योजना के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में 14.50 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से औषधीय और सुगंधित पौधों के विकास पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गयी थी। यह योजना सन् 2000-2001 से प्रभावी कार्य योजना के माध्यम से कृषि में वृहत् प्रबंध-राज्य प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मिला दी गयी है, जो कि आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को करने के लिए राज्य को लचीलापन प्रदान कराती है।

इस योजना के घटकों में गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री, जड़ी-बूटी उद्यानों की स्थापना और रख रखाव, नर्सरी केन्द्र, प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्लाटों की स्थापना, क्षेत्रीय विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं का रख-रखाव और प्रौद्योगिकी का अंतरण आदि शामिल हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म

2078. श्री रामजी मांझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार के लिए वर्ष 1997 में प्रदान की गई हजारों एकड़ जमीन वापस ले ली थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को आबंटित करने के लिए 7.5.1997 को लगभग 4028 एकड़ भूमि वापस ले ली थी।

(ग) कृषि मंत्रालय शेष भूमि के लिए पट्टे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से कार्रवाई कर रहा है।

सिंचित भूमि

2079. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में सिंचित भूमि में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए संकलित किए गए नवीनतम भूमि उपयोग गणनाओं के अनुसार राज्यवार निवल सिंचित संलग्न विवरण में दिया गया है। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता और किसानों द्वारा अपनाए गए फसल पद्धति के आधार पर निवल सिंचित क्षेत्र वर्ष-दर-वर्ष बदलता रहता है। विगत वर्षों के आंकड़ों से निवल सिंचित क्षेत्र में कमी के रुख का पता नहीं चला है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई के अधीन अधिक क्षेत्र शामिल करने संबंधी सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं पर विचार, आयोजना, अन्वेषण और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों की संसाधन की कमियों के कारण, वर्षों से कई सिंचाई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए, भारत सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 से राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है। विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमें जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम पर्वतीय राज्य, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल तथा तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिले भी शामिल हैं। ये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता की पात्र हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मार्च, 2002 के अंत तक राज्य सरकारों को 8480.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है, इसमें फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष (दो कार्य मौसमों) में पूरी की जा सकने वाली, निर्माण की उन्नत अवस्था वाली अभिज्ञात बृहद/मध्यम परियोजनाओं को 100% ऋण सहायता के रूप में मुहैया कराए गए 472.86 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विवरण

निवल सिंचित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	निवल सिंचित क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4395	3945	4538
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	36	36
3.	असम	572	572	572
4.	बिहार+झारखण्ड	3624	3508	3682
5.	गोवा	23	24	22
6.	गुजरात	3042	3058	3058
7.	हरियाणा	2755	2793	2842
8.	हिमाचल प्रदेश	105	103	103
9.	जम्मू व कश्मीर	313	309	309
10.	कर्नाटक	2325	2363	2492
11.	केरल	357	350	375

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	6309	6304	6560
13.	महाराष्ट्र	2567	2936	2946
14.	मणिपुर	65	65	65
15.	मेघालय	48	47	48
16.	मिजोरम	7	8	9
17.	नागालैण्ड	62	62	63
18.	उड़ीसा	2090	2090	2090
19.	पंजाब	3847	4004	4004
20.	राजस्थान	5588	5421	5499
21.	त्रिपुरा	35	35	35
22.	तमिलनाडु	2892	2945	3019
23.	उत्तर प्रदेश + उत्तरांचल	11999	12012	12691
24.	पश्चिम बंगाल	1911	1911	1911
25.	सिक्किम	16	16	16
26.	संघ राज्य क्षेत्र	66	69	70
	कुल	55049	54985	57053

गढ़मुक्तेश्वर का विकास

2080. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हरिद्वार की तर्ज पर देश में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों विशेषकर उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) दसवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के परामर्श से पर्यटन परिपथों एवं गंतव्यों के एकीकृत विकास हेतु, देश में सीमित संख्या में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ली जाने वाली उत्तर प्रदेश की पर्यटन परियोजनाओं को अभी तक अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

सुपारी के समर्थन मूल्य की घोषणा

2081. श्री टी. गोविन्दन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गोवा सरकार की घोषणा के अनुरूप सुपारी का समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलो घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आध्यात्मिक पर्यटन

2082. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अनन्त नायक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इसे बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, हां। आध्यात्मिक पुनर्योवन के लिए आने वाले, पर्यटकों की संख्या में संवर्धन की दृष्टि से आयुर्वेद, योग तथा चिन्तन जैसी एकान्तर चिकित्सा प्रणालियों के साथ संबंधित स्थानों में, पर्यटन के संवर्धन हेतु विशेष बल दिया जा रहा है।

भारत सरकार की गंतव्य विकास योजना के अन्तर्गत इन स्थानों का समग्र विकास किया जा रहा है।

विश्व पर्यटन के नक्शे पर केरल के पर्यटन केन्द्र

2083. श्री के. मुरलीधरन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व पर्यटन के नक्शे पर केरल के किन पर्यटन केन्द्रों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ख) पर्यटन के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा केरल को कितनी धनराशि मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) विश्व पर्यटन, के नक्शे में शामिल करने के लिए पर्यटन केन्द्रों के अभिनिर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटन परियोजनाओं हेतु स्कीम-वार निधियों का आबंटन अभी तक योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में काष्ठ आधारित उद्योग

2084. श्री के.ए. सांगतम : क्या **पर्यवरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय बाह्य परिस्थितियों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर नागालैंड में, काष्ठ पर आधारित उद्योग की कई इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयां यदि रुग्ण हो जाती हैं तो उनके पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

मयूरों का अवैध शिकार

2085. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी, मयूर का उसके परों के लिए अन्धाधुन्ध शिकार किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि इसकी आबादी में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह शिकार किए जाने के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए और उसके बाद शिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार मयूर के परों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव/सुझाव मिले हैं और यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में मांस के लिए समय-समय पर मोरों की हत्या संबंधी छिटपुट मामले प्रकाश में आते रहे हैं। लेकिन पंख प्राप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य से इनकी हत्या किए जाने संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं।

(ग) से (ङ) मोर की पूंछ के पंखों और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है। मोर के पंखों के घरेलू व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी सुझाव मिल रहे हैं। मोर के पंखों और इनसे बनी वस्तुओं के घरेलू व्यापार पर प्रतिबंध से पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी गई है।

विमान किराए में कटौती

2086. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री जी.एस. बराड़ :
श्री सईदुज्जमा :
श्री जी.एस. बसवराज :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने हाल ही में विमान किराया घटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी (सेक्टरवार) ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर रोगियों और रक्षा सेवा वर्ग के लोगों पर भी लागू होगा;

(घ) क्या यह किराया रेल और बस किराए से भी कम हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अन्य मंत्रालयों से भी संपर्क किया गया था;

(च) क्या किराए की इस नई संरचना से विमान परिचालन पर आने वाली लागत पूरी हो सकेगी;

(छ) यदि नहीं, तो इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी;

(ज) क्या व्यस्त समय में किराए में वृद्धि की जाएगी; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (झ) मार्केट आवश्यकताओं को देखते हुए, इंडियन एयरलाइंस समय-समय पर अपने अंतर्देशीय नेटवर्क में प्रोत्साहन किराये आरंभ करती है। मौसम, इंडियन एयरलाइंस में संख्या, बनाम प्रतियोगी, आपूर्ति मांग समीकरण इत्यादि जैसे विभिन्न मार्केट तथ्यों के आधार पर किराए ढांचे का स्तर सेक्टर से सेक्टर तथा सीजन से सीजन के अनुसार अलग-अलग होता है। 5 जुलाई, 2002 को, इंडियन एयरलाइंस ने 1 अगस्त, 2002 से 31 अक्तूबर, 2002 के बीच इकॉनमी श्रेणी की यात्रा के लिए चुने हुए 50 अंतर्देशीय शहरी जोड़ों पर अग्रिम खरीद योजना (एपेक्स किराया योजना) आरंभ की है। इस योजना के अधीन ऑफर किए गए किराए वर्तमान सामान्य किराये से 12% से 64% तक कम है। ये किराए कुछ तुलनीय सेक्टरों पर द्वितीय श्रेणी के रेलवे वातानुकूलित किराये से अधिक हैं। सड़क मार्ग से यात्रा के साथ इसकी कोई तुलना नहीं की गई है।

इस स्कीम का उद्देश्य उन चुने हुए मार्गों पर जहां मंदी (लीन) सीजन के दौरान कम सीट फैक्टर रहता है, परिवहन के वैकल्पिक साधनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को आकर्षित करना है। इसमें अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग करके बढ़े हुए यातायात को आकर्षित करना शामिल है। इस प्रकार से सृजित राजस्व, बहुत मार्जिनल लागत पर अतिरिक्त होगा। एअर इंडिया द्वारा हाल ही में किरायों में कोई कटौती नहीं की गयी है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर रोगियों तथा रक्षा सेवा श्रेणियों के व्यक्तियों को अलग रियायती किराए ऑफर किए गए हैं।

[हिन्दी]

भू-उपयोग संबंधी नीति

2087. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भू-उपयोग संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश भर में कृषि योग्य वैसी भूमि का राज्यवार क्षेत्रफल कितना है जिसका उपयोग गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है;

(घ) देश में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का औसत क्षेत्रफल कितना है;

(ङ) क्या गत कई वर्षों से प्रतिव्यक्ति इस औसत क्षेत्रफल में गिरावट आ रही है; और

(च) यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय है। किन्तु भारत सरकार ने राज्य सरकारों को दिशानिर्देशों के लिए एक 19-सूत्रीय राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति रूपरेखा परिचालित की है।

(ग) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार वर्ष 1998-99 में गैर-कृषि उपयोगों के अन्तर्गत 22.81 मिलियन है. क्षेत्र था।

(घ) और (ङ) औसत प्रति व्यक्ति कृषि भूमि क्षेत्र 0.14 है. है और पिछले कई वर्षों से यह घट रहा है।

(च) वर्ष 2000 के दौरान शुरू की गयी राष्ट्रीय कृषि नीति भूमि संसाधनों के सतत उपयोग पर बल देती है।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति रूपरेखा में राज्यों को कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में अंधाधुंध प्रयोग न करने की सलाह दी गयी है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय समेकित परती भूमि विकास परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

धन का दुर्विनियोजन

2088. श्री सुबोध राय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के सिंचाई विभाग को मिले करोड़ों रुपये का दुर्विनियोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच सी.बी.आई. से कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने का कारण, सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन तथा निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

स्वर्ण चतुर्भुज एक्सप्रेस राजमार्ग

2089. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण चतुर्भुज एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) प्रस्तावित सेलम-कोचीन एक्सप्रेस राजमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै इन चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़कों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 4/6 लेन का बनाया जा रहा है।

कुल लंबाई	–	5846 कि.मी.
पूरे हो चुके कार्य	–	1159 कि.मी.
सौंपे गए ठेके	–	4603 कि.मी.
सौंपे जाने के लिए शेष	–	84 कि.मी.

एक एक्सप्रेस मार्ग अर्थात् अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर 30.6.2002 तक 5510.66 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं जिसमें अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग पर 198.42 करोड़ रु. का व्यय शामिल है।

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अनुमानित लागत 25050 करोड़ रु. है जिसमें अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग के लिए 766.52 करोड़ रु. शामिल हैं।

(धान एक्सप्रेस राजमार्ग का कोई प्रस्ताव नहीं है। त के सलेम-कोचीन खंड को चार लेन का बनाने का कार्य रा य राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक खड के रूप में किया जा रहा है।

इस खंड की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

(1) 0 कि.मी. (सलेम) से 316 कि.मी. - विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है।

(2) 316 कि.मी. से 332 कि.मी. - प्रगति पर।

(3) 332 कि.मी. से 349 कि.मी. (कोचीन) - पहले से ही चार लेन।

विवरण

अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना के ब्यौरे

क्र.सं.	के ब्यौरे	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	जून, 02 तक व्यय की गई राशि (करोड़ रु.)
1.	अह द-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग चरए (गुजरात राज्य में 0.02 कि. से 43.3 कि.मी.)	766.52 (विशेष प्रयोजन तंत्र के आधार पर)	127.74
2.	अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग-चरण 2 (गुजरात राज्य में 43.42 कि से 93.302 कि.मी.)		70.68

[हिन्दी]

ए टी.एन.एल. द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

2090. **. बलिराम** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ा इस बात की जानकारी है कि महानगर टेलीफोन (एम.टी.एन.एल.) द्वारा श्रम कानूनों और औद्योगिक अधिनियम, 1947 का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क म आयुक्त का विचार एम.टी.एन.एल. को श्रमिक संघों से बात शुरू क मामले का हल निकालने के लिए उसे निर्देश देने क है; और

(घ) यदि तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रा य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) उ किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है। तथ संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए चल रही प्रक्रिया भाग के रूप में विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रवर्तन त्र को आवेदन पत्र प्राप्त हुए है।

(ग) और (घ) श्रम आयुक्त ने अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किये है। तथापि, जब कभी किसी मामले की सूचना मिलती है, प्रवर्तन तंत्र, कानून के सांविधिक उपबंधों के अनुसार मामले को हल करने के उद्देश्य से पक्षों को बुलाकर हस्तक्षेप करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बाल विकास परियोजना

2091. श्री नरेश पुगलिया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल विकास परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से कुछ जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तावों की प्रारम्भिक छानबीन कर ली गई है और संबंधित जिलों को राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अनुसार संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजने के लिए पत्र प्रेषित किए गए हैं।

हैदराबाद हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं

2092. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे पर हाथ से चलाई जाने वाली ट्रॉलियां पुरानी और अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्राउण्ड हैंडलिंग सुविधाओं का उन्नयन करने और आधुनिक तथा सुगठित ट्रॉलियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उन्नयन के इस कार्य पर आज तक कितना व्यय किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) हैदराबाद हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए जनवरी, 2002 में 25.55 लाख रुपये की लागत से 700 यात्री सामान की नई ट्रॉलियां मुहैया की गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2093. श्री कोलूर बसवनागौड़ :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में सभी कृषि फसलों के लिए बीमा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने और अधिक फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। हालांकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) सभी खाद्य फसलों, तिलहनों तथा सभी वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर करती है, जिनके लिए पर्याप्त वर्षों के पैदावार संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं, फिर भी कर्नाटक सरकार ने, कुछ समय पहले प्याज और आलू जैसी बागवानी फसलों को शामिल करने का अनुरोध किया था। ये फसलें वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनको एन.ए.आई.एस. के तहत पहले ही कवर किया जा चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन

2094. श्री पी.सी. थामस : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजमार्गों के रूप में उन्नत करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग तथा पत्तन संपर्क सड़कें शामिल हैं, के अंतर्गत 58,000 करोड़ रु. (1999 के मूल्यों पर) की लागत से लगभग 13,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया गया है। शेष लंबाई में उन्नयन कार्य पर यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

मेडिकल डिलिवरी सिस्टम संबंधी समिति

2095. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.एस.आई. के अंतर्गत पहले से विद्यमान मेडिकल सिस्टम का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध सेवाओं की समीक्षा के लिए श्री एस. सत्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने 14.1.1999 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।

सत्यम समिति की अल्पावधि सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं जैसे बीमित व्यक्ति के लिए चिकित्सा देश-भाल की 600 रुपए की सीमा में वृद्धि करना, बीमित व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करना, ई.एस.आई. मानदंडों के अनुरूप चिकित्सा योजना में पदों का सृजन करना, गैर-ई.एस.आई. संस्थानों को मामले भेजे जाने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश जारी करना, अन्य संस्थानों को भेजे जाने वाले मामलों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए आन्तरिक क्षमता में वृद्धि करना, प्रत्येक लाभार्थी के लिए स्वास्थ्य अभिलेख पुस्तिका की व्यवस्था लागू करना, तथा ठेका संविदा सूची को तैयार करना, औषधी की आपूर्ति के लिए लघु औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में कोई आग्रह न रखना, औषधियों की खरीद में गुणवत्ता नियंत्रण जांच, घटिया औषधि की आपूर्ति के लिए दांडिक कार्रवाई, स्ट्रिप पैक वाली औषधियों की खरीद करना, न्यूनतम अवधि के लिए अस्पताल या विशिष्ट निदानशालाओं द्वारा औषधियों की आपूर्ति, शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन द्वारा खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करना।

दीर्घकालिक सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया है, जैसे ई.एस.आई. योजना के चिकित्सा अधिकारियों और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सा अधिकारियों में हर मामले में समानता, एम्बुलेंस सेवाएं चलाने, सफाई, सुरक्षा, लॉड्री, रसोई तथा उपकरणों आदि के रख-रखाव के लिए ठेकागत व्यवस्था।

कुछ सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु जांच के विभिन्न चरणों में हैं, जैसे छूट के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा अनुरोध किए जाने की स्थिति में छूट दिया जाना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से निधि का सीधे राज्य सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना में गमन, अस्पताल प्रबंधन का निजीकरण तथा आई.एम.पी. प्रणाली की शुरूआत।

[हिन्दी]

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति

2096. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाली एक स्थायी नीति बनाने का प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् कृषि निर्यात को किस तरह बढ़ावा मिलेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि उत्पादों के निर्यात की नीति, वर्ष 2002-2007 के लिए देश की निर्यात-आयात नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। कृषि उत्पादों के निर्यात संबंधी निष्पादन की समीक्षा एक चल रही प्रक्रिया है और तदनुसार, वृद्धि की दृष्टि से कृषि निर्यात को व्यवहार्य बनाने के विचार से, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, नीतिगत हस्तक्षेप कार्य किए जाते हैं।

सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्द्धित प्रदेश, उन्नत बुनियादी सुविधाएं तथा बेहतर ऋण प्रवाह प्रदान करने के लिए कृषि निर्यात जोन स्थापित करना और पंजीकरण की आवश्यकता, पैकेजिंग आदि जैसे निर्यात संबंधी प्रतिबंधों को हटाना भी शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 80

2097. श्री अबुल हसनत खां : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोकामा-फरक्का राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 80 निर्माणाधीन है;

(ख) क्या इस राजमार्ग को झारखंड सीमा से लेकर फरक्का तक मिलाने के कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) 17.17 करोड़ रु. की स्वीकृत लागत पर 83 कि.मी. की कुल लंबाई में सड़क गुणता में सुधार के लिए 7 कार्य, 5.93 करोड़ रु. की स्वीकृत लागत पर 20 कि.मी. की लंबाई में चौड़ा करने के 2 कार्य और 7.18 करोड़ रु. की स्वीकृत लागत पर 3 पुलों का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 80 पर चल रहा है।

(ख) और (ग) जी नहीं। झारखंड सीमा-फरक्का खंड के संरेखण के लिए साध्यता अध्ययन को वार्षिक योजना 2002-03 में सम्मिलित किया गया है।

(घ) पूरा होने के लिए समय बताना अभी संभव नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश मानदंडों में संशोधन

2098. श्री सुबोध मोहिते : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से धनराशि के निवेश मानदंडों में संशोधन करने हेतु कोई निवेदन प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दवे समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) ने केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों, राज्य सरकार प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र बांडों आदि के अन्तर्गत निधियों के निवेश में अधिक लोचनीयता की सिफारिश की है।

दवे समिति ने अपनी रिपोर्ट में श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सामाजिक तथा आय सुरक्षा के मामले की जांच की है तथा सिफारिश की है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय पेंशन प्राधिकरण (आई.पी.ए.) नामक एक नई विनियामक एजेन्सी का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में भारतीय पेंशन प्राधिकरण की प्रमुख भूमिका के रूप में दिया गया सुझाव पेंशन निधि प्रबंधकों हेतु निवेश दिशानिर्देश और लेखागत मानकों का निर्धारण करना है।

बागवानी को बढ़ावा

2099. श्री जी.जे. जावीया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बागवानी के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती रही है:

1. फलों का समेकित विकास
2. मूल एवं कन्द वाली फसलों सहित सब्जियों का समेकित विकास
3. खुम्बी का समेकित विकास
4. मसालों का समेकित विकास
5. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
6. औषधीय एवं सुगन्ध देने वाले पौधों का विकास
7. प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेप के जरिए बागवानी का विकास
8. समेकित काजू एवं कोको विकास कार्यक्रम
9. फसल उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए मधुमक्खीपालन का विकास
10. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन
11. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम
12. नारियल विकास कार्यक्रम
13. बागवानी में मानव संसाधन विकास
14. आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास।

दिसम्बर 2000 से, पहली नौ स्कीमों को कृषि में वृहत प्रबंध-कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। इन स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने कार्यकलापों को प्राथमिकता दे सकती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बागवानी के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बागवानी के लिए राज्य-वार कोई विशेष वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

विवरण

बागवानी के तहत राज्य-वार क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र हैक्टे. में

राज्य	बागवानी के तहत क्षेत्र		
	1998-1999	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1214257	निर्धारित नहीं	1350236
अरुणाचल प्रदेश	34970	41601	52831
असम	542942	547795	572200
बिहार	935628	950762	979762
दिल्ली	131890	122558	235599
गोवा	100660	101961	120391
गुजरात	596850	636740	100000
हरियाणा	148427	166179	138200
हिमाचल प्रदेश	207240	211743	226210
जम्मू व कश्मीर	213728	217545	249545
कर्नाटक	1721624	1797375	1959023
केरल	2202704	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
मध्य प्रदेश	637887	887995	1280399
महाराष्ट्र	1554000	1626000	1739000
मणिपुर	39785	40065	42000
मेघालय	120617	130175	178708
मिजोरम	45915	32187	39357
नागालैंड	28395	31370	36410
उड़ीसा	1076000	987000	1056000
पंजाब	213200	175100	186000
राजस्थान	562000	489000	734000
सिक्किम	33680	33960	35290

1	2	3	4
तमिलनाडु	783000	800000	985000
त्रिपुरा	64386	67358	74263
उ.प्र. (पहाड़ी)	279300	276000	291000
उ.प्र.(मैदानी)	2277000	2325000	2385000
पश्चिमी बंगाल	1100652	1132850	1190100
अंदमान एवं निकोबार	37837	38863	47878
चण्डीगढ़	121	80	निर्धारित नहीं
दादरा और नागर हवेली	1825	1841	2063
दमण एवं दीव	400	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
लक्षद्वीप	3050	3110	3330
पाण्डिचेरी	4781	4064	4460

सांस्कृतिक नगरों में बुनियादी ढांचे में सुधार

2100. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों/शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से नगरों/शहरों की पहचान की गयी है; और

(घ) यह कार्य कब तक कर लिये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटन के संवर्धन के लिए वर्ष 2002-2003 में केन्द्रीय सहायता हेतु अर्थात् पर्यटन परिपथों और उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास जैसी नई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें देश में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों और कस्बों में अवसंरचना का विकास शामिल होगा।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है वे वर्ष 2002-2003 के लिए प्रस्ताव भेजें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त पानी के दोहन हेतु योजना

2101. श्री मोहन रावले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशाल भू-क्षेत्र में बाढ़ रोकने के साथ-साथ नदियों से बहने वाले अतिरिक्त पानी का सूखा प्रवण क्षेत्रों में उपयोग करने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय जो उस समय सिंचाई मंत्रालय, के नाम से जाना जाता था, ने वर्ष 1980 में जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों को हस्तांतरित करने के वास्ते प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। हिमालयी घटक से अतिरिक्त सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन होने के अतिरिक्त गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पर्याप्त बाढ़ नियंत्रण होगा। भारत सरकार ने जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन

करने और व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए वर्ष 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत 30 संपर्कों का पता लगाया है और प्रायद्वीपीय घटक के तहत 6 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी की हैं। प्रायद्वीपीय घटक के तहत अभिज्ञात सभी जल हस्तांतरण संपर्क स्कीमों की व्यवहार्यता रिपोर्टों को वर्ष 2004 तक तथा हिमालयी घटक के तहत आने वाले जल हस्तांतरण संपर्कों को वर्ष 2008 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

असम में सिंचाई परियोजनाएं

2102. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत असम में दरांग जिले में धन की सिंचाई परियोजना और बोंगाई गांव में चम्पावती सिंचाई परियोजना नामक लम्बे समय से लम्बित दो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं के द्वारा पूरा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बोडो जनजाति बहुल क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में सहायता करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत कतिपय उपयोगी नदियों और सहायक नदियों पर बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण द्वारा बोडो जनजाति बहुल सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों और सर्वाधिक उपेक्षित बोडोलैंड क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी सिंचाई ढांचा तैयार करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) असम की धनसिरी एवं चंपामती सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के वर्ष से ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) के रूप में इन परियोजनाओं को अब तक 39.650 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यदि राज्य सरकार सिंचाई क्षेत्र में सुधार लाने में सहमत हो जाती है तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं को 100% तक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सकती है।

(घ) और (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

एन.पी.सी.बी.बी. योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा

2103. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना (नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एवं बुफैलो ब्रीडिंग) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्यों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) कौन-कौन से राज्यों में उक्त योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। विभाग में भागीदारी राज्यों में राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत राज्यों की कार्य योजना तथा की गई प्रगति की समीक्षा, केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन एकक योजना के प्रभारी संयुक्त सचिव तथा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना स्टीयरिंग समिति के स्तर पर की जाती है। इन समीक्षाओं के आधार पर तथा स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को अनुदान राशि जारी की जाती है।

(ख) और (ग) योजना की शुरुआत 2000-2001 में हुई थी तथा भागीदार राज्यों को जारी वर्षवार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी निधि

(रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	जारी की गई कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	339	741.75	1080.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	140	0	140
3.	चंडीगढ़	0	274	274
4.	हरियाणा	523	323	846
5.	केरल	0	209.75	209.75
6.	मध्य प्रदेश	0	829.47	829.47
7.	मणिपुर	67.75	0	67.75
8.	मिजोरम	0	18.93	18.93
9.	नागालैण्ड	0	97.3	97.3
10.	उड़ीसा	0	40	40
11.	पंजाब	501	0	501
12.	राजस्थान	0	559.3	559.3
13.	सिक्किम	0	168.93	168.93
14.	उत्तरांचल	0	248	248
15.	पश्चिम बंगाल	0	667.02	677.02
	कुल	1570.75	4187.45	5758.2

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर

2104. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पथ कर लगाए जाने से एक वर्ष में कितनी धनराशि एकत्र किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस कर को किस प्रकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच बांटे जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के चार लेन वाले खंडों और बी.ओ.टी. आधार पर शुरू की गई सड़क सुधार परियोजनाओं तथा बाइपासों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। 100 लाख रु. से अधिक लागत के पुलों पर 1 मई, 1992 से प्रयोक्ता शुल्क पहले से ही वसूल किया जा रहा है।

(ख) चूंकि, प्रयोक्ता शुल्क लगाने के लिए प्रस्तावित अधिकांश परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, यह आकलन करना अभी संभव नहीं है कि प्रयोक्ता शुल्क से कितनी धनराशि एकत्र किए जाने की संभावना है। वर्ष 2001-02 के दौरान बी.ओ.टी. परियोजनाओं को छोड़कर जिन पर प्रयोक्ता शुल्क उद्यमी द्वारा रखा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर प्रयोक्ता शुल्क से 136.15 करोड़ रु. एकत्रित किए गए हैं।

(ग) पुलों पर एकत्रित शुल्क उसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर लगा दिया जाता है।

[अनुवाद]

वायुदूत की स्थिति

2105. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायुदूत सेवा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2002 तक वायुदूत के कितने विमान बेचे गये अथवा पट्टे पर दिये गये; और

(ग) वायुदूत के कितने कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स और अलाइंस एयर में ले लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कंपनी की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 25.5.93 को वायुदूत लि. का इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार वायुदूत लि. के कार्यों, परिसंपत्तियों तथा जिम्मेदारियों को इंडियन एयरलाइन्स लि. द्वारा ले लिया गया।

(ग) वायुदूत के एक हजार तेइस (1023) कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स में शामिल कर लिया गया। वायुदूत के किसी भी कर्मचारी को एलाइंस एयर में शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाएं

2106. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए जर्मनी कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में उक्त सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) और (ख) जी, हां। जर्मनी से सहायता प्राप्त देश में क्रियान्वयनाधीन ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राजस्थान का हनुमानगढ़ एवं चुरू जिला जर्मनी से सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत शामिल है।

विवरण

देश में क्रियान्वयनाधीन जर्मनी से सहायता प्राप्त, ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	कुल लागत	दाता द्वारा दिया गया योगदान
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान	राजस्थान में एकीकृत जलापूर्ति सफाई एवं समुदाय भागीदारी कार्यक्रम (चरण-1)	मूल 253.01 करोड़ संशोधित 402.57 करोड़	ऋण: 40 मिलियन मंजूरी: 105 मिलियन डी.एम.
2.	पश्चिम बंगाल	बोलपुर-रघुनाथपुर ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना	150.00 करोड़	मंजूरी : 50 मिलियन डी.एम.

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र के तीन जिलों (3) में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सफाई परियोजना	153.00 करोड़	मंजूरी : 6.21 करोड़ रु. रु. सॉफ्ट ऋण 100.97 करोड़ रु.

[अनुवाद]

कृषि उद्योगों का निजीकरण

2107. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उद्योगों के बोर्डों और शोरूमों का निजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का देश में कृषि उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ावा देने का विचार है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत कॉयर बोर्ड एकमात्र बोर्ड है और यह एक सांविधिक निकाय है। कॉयर बोर्ड का निजीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) ने सिफारिश की है कि कॅयर बोर्ड को शोरूमज-कम-सेल्ज डिपो को महानगरों में कुछ शोरूमों, जिन्हें प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रखा जा सकता है, के अपवाद सहित व्यापारिक घरानों को एजेन्सी अथवा कमीशन के आधार पर प्रगामी तौर पर सौंप दिया जाना चाहिए। सरकार, ई.आर.सी. की सिफारिशों से सहमत है।

(ग) सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए पूरे देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) पहले से ही कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत, के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 25% की दर से मार्जिन मनी प्रदान करता है तथा 10 लाख रु. से ऊपर की और 25 लाख रु. तक की परियोजना के संबंध में 10 लाख रु. तक 25% की दर से मार्जिन मनी जमा शेष परियोजना लागत के संबंध में यह 10% दर से प्रदान की जाती है। अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राही/संस्थान तथा पहाड़ी बार्डर और आदिवासी क्षेत्रों, उत्तरपूर्वी क्षेत्र, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के लिए मार्जिन मनी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 30% की दर से प्रदान की जाती है। परन्तु इस राशि से ऊपर की तथा 25 लाख रु. तक की परियोजना के लिए यह शेष परियोजना लागत के 10% की दर से प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत हितग्राही का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10% होता है। अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा अन्य कमजोर वर्गों के संबंध में हितग्राही का अंशदान परियोजना लागत का 5% होता है। इस स्कीम का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

के.वी.आई. सैक्टर के आगे और सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से सरकार द्वारा 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की गई है जोकि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत है। पैकेज में पांच वर्ष की छूट नीति, छूट और मार्किट विकास सहायता (एम.डी.ए.) में विकल्प, खादी कारीगरों का बीमा करना, खादी उत्पादों के सुधार पर बल देना, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधा का सृजन, मार्किटिंग संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, क्लस्टर विकास, इत्यादि शामिल हैं।

होटल उद्योग के मुनाफे में कमी

2108. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान भारतीय होटल उद्योग के मुनाफे में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख होटलों से संबंधित ऐसे आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घाटे के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये है/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) कुछ प्रमुख होटल श्रृंखलाओं के शुद्ध/हानि नीचे दिए गए हैं:-

(लाख रुपयों में)

नाम	1999-2000	2000-01	2001-02
ईस्ट इंडिया होस्टल (ओबरॉय समूह)	5951.00	8363.00	3206.00
इंडियन होटल्स (ताज समूह)	11664.00	11266.00	2614.00

(ग) सामान्यतया भारतीय पर्यटन उद्योग तथा विशेषरूप से होटल उद्योग, विश्व आर्थिक मन्दी के साथ-साथ तथा अमेरिका में 11 सितम्बर, 2001 की घटना, दिसम्बर, 2001 में हमारी संसद पर हमले, गुजरात की घटनाओं तथा भारत-पाक सीमा पर तनाव में वृद्धि और अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जापान आदि जैसे हमारे प्रमुख बाजारों द्वारा पर्यटकों को दी गई सलाह के परिणामस्वरूप गिरावट का सामना कर रहा है।

(घ) अनुमोदित/वर्गीकृत परियोजनाओं तथा होटलों को कर में छूट, आयात पर सीमाशुल्क में रियायतें आदि जैसे विभिन्न वित्तीय एवं कर संबंधी प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। प्रतिकूल प्रचार से निपटने के लिए संभव उपाय ढूंढ़ने हेतु, एक विशेष पर्यटन संवर्धन कार्यबल (एस.टी.पी.टी.एफ.) भी स्थापित किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में साहसिक पर्यटन

2109. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश में साहसिक पर्यटन को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित साहसिक पर्यटन कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:-

(1) कुर्नूल जिले के श्रीसेलम और विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी में ट्रेकिंग।

(2) श्रीसेलम में और अराकू घाटी में भी बीहड़ स्थलों में कैम्प, हुसैनसागर झील, हैदराबाद में जल आधारित पैरासेलिंग कार्यकलापों की शुरूआत की जा रही है।

कृषि अनुसंधान के लिए आवंटन

2110. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों में खर्च की जाने वाली धनराशि की तुलना में कृषि अनुसंधान के लिए किया गया आबंटन बहुत कम है;

(ख) क्या किसी समिति ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए कृषि के सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत आबंटन की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटन राशि में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) योजना आयोग द्वारा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर गठित कार्य दल तथा कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने कृषि सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) योजना आयोग ने 4868 करोड़ रु. दसवीं योजना परिव्यय के रूप में तथा 775 करोड़ रु. वार्षिक योजना परिव्यय (2002-03) के रूप में आबंटित किए हैं। ये आंकड़े नौवीं योजना तथा पिछली वार्षिक योजना के आंकड़ों से अधिक हैं।

कुक्कुट पालन उद्योग

2111. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में कुक्कुट पालन उद्योग को बचाने के लिए कतिपय उपाय करने का कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझावों में चिकन तथा चिकन मीट के आयात पर 150 प्रतिशत एण्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाने तथा कुक्कुट पालन से हुई सकल आय पर आयकर अधिनियम की परिधि से 33 1/3 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया था जो उक्त मुद्दों के लिए नोडल एजेंसी है। तद्नुसार राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि वे अपनी ओर से मामले को उन विभागों के साथ उठाएं।

प्रमुख नदियों पर पुलों का निर्माण

2112. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में प्रत्येक परियोजना के लिए आबंटित की गई धनराशि का और वास्तव में जारी की गई धनराशि का और उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन से वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है और क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की प्रमुख नदियों पर प्रस्तावित विभिन्न पुलों की स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के संबंध में सूचना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास तथा पुलों के निर्माण के लिए धनराशि राज्यवार आबंटित और जारी की जाती है। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए गत दो वर्षों के दौरान धनराशि के आबंटन और उन पर व्यय तथा चालू वर्ष में आबंटन इस प्रकार है-

(लाख रु.)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2000-2001	6704	6292.25
2001-2002	6140	4640
2002-2003	6500	-

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े पुलों के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

(लाख रु.)

क्र.सं.	रा.रा.सं.	पुल का नाम	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति (प्रतिशत में निष्पादन प्रगति)	पूरा करने का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	023	नेता नाले पर पुल	345.12	87	दिस., 2002
2.	243	हरदापुत नाले पर पुल	127.78	100	पूर्ण
3.	023	मुईधी नाले पर पुल	432.30	100	पूर्ण
4.	023	ममाकोई नदी पर पुल	874.19	30	सित., 2003
5.	042	लिंगारा नाले पर पुल	322.85	100	पूर्ण
6.	005	महानदी पर पुल	4731.00	100	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
7.	005	(1) पालसुनी नदी पर पुल (2) कथाजोड़ी नदी पर पुल (3) कुआखाई नदी पर पुल (4) तालडंडा नदी पर पुल	4645.00	100	पूर्ण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत उड़ीसा में रा.रा. 5 और रा.रा. 60 को चार लेन बनाने का कार्य शुरू किया है। इस सड़क को चार लेन का बनाने के लिए इस खंड के विभिन्न स्थानों पर दो अतिरिक्त पुलों का निर्माण किया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज और पुलों को काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बागवानी फसल के लिए अवसंरचना

2113. श्री सुकदेव पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी फसलों के फसल काटने के पश्चात् रखरखाव के लिए पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में 8.37% बागवानी उत्पादन नष्ट हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने फसलों की भंडारण अवधि में वृद्धि के लिए उचित अवसंरचना प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) फलों और सब्जियों सहित बागवानी उत्पाद नाशवान प्रकृति के हैं और योजना आयोग द्वारा गठित दसवीं योजना के लिए बागवानी विकास पर कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन और भंडारण समेत कटाई पश्चात् संबंधी अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण कटाई पश्चात् के विभिन्न चरणों में इन फसलों का नुकसान 8-37% तक होता है।

(ख) कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड फलों, सब्जियों आदि जैसी बागवानी फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कटाई पश्चात् बुनियादी ढांचे के गठन के माध्यम से इन फसलों की कटाई पश्चात् होने वाली हानियों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ये कार्यक्रम हैं (1) बागवानी उत्पाद के लिए शीत भंडागारों और भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता योजना और (2) उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास। अब तक बोर्ड ने देश में शीत भंडारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 185.17 करोड़ रु. की राशि राजसहायता के रूप में निर्मुक्त की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर बाइपास का निर्माण

2114. श्री माधव राजवंशी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के दर्रांग जिले में मंगलदोई शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर एक बाइपास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। बाइपासों के निर्माण को अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता दी गई है।

बेरोजगारी का अनुपात

2115. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विश्व के विकासशील देशों की तुलना में बेरोजगारी का अनुपात सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों विशेषकर युवाओं, स्त्रियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किये हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी नहीं, विश्व रोजगार रिपोर्ट 2001 में प्रदत्त सूचना के अनुसार चुनिन्दा विकासशील तथा विकसित देशों की बेरोजगारी दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 10वीं योजना में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्याधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विवरण

देश	वर्ष	श्रम बल के % में बेरोजगारी दर
1	2	3
भारत	2000	2.23
चीन	–	–
जापान	2000	4.9
ऑस्ट्रेलिया	1999	7.0
मलेशिया	1999	3.4
फ्रान्स	1999	12.0
जर्मनी	1999	8.7
मैक्सिको	1999	2.0
कनाडा	1999	7.6
इज़राईल	2000	8.3
इटली	1999	11.0
कोरिया	1999	6.3
रूस	1999	13.4
सिंगापुर	1999	4.6
ब्रिटेन	1999	6.0
अमेरिका	1999	4.2
पाकिस्तान	2000	5.9
श्रीलंका	1998	10.6

स्रोत : विश्व रोजगार रिपोर्ट 2001

एयर टैक्सी सेवाओं के लिए लाइसेंस

2116. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर टैक्सी सेवायें चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अनेक प्रस्ताव महानिदेशक, नागर विमानन (डी.जी.सी.ए.) के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कंपनियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दिया जाना शेष है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निजी टैक्सी ऑपरेटर द्वारा घोषित विमानों की संख्या कितनी है और विमान सेवाओं के परिचालन हेतु कौन-कौन से मार्गों/क्षेत्रों की मांग की गयी है;

(घ) एयर टैक्सी सेवाओं से संबंधित नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) क्या लंबित प्रस्ताव इस नीति की परिधि के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) अनुसूचित/गैर-अनुसूचित प्रचालनों के लिए विमान

सेवा प्रचालकों को परमिट दिया जाना अनवरत प्रक्रिया है। इस समय. गैर-अनुसूचित प्रचालकों के लिए चार ऑपरेटरों का परमिट नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) की प्रक्रिया में है।

(ख) और (ग) प्रक्रियाधीन आवेदन पत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(1) आर.सी. एविएशन इन्डिया (प्रा.) लि. ने 3 यात्री वाली सीट क्षमता के एक सेसना 172 पी विमान प्रचालित करने का प्रस्ताव दिया है।

(2) फूटूरा ट्रैवल्स लि. एक बेल 206 एल4 हेलीकॉप्टर 5 सीटर और एक बीच किंग एयर बी-200 9 सीटर से विमान प्रचालित करने की प्रस्ताव दिया है।

(3) सुमित एविएशन प्रा.लि. ने एक बेल 47 जी 5-2 सीटर और एक चीता हेलिकॉप्टर 5 सीटर का प्रचालन करने का प्रस्ताव दिया है।

(4) एम.पी. फ्लाइंग क्लब, इंदौर ने 3 सेसना 152 और एक पुष्पक एस.के. विमान प्रचालित करने का प्रस्ताव दिया है।

(घ) गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवा के बारे में नीति की मुख्य विशेषता डी.जी.सी.ए. द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षा की श्रृखंला ग, भाग-III, खंड 3 में दिए गए हैं।

(ङ) जी, हां। ये सभी प्रस्ताव नीति के अंतर्गत हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएसआरवाई) के अन्तर्गत धन का दुरुपयोग

2117. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित की गई कई परियोजनाएं या तो समाप्त हो गई या फिर उनकी स्थापना ही नहीं की गई जिससे धनराशि का दुरुपयोग हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) वर्ष 2001 के दौरान अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर), नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के संबंध में आयोजित किए गए मूल्यांकन अध्ययन (दूसरे दौर) के अनुसार 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 का मूल्यांकन किया गया जिसमें पांच राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, पंजाब तथा राजस्थान के 16,397 हितग्राहियों को कवर किया गया और संवितरित मामलें में 89.7% में परिसंपत्तियों का सृजन हो गया है। मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार यूनिटें जो शुरू नहीं हुई/क्लोज्ड पाई गई उनके संबंध में राज्यवार प्रतिशत ब्यौरा संलग्न ब्यौरा विवरण-I के अनुसार है जबकि उपक्रम शुरू न किए जाने तथा बन्द यूनिटों के संबंध में कारणों को संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक उपायों की पहल की गई है, ताकि पी.एम.आर.वाई. के तहत फण्ड्स का दुरुपयोग न हो, इनमें शामिल हैं, बैकों द्वारा आर्थिक सहायता का बैंक एंड संवितरित, उधार प्राप्तकर्ता को ऋण राइस का प्रत्यक्ष संवितरण करने की बजाय माल की आपूर्तिकर्ता को थर्ड-पार्टी चेक रु. में संवितरित किया जाना, फण्ड्स इत्यादि के दुरुपयोग संबंधी मामलों को कड़ाई से निपटाना।

विवरण I

नमूना (सैम्पल) राज्यों में शुरू नहीं हुई/क्लोज्ड पाई गई यूनिटों का प्रतिशत

स्रोत : मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार (दूसरा दौर)

राज्य	शुरू न होने वाली यूनिटों का प्रतिशत	क्लोज्ड पाई गई यूनिटों का प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	0.3	20.3
असम	1.2	19.4
मणिपुर	6.0	17.6
पंजाब	1.3	13.2
राजस्थान	01.	15.0
औसत	1.1	17.5

विवरण-II

नमूना राज्यों में उपक्रम शुरू न करने/बन्द यूनिटों के संबंध में कारण

स्रोत : मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार (दूसरा दौर)

उपक्रम शुरू न होने के संबंध में कारण		बन्द यूनिटों के संबंध में कारण	
कारण	हितग्राहियों का प्रतिशत	कारण	हितगा्हियों का प्रतिशत
घरेलू समस्या	49.2	निपुण जनशक्ति की कमी	35.7
अपर्याप्त वित्त	42.2	कड़ी प्रतिस्पर्धा	27.2
मांग की कमी	15.7	अपर्याप्त वित्त	19.8
प्रबंधन निपुणता की कमी	11.9	घरेलू समस्या	18.6
उद्यमिता निपुणता की कमी	8.6	कच्चे माल का न मिलना	16.3
कच्चे माल की कमी	7.6	उत्पाद की मांग न होना	10.0
अन्य कारण	13	वैकल्पिक रोजगार प्राप्त हो गया	8.8
		अन्य कारण	63.8

[हिन्दी]

निमोटोड संक्रमण के कारण फसल उत्पादन में होने वाली क्षति

2118. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निमोटोड संक्रमण के कारण फसल उत्पादन में होने वाली वार्षिक क्षति का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) महोदय, निमोटोड के कारण फसलों के उत्पादन में हानि का आकलन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन कराये गये हैं। फसलवार कराये गये अध्ययनों का ब्यौरा निम्नलिखित है-

फसल	प्रतिशत हानि
अनाज	8.00
तिलहन	5.0
दालें	8.0
गन्ना	10.0
सब्जी	12.0
फल	10.0

(ग) फसल हानि में कमी लाने के लिए समेकित निमोटोड प्रबंध पद्धतियों का समर्थन किया जाता है जिसमें प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, जैविक संशोधकों, जैव-नियंत्रण एजेंटों और वानस्पतिक कीटनाशकों का उपयोग शामिल है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा करने के लिए धनराशि

2119. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भुवनेश्वर से बरहामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या भुवनेश्वर शहर में यातायात के दबाव को देखते हुए उपरिपुल बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहर में यातायात की सघनता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) उड़ीसा राज्य में स्वर्णिम चतुर्भुज पर भुवनेश्वर से बेरहामपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 को चार लेन का बनाने में हुई प्रगति इस प्रकार है –

खंड	ठेका मूल्य (करोड़ रु.)	30.6.02 तक निष्पादन प्रगति
भुवनेश्वर-खुर्जा (414 किमी-388 किमी)	118.90	23.93%
खुर्दा-सुनाखाला (308 किमी-338 किमी)	140.80	14.14%
सुनाखाला-गंजाम (338 किमी-284 किमी)	163.26	7.42%
गंजाम-बेरहामपुर-ईसापुरम (284 किमी-223 किमी)	175.43	15.38%

(ख) और (ग) कोई विलंब नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं को काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) से (ङ) भुवनेश्वर शहर में जयदेव विहार में एक फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकिरण-मुक्ति केंद्र की स्थापना

2120. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में एक विकिरण-मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसे कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) जी हां।

(ख) परमाणु उर्जा विभाग इंदौर संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलैक्ट्रान बीमा प्रौद्योगिकी की गारन्टी तब तक लेने में असमर्थ है जब तक भारतीय परिस्थितियों के तहत पर्याप्त आँकड़े नहीं जुटाए जाते।

(ग) उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, परियोजना को अनुमोदित करने के वास्ते कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

निरर्थक व्यय

2121. श्री रामदास आठवले :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें निरर्थक व्यय की मात्रा अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें कितना निरर्थक व्यय होने का पता चला है; और

(घ) ऐसे व्यय को कम करने/रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में दिशा विमानपत्तन

2122. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात स्थित दिशा विमानपत्तन का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विमानपत्तन की परिसंपत्तियों का कुल मूल्य कितना है और इसके रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) किसी एयरलाइन ने गुजरात में दिशा एयरपोर्ट पर और यहां से अपनी वाणिज्यिक उड़ानों के प्रचालन में रुचि नहीं दिखाई है। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस एयरपोर्ट को वाणिज्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने की कोई योजना नहीं है। इस एयरपोर्ट की कुल परिसंपत्तियों की कीमत 37.15 लाख रुपये है। इसके रख-खाव के लिए कोई राशि खर्च नहीं की जा रही हैं।

[अनुवाद]

स्टॉफ-कार का दुरूपयोग

2123. श्री रघुनाथ झा :
श्री रामजी मांझी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा स्टॉफ-कार के दुरुपयोग संबंधी मामले की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा स्टाफ कार के दुरूपयोग के मामले की जांच की जा रही है।

विमानों पर रेल-बुकिंग काउंटर

2124. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय रेल से हैदराबाद और तिरूपति विमानपत्तनों पर बुंकिग-काउंटर खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हैदराबाद विमानपत्तन पर एक कम्प्यूटरीकृत रेल बुंकिग-काउंटर कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर रेल आरक्षण काउंटर खोले जाने के लिए भारतीय रेलवे से अनुरोध किया है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तिरूपति हवाई अड्डे के संबंध में कोई मांग नहीं की गई है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1999 से ही हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक रेल आरक्षण काउंटर खोले जाने के बारे में दक्षिण-मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक तथा महाप्रबंधक से अनुरोध करता आ रहा है, इस संबंध में उनके उत्तर का अभी इंतजार है।

हैदराबाद में 'विज्ञान नगरी'

2125. श्री वाई.वी. राव : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोलकाता स्थित 'विज्ञान संग्रहालय' की भांति हैदराबाद में 'विज्ञान नगरी' (साइंस सिटी) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव पर, 'विज्ञान नगरी' (साइंस सिटी) स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदण्डों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जा रहा है।

आर्थिक नीति के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

2126. श्री भानसिंह भौरा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजीकरण और नई आर्थिक नीति लाए जाने के कारण कितने श्रमिकों के बेरोजगार होने की आशंका है;

(ख) ऐसे विस्थापित-श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अध्ययन से कुल कितने श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण हो सकता है कि पुराने प्रकार के उद्यमों गिरती हुई कार्यकुशलता के कारण रोजगार अवसरों में कुछ गिरावट आई हो। पर वही दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं आदि जैसे अनेक नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। 1993-94 के दौरान रोजगार जो कि 374 मिलियन था 1999-2000 में बढ़कर 397 मिलियन हो गया।

निरर्थक व्यय को कम करना

2127. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने मंत्रालय/विभागों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें निरर्थक व्यय की मात्रा अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें कितना निरर्थक व्यय होने का पता चला है; और

(घ) ऐसे व्यय को कम करने/रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) इस मंत्रालय का व्यय वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अर्थव्यवस्था संबंधी अनुदेशों द्वारा मार्गदर्शित होता है। निरर्थक व्यय संबंधी कोई दृष्टान्त ध्यान में नहीं आया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र और गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा विस्तार

2128. श्री शिवाजी माने :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किया गया वार्षिक आबंटन हमेशा कम होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत के अभाव में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत बुरी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित निधियां आबंटित की गई हैं:-

(लाख रु.)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अनंतिम)
महाराष्ट्र	4065.00	5201.00	4296.95
गुजरात	2145.00	2574.81	2196.42

(ख) और (ग) राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के अंतर्गत आबंटन इस प्रयोजन हेतु निधियों की उपलब्धता के आधार किए जाते हैं जो अनुरक्षण और मरम्मत के मानदंडों के अनुसार मांग का लगभग 40% बैठता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों और राज्य सरकारों से प्राप्त प्राथमिकता के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। इस मंत्रालय ने 1999-2000 से सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया है और अब तक लगभग 23000 कि.मी. की लंबाई में सड़क गुणता में सुधार किया गया है।

कृषि-उपज की औसत उत्पादकता

2129. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेहूं, गन्ना, धान और सरसों की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इस पर प्रति हेक्टेयर कितनी राशि का व्यय किया गया है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार उक्त फसलों के लिए क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है;

(घ) क्या सरकार द्वारा दिया जा रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि-फार्मों तथा अनुसंधान-केन्द्रों इत्यादि पर किए गए व्यय से कम ठहरता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1999-2000, 2001-01 और 2001-02 के दौरान गेहूं, गन्ना, धान और तोरिया व सरसों की औसत उत्पादकता निम्नलिखित है:

औसत उत्पादकता

(किग्रा./हैक्टे.)

फसल	1999-2000	2000-01	2001-02*
गेहूं	2778	2743	2747
गन्ना	70935	69636	67098
धान	2979	2870	3081
तोरिया-सरसों	960	941	1006

*27.6.2002 की स्थिति के अनुसार चौथा अग्रिम अनुमान।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान बुवाई का सकल क्षेत्र 142.60 मिलियन हैक्टे. था जबकि कृषि तथा सहकारिता विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की प्लान स्कीमों के तहत व्यय की राशि 1776.35 करोड़ रु. थी। इस प्रकार, व्यय की राशि 124.57 रु. प्रति हैक्टेयर परिकलित होती है।

(ग) सरकार द्वारा उपर्युक्त फसलों के लिए वर्ष 2001-02 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित हैं:

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)
गेहूं	620.00
गन्ना	62.05
धान (सामान्य)	530.00
धान (ग्रेड ए)	560.00
तोरिया/सरसों	1300.00

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा ऐसे संबंधित कारकों पर विचार करते हुए जो सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं विभिन्न कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है। खेती की लागत उन प्रमुख कारकों में से एक है जिस पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय ध्यान दिया जाता है। उपर्युक्त सभी जिंसों के मामले में 2000-01 की तुलना में 2001-02 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक हैं।

औरंगाबाद को/से उड़ानों की संख्या बढ़ाना

2130. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजंता और एलोरा पर्यटक-केंद्रों के पर्यटन की दृष्टि से, सरकार का विचार औरंगाबाद को/से जाने वाली नियमित उड़ानों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए निजी विमान सेवाओं को आमंत्रित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इस समय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा दिल्ली और औरंगाबाद तथा मुंबई और औरंगाबाद के बीच वाहित यातायात, औरंगाबाद से/को प्रचालनों की आवृत्ति में वृद्धि करने का संकेत नहीं देते।

(घ) और (ङ) मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए, एयरलाइन प्रचालक किसी भी सेक्टर पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

विदेश स्थित पर्यटन-कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति

2131. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश स्थित अनेक पर्यटन-कार्यालयों के कामकाज की देखरेख के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी तैनात नहीं है और वह बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों में व्यवसायिकों तथा अन्य के बीच असहमति के कारण विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कोई स्पष्ट मार्गनिदेश नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार, बेहतर परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे पदों पर केवल व्यवसायिक व्यक्तियों को ही नियुक्त करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालय भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तथापि, विदेश स्थित कुछ पर्यटन कार्यालयों में, कुछ पद उन कार्यालयों की पुनर्संरचना/पुनर्संगठन और लम्बित अदालती मामले के कारण खाली पड़े हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। विदेश में तैनात पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती संबंधी कार्य को निपटाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार का उद्देश्य विदेश में तैनाती के लिए सबसे अच्छे और सबसे कुशाग्रबुद्धि अधिकारियों को चुनना है जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन घटकों का प्रभावपूर्ण ढंग से विपणन कर सके। सबसे अच्छे अधिकारी का चुनाव करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधकीय योग्यता, व्यापक पर्यटन परिदृश्य का ज्ञान, प्रशासनिक और वित्तीय कौशल का ज्ञान तथा कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को उचित महत्व दिया जाएगा।

स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रदूषण-नियंत्रण

2132. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेने के बारे में सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने ऐसी योजनाओं को लागू किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार और वर्षवार आबंटित राशि तथा उपयोग राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करने की ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, प्रदूषण उपशमन संबंधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सांकेतिक वित्तीय सहायता दी गई है। इनमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याओं पर परस्पर बैठकें, प्रशिक्षण जल जांच किटों और मुद्रित सामग्री का वितरण शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता में 1999-2000 के दौरान 60,000 रु., 2000-01 के दौरान 75,000 रु. और 2001-02 के दौरान 2,15,000 रु. शामिल हैं।

[हिन्दी]

पशुपालन और मत्स्यन के लिए राशि

2133. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि-शिक्षा हेतु कुल कितना परिव्यय रखा गया है और यह आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इसी प्रयोजन से नियत परिव्यय की तुलना में यह कितना अधिक है;

(ख) उक्त योजना के दौरान पशुपालन, मत्स्यन, कृषि और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के लिए किये गये आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन पर किये गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) विवरण इस प्रकार से है:

(रु. लाख में)

क्षेत्र	पंचवर्षीय योजना एवं आबंटन		
	8वीं	9वीं	10वीं
फसल विज्ञान	288.24	471.90	90100
बागवानी	123.75	212.67	39800
प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	156.27	238.04	45200
कृषि अभियांत्रिकी	53.23	98.11	17600
पशु विज्ञान	146.77	234.33	492.00
मात्स्यिकी	65.00	111.58	20400
कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	9.00	12.36	2200
कृषि विस्तार	200.32	290.46	51900
कृषि शिक्षा	159.91	297.81	55900
विश्व बैंक एवं ई.ए.पी.एस.	177.19	72.61	43200
सूचना एवं प्रबंध सेवाएं	19.48	474.28	4799
नई पहलें एवं शुरू की जाने वाली परियोजनाएं	–	–	66501
कुल (रु. करोड़ में)	1300.00	2514.17	486800

(ग) विभाग किसी भी राज्य सरकार को राशि आबंटित नहीं करता है तथा देश के विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अ.भा.स.अ. परियोजनाओं को राशि आबंटित की जाती है। इन संस्थानों द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार से है:

व्यय (रु. करोड़ में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
1999-2000	498.46	790.64	1289.10
2000-01	549.48	807.67	1357.15
2001-02	684.00	(आंकड़ों को समेकित किया जा रहा है।)	

[अनुवाद]

मक्का अनुसंधान निदेशालय का कार्य-निष्पादन

2134. श्री राममोहन गाड्डे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूसा, नई दिल्ली स्थित मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.) के आरम्भ से लेकर अब तक, वास्तविक तथा वित्तीय रूप से इसके कार्य-निष्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डी.एम.आर. के कार्य-निष्पादन की निगरानी तथा समीक्षा हेतु कोई अभितंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मक्का अनुसंधान परियोजना के लिए मूलत: कितनी लागत का अनुमान लगाया गया था और अब तक यह कितनी बढ़ गई है;

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और मूल प्राक्कलन की लागत में कितनी बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है; और

(च) परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण दर्शाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी.एम.आर.) की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। डी.एम.आर. के उद्देश्य और इसकी स्थापना से लेकर अब तक की वास्तविक एवं वित्तीय स्थिति दोनों ही उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) डी.एम.आर. के कार्य की समीक्षा समय-समय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित अन्तर्विषयी दलों जैसे पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यू.आर.टी.), स्टाफ अनुसंधान परिषद (एस.आर.सी.), अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) द्वारा की जाती है। वार्षिक मक्का कार्यशाला के समय इसकी वार्षिक निगरानी भी की जाती है।

(घ) उद्दिष्ट बजट का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अब तक इसकी लागत में वृद्धि नहीं हुई है।

(ङ) यह परियोजना परिषद के योजना बजट से वित्तपोषित जारी रहने वाली प्रकृति की है।

(च) लागू नहीं होता।

विवरण-I

मक्का अनुसंधान परियोजना (डी.एम.आर.) के उद्देश्य

(क) जननद्रव्य वृद्धि जैसे अजैविक और जैविक दबावों के प्रति सहनशीलता, गुणवत्ता में सुधार, विशिष्ट उपयोग इत्यादि के मामले में मौलिक और नीतिगत अनुसंधान कार्यकलापों को आरम्भ करना।

(ख) देश के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों पर मक्का जननद्रव्य का बहु-स्थानीय परीक्षण और अन्य अनुसंधान कार्यकलापों को आरम्भ एवं समन्वित करना।

(ग) मक्का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कारगर कार्य पैकेजों का विकास करना।

(घ) उद्योग एवं अन्य सैक्टरों के लिए मक्का की टेलरिंग हेतु प्रौद्योगिकियां सृजित करना।

(ङ) मक्का के सकल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, फार्म पर अनुसंधान, अग्रणी प्रदर्शनों जैसे कार्यकलापों का आयोजन करना।

(च) मक्का अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों/संस्थानों से साथ कारगर सहयोगी कार्यक्रमों का विकास करना।

उपलब्धियां

अपनी स्थापना के वर्ष सन 1994 से अब तक मक्का अनुसंधान निदेशालय ने देश में विभिन्न कृषि भूमि जलवायु मंडलों में खेती के लिए 16 संकर किस्मों और 6 कम्पोजिट्स को जारी किया है। इन किस्मों ने 1994 की 1493 कि.ग्रा./है. उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2001 में 2060 कि.ग्रा./है. उत्पादन वृद्धि प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। कुल उत्पादन में भी वर्ष 1994 के 9.1 मिलियन टन की अपेक्षा वर्ष 2001 में 13.51 मिलियन टन उत्पादन हुआ जो मक्का संकर किस्म के विकास पर विशेष बल दिया गया है। तदनुसार सिंगल क्रास हाइब्रिड शक्तिमान-1 और शक्तिमान-2 को जारी किया गया। यह संकर किस्में समान स्तर के आदिवासी व गरीब लोगों को पोषण सुरक्षा प्रदान करेगी। मक्का में लक्षित उत्पादन (12 मी. टन) से बढ़कर 13.5 मी. टन रहा जो वर्ष 2001 में 1.5 मी. टन अधिक है।

विवरण-II

वित्तीय आबंटन एवं व्यय

आठवीं योजना अवधि में मक्का अनुसंधान निदेशालय के लिए पृथक अनुमोदित बजट आबंटन नहीं था जैसे कि इस निदेशालय का बजट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कुल आबंटन से पूरा किया गया। तालिका-1 में आठवीं योजना अवधि के दौरान परिषद 1994-95 से 1996-97 के दौरान वर्षवार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को प्रदत्त धनराशि और उसके व्यय का ब्यौरा दिया गया है। नौवीं योजना के आबंटन एवं व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

आठवीं योजना (तालिका-1) (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	परिषद से प्राप्त धनराशि	व्यय
1994-1995	0.40	0.30
1995-1996	1.44	0.76
1996-1997	2.90*	2.85*
कुल	4.74	3.91

*इसमें अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना भी शामिल है।

नौवीं योजना (तालिका-2) (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1	2	3
1997-1998	1.57	1.57
1998-1999	1.06	1.06
1999-2000	2.90	1.22
2000-2001	0.98	1.26
2001-2002	4.27	4.05
कुल	10.78	9.16

जहां तक मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए.आई.सी.आर.पी.) का संबंध है, नौवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय (1997-98 से 2001-02 की अवधि के लिए) 12.92 करोड़ रुपये था जिसके बदले 11.53 करोड़ रुपये का व्यय उक्त अवधि के दौरान किया गया।

सिंचाई योजनाओं हेतु सहायता

2135. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की उन सिंचाई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) इन योजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) वर्ष 2001-2002 और 2002-03 के दौरान आठ सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता प्राप्त हुई है। वर्ष 2001-02, 2002-03 के दौरान विश्व बैंक द्वारा परियोजनावार दी गई राशि तथा उन पर किए गए खर्च को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	समझौते की तारीख/पूरा करने की नियत तारीख	विश्व बैंक सहायतार्थ राशि मिलियन अमेरिकी डालर	मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त होने का वर्ष में वितरण		6/2002 तक संचयी वितरण मिलियन अमेरिकी डालर
				2001-02	2002-03	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III	3.6.97 31.1.2003	325.00	23.14	–	141.59

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	30.1.99 31.3.2004	142.00	10.52	–	62.99
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	5.1.96 30.9.2002	290.90	16.63	–	184.909
4.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	22.9.95 31.3.2003	247.952	20.36	–	166.55
5.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	15.3.2002 31.3.2008	143.00	–	5.00	5.00
6.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	8.3.2002 31.10.2007	149.2	–	5.00	5.00
7.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	6.6.2002 31.1.2009	98.90	–	–	–
8.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	6.4.1994 31.12.2001	258.00	52.93	–	249.79

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण *[हिन्दी]*

2136. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्गों पर बाई-पासों का चयन करने के विषय में किये गये सभी लागत-लाभ अध्ययनों को प्रकाशित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऐसी रिपोर्टों को प्रकाशित करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए लागत लाभ अध्ययन से संबंधित रिपोर्टों को यदि अन्य हितबद्ध संगठनों से देखने के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो उन्हें भी मामला दर मामला आधार पर जांच के बाद दिखाया जा सकता है।

बीमा-दावों का निपटान और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

2137. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-02 में रबी मौसम के दौरान, कपास और तुअर फसलों के बीमा-दावों का निपटान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनका निपटान कब तक किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का कार्यान्वयनकारी अभिकरण को भी इसका हिस्सा देने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अलसी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): *(क) से (ग) जी नहीं। स्वीकार योग्य दावे क्रियान्वयनकारी* एजेन्सियों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपज आंकड़ों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। रबी 2001-02 मौसम संबंधी उपज आंकड़े प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2002 है। राज्यों से अभी तक उपज संबंधी कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) और (ङ) इस स्कीम में किए गए प्रावधान के अनुसार, इसके क्रियान्वयन पर आने वाले खर्च अर्थात् दावे देयता, प्रीमियम सब्सीडी, कार्पस फण्ड में अंशदान आदि को भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में वहन करती हैं। इस फसल मौसम से संबंधित सरकार का कोई हिस्सा बाकी नहीं है।

(च) और (छ) जी हां। अलसी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने से संबंधित एक प्रस्ताव कुछ समय पहले मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। चूंकि अलसी का उत्पादन ज्यादातर स्थानीय तौर पर होता है और क्षेत्र तथा उत्पादन की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर इसका कोई खास महत्त्व नहीं है अत: इस पर विचार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

किलों में पड़ी कलाकृतियां

2138. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 2002 के ''द हिन्दू'' समाचार पत्र में ''हिस्टारिकल वैल्थ लाइंग इन डस्ट'' शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उत्खनन पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कोई सर्वेक्षण किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या महत्वपूर्ण जानकारी के अभिलेखन के अभाव में सारी उत्खनन-प्रक्रिया अर्थहीन हो जाती है; और

(छ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये उत्खनन-कार्य का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(च) जी, नहीं। सभी उत्खननों से प्राप्त खोजों का ड्राइंगों तथा फोटोग्राफों के जरिए वैज्ञानिक विधि से प्रलेखन तथा स्थल नोट बुक में अभिलेखन किया जाता है। इन्हें विभागीय प्रकाशन ''इण्डियन आर्कयोलॉजी-ए-रिब्यू'' में उसी वर्ष प्रकाशित भी किया जाता है।

(छ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

भूमिका अध्याय के सिवाय, बुर्ज होम (श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर) के उत्खनन पर कार्य पर रिपोर्ट उत्खनक श्री टी.एन. खजांची द्वारा लिखी गई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्तुत की गई है और कुछ अध्याय श्री बी.एम. पाण्डे द्वारा लिखे गए हैं। श्री खजांची को शेष लेखन कार्य को पूरा करने हेतु सभी तकनीकी सहायता देने का पुन: आश्वासन दिया गया है। समाचार में उल्लिखित अन्य स्थलों के संदर्भ में, स्थिति यह है कि नागार्जुनकोंडा पर रिपोर्ट लिखी गई है और इसका खण्ड-I भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्मरण के रूप में 1953 में प्रकाशित किया गया है, जबकि दूसरा एवं अंतिम प्रेस में है। कालीबंगन खंड-I लिखा गया और प्रस्तुत किया गया है जो फिलहाल प्रेस में है; जबकि खंड-II अर्थात् अंतिम खंड तैयार किया जा रहा है; उत्खनक द्वारा बिक्रमशिला रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और अभी इसमें केवल रेखांकन एवं दन्तकथाओं के फोटोग्राफ तथा मूल-पाठ के संदर्भांकन को शामिल किया जाना बाकी है; थानेश्वर के मामले में, उत्खनक को लिखने के लिए पहले ही आमंत्रित किया गया है और इसे आवश्यक संभार-तन्त्र एवं तकनीकी सहायता का आश्वासन दिया गया है; और धौलाचीरा के विषय में उत्खनन अभी भी चल रहा है और इस स्थिति में इस प्रकार की विस्तृत रिपोर्ट के लेखन का प्रश्न नहीं उठता। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि ऊपर उल्लिखित प्रत्येक उत्खनन के परिणामों एवं विशिष्टताओं को विभिन्न अनुसंधान पत्रों एवं पुस्तिकाओं के अलावा उत्खनन वर्ष के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बुलेटिनों में विधिवत प्रकाशित किया गया है।

सभी स्थलों के चुने एवं प्रतिनिधि पुरावशेषों को संग्रहालयों में प्रदर्शन के लिए रखा गया है और अन्य को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिरक्षा में रखा गया है।

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्खनित स्थानों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	श्री सूर्य पहाड़	गोपालपाड़ा	असम
2.	तालातल घर परिसर, जयसागर सिबसागर	सिबसागर	असम
3.	मैदाम सं. 2 (शवाधान टीला) चराइदेव	-वही-	असम
4.	वारंगल दुर्ग, त्रारंगल	वारंगल	आन्ध्र प्रदेश
5.	कपवरम	पूर्वी गोदावरी	-वही-
6.	अशोक स्तंभ स्थल, कोल्हुआ	मुज्जफ्फरपुर	बिहार
7.	स्तूप टीला, केसरिया	पूर्वी चम्पारन	बिहार
8.	पुराना जेल परिसर, बांकीपुर	पटना	-वही-
9.	राजगीर	नालंदा	-वही-
10.	चण्डीमऊ	-वही-	-वही-
11.	बकरौर (सुजाता कुटी), बोध गया	गया	-वही-
12.	तुगलकाबाद किला, दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
13.	संत अगस्टाइन गिरजाघर, पुराना गोआ	उत्तरी गोआ	गोआ
14.	चन्दौर	दक्षिणी गोआ	गोआ
15.	धौलावीरा	कच्छ	गुजरात
16.	हताब	भावनगर	गुजरात
17.	सहस्त्रलिंग तालाब, पाटन	पाटन	-वही-
18.	सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा	मेहसाणा	-वही-
19.	राखी गढ़ी, राखी शाहपुर और राखी खास	हिसार	हरियाणा
20.	नौरंगाबाद	भिवानी	-वही-
21.	कांगड़ा किला	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
22.	कनिषपुर	बारामुल्ला	जम्मू-कश्मीर
23.	जफर चक	जम्मू	-वही-
24.	गुरु बाबा-का-टिब्बा	-वही-	-वही-
25.	अम्बारन	-वही-	-वही-

1	2	3	4
26.	हम्पी	बेल्लारी	कर्नाटक
27.	कंगनहल्ली, सन्नती	गुलबर्गा	-वही-
28.	गुदनापुर	उत्तर कन्नड़	-वही-
29.	मिरजन किला	उत्तरी कनारा	-वही-
30.	प्राचीन महल लाल महल	श्री रंगपटना	-वही-
31.	बेकल किला	कसरगोड	केरल
32.	उम्मीचिपोइल और तलुयाडुक्कम	-वही-	-वही-
33.	चिचली	पश्चिमी निमार	मध्य प्रदेश
34.	उभरिया	बेतुल	मध्य प्रदेश
35.	घटवारिया	पश्चिमी निमार	-वही-
36.	सांची	रायसेन	-वही-
37.	कोतवाल (कुतवार)	मुरैना	मध्य प्रदेश
38.	सतधारा	रायसेन	-वही-
39.	बीजामंडल टीला (खजुराहो)	छत्तरपुर	-वही-
40.	मंधाता	खंडवा	-वही-
41.	देउर कोठर (बरहत)	रीवा	-वही-
42.	शैलाश्रय, भीमबेटका, तहसील ओबेडुल्लागंज	रायसेन	-वही-
43.	डरकी चट्टान, इन्द्रगढ़	मंदसौर	-वही-
44.	मानसर	नागपुर	महाराष्ट्र
45.	पैठन	औरंगाबाद	-वही-
46.	हिंगोना सिम	जलगांव	-वही-
47.	खल्कापटना	पुरी	उड़ीसा
48.	उदयगिरि	जाजपुर	-वही-
49.	बारा-बटी दुर्ग, कटक	कटक	-वही-
50.	धालेवान	मनसा	पंजाब
51.	लछुरा	भीलवाड़ा	राजस्थान
52.	ओयजेना	-वही-	-वही-
53.	शोर टेम्पल कम्प्लेक्स, महाबलीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु

1	2	3	4
54.	फोर्ट जिंजी, जिंजी तालुक	विल्लुपुरम	तमिलनाडु
55.	ठकुरानी टीला, पश्चिम पिलक	साउथ त्रिपुरा	त्रिपुरा
56.	श्याम सुंदर टीला पिलक गांव	दक्षिणी त्रिपुरा	त्रिपुरा
57.	बोक्सानगर	पश्चिमी त्रिपुरा	त्रिपुरा
58.	औन्हा	कानपुर	उत्तर प्रदेश
59.	बिसोखर	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
60.	श्रावस्ती (महेत)	श्रावस्ती	-वही-
61.	भीटा	इलाहाबाद	-वही-
62.	संकिसा	फर्रुखाबाद	-वही-
63.	मदरपुर, ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	-वही-
64.	मंडी गांव, टिटवी	मुजफ्फरनगर	-वही-
65.	कटिंगरा	एटा	-वही-
66.	बीर छबीली का टीला, फतेहपुर सीकरी	आगरा	-वही-
67.	ओरझर, श्रावस्ती	श्रावस्ती	-वही-
68.	चौखण्डी स्तूप, सारनाथ	वाराणसी	-वही-
69.	रेजीडेन्सी कम्प्लेक्स, लखनऊ	लखनऊ	-वही-
70.	राजपाट, खालसा, गोसनीमरी गांव	कूच विहार	पश्चिमी बंगाल
71.	चन्द्रकेतुगढ़	उत्तरी 24 परगना	-वही-
72.	डम डम टीला (क्लाइव का घर)	उत्तरी 24 परगना	-वही-

पंजाब में पर्यटन केन्द्रों का विकास

2139. श्री भान सिंह भौरा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजाब में नये पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कितने समय में पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब की परियोजनाओं को अभी तक अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टाइगर ट्रेल कार्यक्रम

2140. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाइगर ट्रेल नामक एक अद्भुत कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पेरियार बाघ अभ्यारण्य में बाघों का शिकार रूक गया है;

(ख) यदि हां, तो बाघों का शिकार किस सीमा तक रूका है और उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को विभिन्न राज्यों में लागू करने का है जहां पर्याप्त वन क्षेत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत पारि-विकास परियोजना के अंतर्गत पेरियार बाघ रिजर्व में तैयार किया गया ''पेरियार बाघ ट्रैल'' एक पारि पर्यटन उपक्रम है जो उद्यान में आने वाले पर्यटकों को स्थानीय बेरोजगार युवकों, जिन्हें पार्क के बारे में पूरी जानकारी है, के माध्यम से लाभदायक अनुभव प्राप्त होते हैं। इस परियोजना के क्षेत्र में अवैध शिकार में कमी की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ऐसे स्थल-विशिष्ट पारि-पर्यटन मॉडल को संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि-विकास के भाग के रूप में विकसित कर रही है।

मवेशियों के लिए रोग मुक्त क्षेत्र

2141. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कुछ राज्यों को उनके मवेशियों के लिए रोग मुक्त क्षेत्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे इसकी स्वीकृति पर क्रियान्वित किया जाएगा, अत: इस योजना के लिए राज्यवार केन्द्रीय सहायता तय नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सिंचित/असिंचित/बंजर भूमि

2142. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कृषि क्षेत्र के राज्यवार कुल सिंचित, असिंचित और बंजर भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधायें मुहैया कराने और बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह लक्ष्य किस सीमा तक हासिल किया गया है;

(ग) क्या असंचित भूमि को सिंचित बनाने और बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने संबंधी कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु सभी संबंधित एजेंसियों के बीच कोई समन्वय हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु कृषि भूमि का उपयोग बढ़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) उपलब्ध अनुमान के अनुसार, 570.55 लाख हेक्टेयर कृष्य क्षेत्र सिंचित, 855.43 लाख हेक्टेयर गैर-सिंचित तथा 638.50 लाख हेक्टे. बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने 1997-2000 के दौरान 170.55 लाख हैक्टे. क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा था और 51.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता सृजित की थी, जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारत सरकार बंजर भूमि के सुधार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से एक समेकित बंजर भूमि परियोजना चला रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान, 381.28 करोड़ रु. की लागत से 25.41 लाख हैक्टे. क्षेत्र का सुधार किया गया है जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित राज्य सिंचाई विभागों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और कृषि मंत्रालय द्वारा सस्य वैज्ञानिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही इन परियोजनाओं को तकनीकी तौर पर अनुमोदित किया जाता है। सिंचाई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय की एक संयुक्त समिति है जो विशेषज्ञता और कार्ययोजना का आदान-प्रदान करती है।

(ङ) भारत सरकार ने चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए 1997-98 में एक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च, 2002 तक 8480.03 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2002-03 के लिए 2800.00 करोड़ रु. का बजय प्रावधान रखा गया है।

(च) और (छ) जी हां। उपलब्ध अनुमान के अनुसार गैर-कृष्य उपयोग के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1990-91 के 210.90 लाख है. से बढ़कर 1998-99 में 228.10 लाख हैक्टे. हो गया है। तथापि इसी अवधि के दौरान निवल कृष्य क्षेत्र लगभग 1420.00 लाख हेक्टेयर पर स्थिर रहा है। दो बड़ी योजनाएं यथा राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास एवं प्रयोग परियोजना तथा राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना चलाई जा रही है ताकि भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सके।

विवरण-I

कृष्य सिंचित भूमि, गैर सिंचित भूमि तथा बंजर भूमि का राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र 000' हैक्टे. में)

क्र.सं.	राज्य	कृष्य सिंचित भूमि	गैर सिंचित भूमि	बंजर भूमि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4538.00	6440.00	5175.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.00	149.00	1833.00
3.	असम	572.00	2129.00	2002.00
4.	बिहार	3682.00	3749.00	2100.00
5.	छत्तीसगढ़	*	*	*
6.	गोवा	22.00	120.00	61.00
7.	गुजरात	3058.00	6616.00	4302.00
8.	हरियाणा	2842.00	786.00	373.00
9.	हिमाचल प्रदेश	103.00	446.00	3166.00
10.	झारखंड	**	**	**
11.	जम्मू व कश्मीर	309.00	424.00	6544.00

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	2492.00	7997.00	2084.00
13.	केरल	375.00	1884.00	145.00
14.	मध्य प्रदेश	6560.00	13279.00	6571.00
15.	महाराष्ट्र	2946.00	14786.00	5349.00
16.	मणिपुर	65.00	75.00	1295.00
17.	मेघालय	48.00	173.00	990.00
18.	मिजोरम	9.00	100.00	407.00
19.	नागालैंड	63.00	198.00	840.00
20.	उड़ीसा	2090.00	3958.00	2134.00
21.	पंजाब	4004.00	234.00	223.00
22.	राजस्थान	5499.00	10574.00	10564.00
23.	सिक्किम	16.00	79.00	357.00
24.	तमिलनाडु	3019.00	2616.00	128.00
25.	त्रिपुरा	35.00	242.00	2301.00
26.	उत्तर प्रदेश	12691.00	4894.00	3877.00
27.	उत्तरांचल	***	***	***
28.	पश्चिमी बंगाल	1911.00	3529.00	572.00
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.00	38.00	28.00
30.	चंडीगढ़	2.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नागर हवेली	5.00	18.00	7.00
32.	दमण और दीव	1.00	3.00	4.00
33.	दिल्ली	39.00	2.00	14.00
34.	लक्षद्वीप	1.00	2.00	0.00
35.	पांडिचेरी	22.00	3.00	4.00
	कुल	57055.00	85543.00	63850.00

*क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल है।

**क्षेत्र बिहार में शामिल है।

***क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शामिल है।

विवरण-II

सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	सिंचाई क्षमता का सृजन '000 हैक्टे. में	
		10वीं योजना (1999-2000) के लक्ष्य	1999-2000 के दौरान उपलब्धि (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	608.03	488.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.00	10.07
3.	असम	19.34	12.94
4.	बिहार+झारखंड	697.25	213.41
5.	गोवा	19.24	5.09
6.	गुजरात	1937.10	86.53
7.	हरियाणा	278.35	44.22
8.	हिमाचल प्रदेश	9.00	6.72
9.	जम्मू व कश्मीर	50.90	7.22
10.	कर्नाटक	1264.88	220.50
11.	केरल	423.30	127.07
12.	मध्य प्रदेश+छत्तीसगढ़	534.75	120.10
13.	महाराष्ट्र	2283.00	777.00
14.	मणिपुर	65.38	27.00
15.	मेघालय	12.70	6.24
16.	मिजोरम	1.85	1.96
17.	नागालैंड	18.80	5.51
18.	उड़ीसा	1004.99	211.48
19.	पंजाब	367.86	64.09
20.	राजस्थान	508.70	106.75
21.	सिक्किम	4.50	2.43
22.	तमिलनाडु	16.37	8.31
23.	त्रिपुरा	38.92	15.20
24.	उत्तर प्रदेश+उत्तरांचल	6000.00	2111.05
25.	पश्चिम बंगाल	845.00	481.41
	योग-राज्य	17033.21	5160.40
	योग-संघ शा. क्षेत्र	22.31	9.91
	योग-राज्य+संघ शा. क्षेत्र	17055.52	5170.31

विवरण-III

विगत तीन वर्षों (1999-2002) के दौरान समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(भौतिक, 000 हे. में वित्तीय रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4276.90	195.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.85	8.30
3.	असम	2337.63	193.13
4.	बिहार	66.00	8.00
5.	छत्तीसगढ़	697.90	88.01
6.	गुजरात	2382.16	110.48
7.	हरियाणा	309.44	30.28
8.	हिमाचल प्रदेश	2583.79	193.83
9.	झारखंड	189.49	24.68
10.	जम्मू व कश्मीर	693.13	30.57
11.	कर्नाटक	1933.22	116.23
12.	केरल	241.03	19.47
13.	मध्य प्रदेश	3982.29	254.49

1	2	3	4
14.	महाराष्ट्र	1439.96	169.46
15.	मणिपुर	825.11	20.50
16.	मेघालय	260.74	34.72
17.	मिजोरम	933.23	113.12
18.	नागालैंड	2419.11	127.18
19.	उड़ीसा	1905.94	112.19
20.	पंजाब	268.92	14.18
21.	राजस्थान	2499.75	205.30
22.	सिक्किम	836.44	42.94
23.	तमिलनाडु	1997.80	157.61
24.	त्रिपुरा	160.23	19.42
25.	उत्तर प्रदेश	4169.27	166.70
26.	उत्तरांचल	632.33	79.16
27.	पश्चिम बंगाल	45.00	5.46
28.	गोवा		
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप		
30.	चण्डीगढ़		
31.	दादरा और नागर हवेली		
32.	दिल्ली		
33.	दमण और दीव		
34.	लक्षद्वीप		
35.	पांडिचेरी		
36.	डी.वी.सी. (झारखंड)		
37.	एच.क्यू./अन्य		
	कुल	38127.66	2540.89

[अनुवाद]

जी.एम. प्रौद्योगिकी

2143. श्री महबूब जहेदी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी.एम. प्रौद्योगिकी अपर निजी क्षेत्र के वर्तमान आधिपत्य से संपत्ति अधिकार प्रणाली उत्पन्न होने का खतरा जहां कुछ बड़ी कंपनियों के पास पेटेंट होगा और वे पौध सामग्री के उपयोग पर नियंत्रण रखेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रतिस्पर्धी नष्ट हो जाएगा और किसानों द्वारा उगायी जाने वाली परंपरागत किस्मों और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान की भूमिका दोनों के सामने खतरा उत्पन्न होगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल किस्मों सहित पौध किस्में पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत संरक्षण के पात्र हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पारम्परिक/वर्तमान किस्मों को भी पंजीकृत किया जा सकता है। यदि जनता को बीज समुचित मात्रा और उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होते तो अधिनियम में बीजों के उत्पादन, वितरण और बिक्री के लिए अथवा पंजीकृत किस्मों की अन्य प्रसार सामग्री के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान है। अधिनियम संरक्षित किस्म के ब्रांडिड बीजों की बिक्री को छोड़कर संरक्षित किस्म के बीज सहित कृषि उत्पाद को बचाने, प्रयोग करने, बोने, पुन: बोने, विनिमय करने, हिस्से करने अथवा बेचने से संबंधित किसानों के अधिकारों का भी संरक्षण करता है।

जल निकाय प्रबंधन प्राधिकरण

2144. श्री के. येरननायडू : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी जल निकायों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु किसी अलग प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से नदियों एवं झीलों में प्रदूषण उपशमन संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन की देख-रेख करता है। यह राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नीतियों एवं कार्यक्रमों (दीर्घावधि एवं अल्पावधि) को तैयार, प्रोत्साहित एवं अनुमोदित करता है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों की जांच करता है और उसे अनुमोदित करता है तथा अनुमोदित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करता है।

[हिन्दी]

जल क्षेत्र में सुधार हेतु योजना

2145. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल क्षेत्र में सुधार लाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यवार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) यद्यपि जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन एवं उनके वित्त पोषण का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार जल संसाधनों के प्रबंधन एवं विकास में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करती है:

(1) सृजित सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से वर्ष 1974-75 से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.पी.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत खेत चैनलों, खेल जल निकासों के निर्माण, वाराबंदी के क्रियान्वयन, भूमि समतलन/आकार देने और जलजमाव क्षेत्रों में सुधार लाने के वास्ते आन-फार्म विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराई जाती है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अधिकतम जल के कुशल उपयोग विशेष रूप से कृषि, जल स्थानांतरण प्रणाली और सहभागिता प्रबंधन पद्धतियों के सुधार पर विशेष बल देने का प्रस्ताव है।

(2) देश में बहुत दिनों से लंबित पड़ी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा रूके निवेशों से शीघ्र लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया (सी.एल.ए.) कराने के वास्ते भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) प्रारंभ किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों जिसमें पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम, पर्वतीय राज्य जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल तथा उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरपुट सूखा प्रवण जिले शामिल हैं। फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत उन अभिज्ञात वृहद/मध्यम परियोजनाओं को 100% ऋण सहायता मुहैया कराने का भी निर्णय किया गया है जो निर्माण के उन्नत चरण में हैं और जिन्हें एक वर्ष (2 कार्यकारी मौसमों) में पूरा किया जा सकता है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पिछले वर्ष अर्थात् 2001-02 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.पी.) और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001-02 में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)	
		ए.आई.बी.पी. के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता	सी.ए.डी.पी. के तहत केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	104.99	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	0.35
3.	असम	14.521	0.35
4.	बिहार	3.42	3.00
5.	छत्तीसगढ़	48.2	0.46
6.	गोआ	58.00	0.00
7.	गुजरात	487.69	0.00
8.	हरियाणा	0.00	23.22
9.	हिमाचल प्रदेश	3.244	1.56

1	2	3	4
10.	जम्मू व कश्मीर	11.07	1.71
11.	झारखण्ड	10.82	–
12.	कर्नाटक	492.5	34.24
13.	केरल	11.275	5.08
14.	मध्य प्रदेश	117.38	0.16
15.	महाराष्ट्र	39.1	7.45
16.	मणिपुर	9.36	0.00
17.	मेघालय	4.47	0.00
18.	मिजोरम	2.00	0.07
19.	नागालैंड	5.00	1.33
20.	उड़ीसा	104.045	5.05
21.	पंजाब	113.69	0.00
22.	राजस्थान	96.315	26.55
23.	सिक्किम	2.4	0.05
24.	तमिलनाडु	0.00	13.36
25.	त्रिपुरा	21.063	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	314.96	22.74
27.	उत्तरांचल	0.00	–
28.	पश्चिम बंगाल	38.608	0.00
	कुल	2129.12	146.73

[अनुवाद]

सूखा रोधी चावल की किस्म

2146. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद विश्वविद्यालय ने अमरीकी राकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर आणविक और जीनोम प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा सूखा रोधी चावल की किस्म तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुसंधान परियोजना आई.सी.ए.आर. के राष्ट्रीय चावल नेटवर्क कार्यक्रम का हिस्सा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अनुसंधान सफल रहा है; और

(घ) इससे किसानों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित राकफेलर फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त निधि से चलने वाली इस परियोजना के अधीन मूल अनुसंधान कार्य जल सीमित पर्यावरण के लिए चावल के आनुवंशिक सुधार के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रगतिशील अवस्था में है। तथापि, अभी तक सूखा रोधिता के लिए चावल की कोई किस्म नहीं पहचानी गई है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना

2147. श्री मानसिंह पटेल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना लागू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना 1998 में दिसम्बर, 1998 तक कार्यान्वित की गई। इस परियोजना के तहत 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 565 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का 535 करोड़ रु. की लागत से आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया गया।

रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर

2148. श्री नवल किशोर राय :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रोजगार की तुलना में श्रम की वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सकल घरेलू उत्पाद में 5% से भी अधिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के नये अवसरों की वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्षवार वृद्धि दर कितनी थी;

(घ) क्या सरकार ने कृषि, उद्योग और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों की वार्षिक वृद्धि दर का पता लगा लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में उक्त दर किस सीमा तक अधिक या कम है; और

(छ) दसवीं योजना विशेषकर आगामी दो वर्षों के दौरान रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ाने हेतु क्या नई पहल की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम बल का निर्धारण किया जाता है। 1983, 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, श्रम बल की वार्षिक वृद्धि दर जो 1983-94 के दौरान 2.05% थी 1994-2000 में घटकर 1.03% रह गई। इसी प्रकार, रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर जो 1983-94 के दौरान 2.04% थी 1994-2000 में घटकर 0.98% रह गई।

(घ) से (च) कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की वार्षिक वृद्धि दर नीचे दी गई है:

अवधि	रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर (%)		
	कृषि	उद्योग	योग
1983-94	1.51	2.14	2.04
1994-2000	-0.34	2.05	0.98

(छ) 10वीं योजना में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाली नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

'नीरा' पर अनुसंधान हेतु धनराशि

2149. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 'नीरा' पर अनुसंधान कराने हेतु नारियल विकास बोर्ड से धनराशि मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो नारियल विकास बोर्ड द्वारा अब तक स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने 'नीरा' पर अनुसंधान करने के लिए नारियल विकास बोर्ड से धनराशि की मांग नहीं की है। तथापि, नारियल विकास बोर्ड ने नारियल की खेती, उत्पाद विविधीकरण तथा उप-उत्पाद उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास, संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत वर्ष 1999-2000 से 2001-02 की अवधि के दौरान कर्नाटक सरकार को 17.83 करोड़ रु. की धनराशि निर्मुक्त की।

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु धनराशि आबंटन

2150. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना अवधि के दौरान बाल श्रम के उन्मूलन हेतु आबंटन राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और कुल कितने बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान बाल श्रमिकों का नियोजन करने वाले संगठनों या व्यक्तियों के विरुद्ध कुल कितने मामले दर्ज किये गये?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) नौवीं योजना अवधि में बाल श्रम योजनाओं के लिए निधियों का कुल आबंटन 249.60 करोड़ रु. था। दसवीं योजना हेतु आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। योजना आयोग ने दसवीं योजना अवधि हेतु उपर्युक्त योजनाओं के लिए निधियों के कुल प्रावधान का अभी तक संकेत नहीं दिया है।

(ग) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रमश: 3678.00 लाख रु.. 3698.69 लाख रु. और 6099.00 लाख रु. की राशि जारी की गयी है। योजना के अंतर्गत अब तक 1.40 लाख बच्चों को औपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किया जा चुका है।

(घ) 1998-2001 में पिछले तीन वर्षों के दौरान 6,47,493 निरीक्षण किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 12,517 अभियोजन चलाए गए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नये पुलों का निर्माण

2151. योगी आदित्यनाथ : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न स्थानों पर नये पुलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थलों के लिए है; और

(ग) इन पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित तीन पुलों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मंत्रालय में इनकी जांच की जा रही है:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के 126 कि.मी. में सेवती पुल

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 432 कि.मी. में गौन पुल

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग 56 का पुल संख्या 46/1

(ग) इस स्तर पर पुलों के पूरे होने की तारीखें बता पाना संभव नहीं है।

राजस्थान में प्राणी उद्यानों का विकास

2152. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने प्राणी उद्यानों विशेषकर राज्य कोटा स्थित प्राणी उद्यान के समुचित विकास हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1999 और उसके बाद भी प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावों को अब तक मंजूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी और लागू किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) राजस्थान में प्राणि-उद्यानों को उनके वर्तमान स्थलों पर व्यवहार्य नहीं पाया गया है। राजस्थान सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि प्राणी उद्यानों की नए स्थान पर पुनर्स्थापना हेतु उन्हें चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजस्थान के प्राणि उद्यानों में स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाओं के समुननयन और जल-आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें 18.34 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। कोटा के प्राणी-उद्यान को बन्द करने का निर्णय किया गया है और वर्ष 1998 के बाद इसे कोई धनराशि नहीं दी गई है। राज्य सरकार से विस्तृत योजनाएं तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके आधार पर राज्य सरकारों को धनराशि दी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना

2153. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर-पाडी-मंडलापार/मुगाली, रायपुर राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण उक्त प्रस्ताव सहित देश में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विलासपुर और रायपुर पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 से जुड़े हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल संरक्षण हेतु योजना

2154. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल विशेषज्ञों ने जल संरक्षण संबंधी मास्टर प्लान की जरूरत पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भूमिगत जल और जल प्रबंधन पर हाल में भोपाल में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो देश में जल संरक्षण संबंधी नीतिगत निर्णय लेने हेतु क्या ठोस योजना तैयार की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में 16 और 17 जून, 2002 को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में भूमि जल संरक्षण एवं प्रबंधन विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि जल के विकास, संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु एक अलग अभिकरण का गठन करने तथा इस अभिकरण द्वारा भूमि जल पुनर्भरण हेतु विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। जल राज्य का विषय होने के कारण सभी जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए स्वयं राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार को इस सिफारिश पर विचार करना है।

(घ) हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में जल के संरक्षण और जल के कुशल उपयोग पर बल दिया गया है। इस नीति में जल संसाधनों को संरक्षित करने के साथ-साथ प्रदूषण कम, समाप्त करके और जल परिवहन मार्ग को पक्का करके, तालाबों सहित वर्तमान प्रणालियों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना करके, संशोधित बहि:स्रावों को रिसाइक्लिंग एवं पुन: उपयोग में लाकर तथा मल्चिंग अथवा पीचर सिंचाई जैसी पारंपरिक तकनीकें अपना कर उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने और जहां कहीं व्यवहार्य हो, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा दिये जाने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का विकास और विस्तार

2155. श्री महेश्वर सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न विमानपत्तनों के विस्तार और विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और काम की प्रगति किस चरण में है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुल्लू विमानपत्तन के विस्तार हेतु 32 करोड़ रुपये के निवेश का है ताकि वहां ए.टी.आर. 72 विमान उतर सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान देश के विभिन्न हवाई अड्डों के विस्तार और विकास के लिए 645.70 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गई हैं। ऐसी परियोजनाएं यातायात अपेक्षाएं संसाधनों की उपलब्धता, मौसम की स्थिति इत्यादि पर निर्भर करती हैं और एयरपोर्ट की खास जरुरत के आधार पर इन्हें चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अग्निशमन केन्द्र, विमानशाला, कार्गो परिसर, चारदीवारी, टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर का निर्माण रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण इत्यादि जैसे सभी पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हैं। सभी परियोजनाओं के कार्य की प्रगति का क्षेत्रीय स्तरों के साथ-साथ निगमित स्तर पर मोनीटर की जाती है ताकि सम्य पर इसे पूरा किया जा सके।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार करने संबंधी तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहा है जिसमें व्यास नदी के बहाव की दिशा बदलना भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पर्यटक परिसर

2156. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में पर्यटक परिसर की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित और जारी की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे परामर्श करके प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग, भारत सरकार देश में छः यात्रा परिपथों को वार्षिक आधार पर अभिनिर्धारित करने और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने का प्रस्ताव करता है। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और संबंधित भारत सरकार के विभागों के साथ गहन समन्वय और भागीदारी से अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा उनका विकास किया जायेगा। इसके अलावा, समग्र विकास के लिए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एक बड़े गंतव्य स्थल को अभिनिर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का निर्यात

2157. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रंसस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कौन सी खाद्य वस्तुएं निर्यात की गयी और किन देशों को उनका निर्यात किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्रसंस्कृत खाद्य मदों के ब्यौरे

(मूल्य : करोड़ रुपये में)

मद	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी	993.6	1345.5	1074.8
पशु उत्पाद	905.0	1637.1	1540.4
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य (गुआरगम, मूंगफली, अल्कोहलयुक्त पेय, मिल उत्पाद आदि)	1494.4	1798.0	1490.4
चावल	3125.8	2943.3	3163.43

1	2	3	4
अखरोट	60.5	109.9	90.0* (अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक 72.00 करोड़ रुपये)
समुद्री उत्पाद	5116.6	6443.8	5957
कुल	11695.9	14277.6	13316.03

(*अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 के लिए अनंतिम)

विवरण-II

निर्यातित उत्पादों और उन्हें आयात करने वाले प्रमुख देशों के ब्यौरे

उत्पाद	प्रमुख बाजार
सूखी और परिरक्षित सब्जियां	मिस्र, श्रीलंका, अमेरिका, बंगला देश, सूडान
आम का गूदा	सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, कुवैत
अचार और चटनी	ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी
अन्य प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	इंडोनेशिया, अमेरिका, नीदरलैंड, फिलीपीन्स
पशु खाद्य उत्पाद	
भैंस मांस	मलेशिया, मिस्र, फिलीपीन्स, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान
भेड़/बकरी मांस	संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर
पॉल्ट्री उत्पाद	संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, जापान, बंगला देश, यमन
डेरी उत्पाद	बंगला देश, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, ओमान, अंगोला
पशु आवरण	पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस
प्रसंस्कृत मांस	थाइलैंड, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, कांगो
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	
मूंगफली	इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रिटेन, फिलीपीन्स, मिस्र
ग्वारगम	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, हांगकांग
अल्कोहलयुक्त पेय	संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, नीदरलैंड, कोरिया, नेपाल
मिल में तैयार उत्पाद	यमन, बांग्लादेश, फिलीपीन्स, ओमान, सूडान
चावल	सऊदी अरब, बांग्लादेश, संयुक्त अग्ब अमीरात, सिंगापुर, ब्रिटेन, कुवैत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका
अखरोट	स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, मिस्र
समुद्री उत्पाद	जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ

[अनुवाद]

मजदूर संघों से अभ्यावेदन

2158. श्री सुनील खां : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बोनस भुगतान पर सीलिंग सीमा और ग्राह्य सीलिंग को वापस लेने हेतु मजदूर संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसमें अंतिम संशोधन कब किया गया था?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) श्रमिक संघ पात्रता सीमा और गणना की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने/समाप्त करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन की मांग करते रहे हैं। इस मुद्दे की व्यापक वित्तीय प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है क्योंकि बढ़े हुए बोनस के लाभ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (केन्द्र तथा राज्य दोनों) के कर्मचारियों, केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा निजी क्षेत्र के साथ ही स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने होंगे जिसके परिणामस्वरूप सरकार के राजकोष पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा।

(ग) बोनस भुगतान के लिए पात्रता सीमा और गणना की उच्चतम सीमा पिछली बार वर्ष 1995 में अधिनियम में संशोधन द्वारा क्रमश: 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 और 1600 रुपये से बढ़ाकर 2500 की गई थी तथा इसे 1.4.1993 से प्रभावी किया गया।

राष्ट्रीय वेतन नीति

2159. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार और बढ़ रही बेरोजगारी पर काबू पाने हेतु कोई प्रकोष्ठ गठित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) मूल्यों, रोजगार, उत्पादकता, सामाजिक न्याय तथा पूंजी निर्माण और अर्थव्यवस्था की ढांचागत विशेषताओं के मद्देनजर राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) रुग्ण इकाईयों के पुनर्वास तथा बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए इस मंत्रालय ने किसी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया है। रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित पुनर्वास पैकेज संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं। रुग्ण इकाइयों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों से परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा तैनाती हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भी एक योजना तैयार की है। योजना में मुख्य बल यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के स्वनियोजन पर है।

[हिन्दी]

नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा

2160. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुंदर लाल तिवारी :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री पी. कुमारासामी :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद पेट्रोल और डीजल पर लगाये गये उपकर में से सड़क अवसंरचना के विकास हेतु मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को नये राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के संबंध में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा/उनके निर्माण हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्या सुविधायें और सुरक्षोपाय मुहैया कराने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) यह मंत्रालय, पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर से प्राप्त धनराशि में से राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आबंटित करता है। ग्रामीण सड़कों के लिए धनराशि का आबंटन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश को जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रु.)
1999-2000	287.02 (पुरानी केंद्रीय सड़क निधि)
2000-2001	2084.00
2001-2002	914.05
2002-2003 (आज तक)	2084.00

(ख) से (ङ) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए पश्चिम बंगाल से 13 प्रस्ताव और मध्य प्रदेश से 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंड के आधार पर समीक्षा के लिये ये प्रस्ताव जून, 2002 में राज्यों को लौटा दिए गए हैं। इस समय देश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर 10वीं योजना के दौरान, राज्यों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों में से कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर विचार कर सकता है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपायों के लिए उन्हें चौड़ा करना, गुणता में सुधार, ज्यामिती में सुधार, संकेतों और चिह्नांकनों की व्यवस्था, संकरे पुलों/पुलियों आदि का प्रतिस्थापन आदि कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पार्किंग स्थलों और यात्रीपरक मार्गस्थ सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की भागीदारी

2161. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि अनुसंधान और विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तपोषण किया जाना सुनिश्चित करने का है ताकि उत्पादकता में शीघ्र वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के आबंटन का विवरण इस प्रकार है:

पंचवर्षीय योजना	आबंटन (रुपए करोड़ में)
आठवीं	1300.00
नौवीं	2514.17
दसवीं	4868.00

(ग) और (घ) सार्वजनिक कृषि अनुसंधान प्रणाली के रूप में विभाग ने उद्योग/निजी क्षेत्र के साथ संबंधों के लिए अनेक पहलें की हैं। सम्मिलित मुद्दों पर अप्रैल, 1998 और फरवरी, 2000 के दौरान सम्पन्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उद्योग अन्तरापृष्ठ पर दो पृथक कार्यशालाओं में चर्चा हुई। विभाग ने निजी क्षेत्र के साथ अनुसंधान के लिए साझेदारी हेतु नियमों और पद्धतियों के गठन के लिए एक समिति भी गठित की है।

वैयक्तिक भविष्य निधि संख्या

2162. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के सभी अंशदाताओं को प्रत्यक्ष वैयक्तिक भविष्य निधि संख्या प्रदान की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी अंशदाताओं को उक्त संख्या कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां। नामांकन के समय सभी कर्मकारों को एक खाता संख्या आबंटित की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि कामगारों की कमी

2163. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा. सुशील कुमार इंदौरा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कामगारों की प्रतिशतता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुल कामगारों में से कितने कामगार कृषि क्षेत्र में लगे हुए है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि कामगारों की प्रतिशतता में कमी के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) कृषि क्षेत्र में नियोजन के योजनावार आकलन नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1993-94 में आयोजित सर्वेक्षण की तुलना में कृषि क्षेत्र में कामगारों की प्रतिशतता में कमी आई है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार, 39.7 करोड़ के कुल नियोजन में से, कृषि क्षेत्र में नियोजन 23.7 करोड़ है जो कुल श्रमबल का 60 प्रतिशत है।

(ग) कमी के कारणों में औद्योगिक नौकरियों के लिए शहरों के लिए जाना अथवा नैमितिक/स्व-नियोजन आदि शामिल हैं।

एअर इंडिया के ''महाराजा'' का पुनरूद्धार

2164. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एअर इंडिया के ''महाराजा'' का पुनरुद्धार करने और इसकी स्थिति में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) एअर इंडिया ने कारोबार में सुधार करने तथा विश्व की बेहतर विमान कम्पनियों से प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के लिए, यात्री जनता के लिए कई सुविधाओं की व्यवस्था की है। संयुक्त एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम, फ्लाइंग रिटर्न 1994 में अमेरिका, कनाडा तथा यू.के. में विस्तार किया गया था। एअर इंडिया ने जनवरी, 2002 में अपनी ऑनलाइन बुकिंग सुविधा आरंभ की है। अन्य उपाय हैं: हानि में चल रहे मार्गों से क्षमता को हटाना तथा इसे अधिक लाभकारी मार्गों पर लगाना, प्रथम, एग्जीक्यूटिव तथा पूर्ण इकॉनामी श्रेणी किरायों पर कारोबार प्रोत्साहन के लिए भारतीय बाजार में काम्पेनियन फ्री स्कीम लाना, स्वचालित राजस्व प्रबंध प्रणाली के माध्यम से प्रभावी लब्धि-प्रबंधन, 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी भारतीय बाजार में एक नये ढांचा किराए ढांचे का कार्यान्वयन जिसका डिजाइन (1) यह सुनिश्चित करना कि एयरलाइन इंवेंटरी का प्रयोग वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है और (2) उन यात्रियों को कम किराये की सुविधा प्रदान करना जो बुकिंग अग्रिम तौर से कराते हैं, सभी छह बी-747-400 विमानों पर एक्जीक्यूटिव श्रेणी सीटों को आधुनिक डिजाइन वाली सीटों से बदलना जिसमें पोर्टेबल डीवीडी पालियर्स लगी हों। एअर इंडिया ने एक प्रोत्साहक उपाय के रूप में खान-पान उत्सव आयोजित करने का भी निर्णय किया है। इस समय एअर इंडिया खाड़ी मार्गों पर एअर इंडिया की उड़ानों में विमानों पर कबाब तथा कुरीज उत्सव मना रही है।

बाल श्रमिकों का शोषण

2165. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री शिवाजी माने :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिकों के साथ किए जा रहे दुव्यर्वहार की जानकारी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योगों में शोषण के कारण कितने बाल श्रमिकों की मृत्यु हुई;

(ग) सरकार द्वारा इन उद्योगों में बाल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के लिए विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) किसी विशिष्ट घटना की जानकारी सरकार को नहीं मिली है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में शामिल 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करते पाए जाने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाए जाते हैं। उद्योगों में शोषण के कारण मारे गए बाल श्रमिकों की संख्या नहीं रखी जाती है।

कानून के प्रवर्तन के अतिरिक्त सरकार काम से निकाले गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम चला रही है। वर्ष 2002-2003 के लिए स्कीम के लिए 68.50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार निधियां सीधे जिला बाल श्रम परियोजना सोसाइटियों को जारी की जाती हैं।

हसदेव बांगों सिंचाई परियोजना

2166. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगों सिंचाई परियोजना के लिए कोई धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधियों के उपयोग में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) और (ख) हसदेव बांगों सिंचाई परियोजना को अभी तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 79.78 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मार्च, 2002 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को क्रमश: 716.563 करोड़ और 86.650 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है।

कार्बनिक प्रदूषण के संबंध में स्टॉकहाम कनवेंशन

2167. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब भारत कार्बनिक प्रदूषण के संबंध में स्टॉकहाम कन्वेंशन के अनुसार भूमंडलीय पर्यावरणीय सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेण्टल फैसिलिटी (जी.ई.एफ.) के अंतर्गत अनुदान पाने का पात्र है;

(ख) यदि हां, तो जी.ई.एफ. से अनुदान पाने के लिए मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ग) इसके अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि का अनुदान प्राप्त हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कार्बनिक प्रदूषण को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) मंत्रालय ''कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित स्टॉकहोम कन्वेंशन'' नामक शीर्षक वाली कन्वेंशन से संबंधित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल मात्स्यिकी बंदरगाह

2168. श्री के. मुरलीधरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी बंदरगाह की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने संलग्न विवरण में दिए ब्यौरे के अनुसार केन्द्रीय सहायता के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल तट के विभिन्न स्थानों पर मात्स्यिकी बंदरगाह स्थापित करने के लिए 16 (सोलह) प्रस्ताव दिए हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार ने अभी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, आवश्यक भूमि की उपलब्धता, राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करनी है और इस प्रकार ये प्रस्ताव बिल्कुल प्रारंभिक चरण में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावित मत्स्य बंदरगाह स्थल का नाम	जिला
1	2	3
1.	थोटापाल्ली	अलापुझा
2.	कोयीलांडी	कोझीकोड
3.	थलाई	कन्नौर
4.	कसरगोड़े	कसरगोड़े
5.	आरथुंगल	अल्लापुझा
6.	चेतुवाई	थिरसुर
7.	चेरूवथुर निलेश्वरम	कसरगोडे
8.	वरकला-चिलकुर	तिरूअनंतपुरम
9.	चेथी	अलापुझा
10.	अंदकरनाझी	अलापुझा
11.	चेलानाम	एरनाकुलम
12.	परपानगडी	मालापुरम
13.	वदाकारा	कोझीकोड
14.	कोरापुझा	कोझीकोड
15.	थनुर	मालापुरम
16.	मजेंश्वरम	कसरगोडे

नदियों के जल में घुलनशील ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट

2169. श्री के.ए. सांगतम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल चर जीवन, मात्स्यिकी और अन्य जल जीव जंतुओं और पौधों के लिए बढ़ते खतरे के मद्देनजर देश के विभिन्न भागों में विशेषकर असम, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नदियों के जल के घुलनशील ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के संबंध में एक सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) इस समय सी.आई.सी.एफ.आर.आई., बैरकपुर चुनिंदा नदी प्रणालियों में भी विशेषकर, गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियों, कावेरी तथा सतलुज की पारस्थितिकी, जैव-विविधता तथा मात्स्यिकी पर अन्वेषण कार्य कर रहा है। जल गुणवत्ता प्राचलों में घुलनशील ऑक्सीजन तत्व भी इस अन्वेषण का एक हिस्सा है। इन नदियों की प्रणाली में भौतिक-रासायनिक प्राचलों में कोई भयप्रद प्रवृत्ति नहीं दर्शायी थी।

इस समय असम, उड़ीसा और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में नदियों के जल में घुलनशील ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट पर सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमित संसाधनों के कारण असम, उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की नदियों में घुलनशील ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट पर सर्वेक्षण करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

जैविक उद्यानों का उन्नयन

2170. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सहित कतिपय राज्यों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में स्थित जैविक उद्यानों का राष्ट्रीय जैविक उद्यानों में उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) केरल सहित किसी राज्य के वनस्पति उद्यानों को राष्ट्रीय वनस्पति उद्यानों का दर्जा देने के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों का सुधार

2171. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में राज्य की 32.5 लाख कि.मी. लंबी सड़कें उचित रख-रखाव के अभाव में और निधियों की कमी के कारण खराब स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उक्त सड़कों की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्यत: केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव तथा उसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केंद्र सरकार राज्यीय सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इस समय केंद्र सरकार राज्यीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुधार के लिए राज्यों के प्रतिवर्ष 1080 करोड़ रु. दे रही है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यों को प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रु. दिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47

2172. श्री वी.एम. सुधीरन :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-47 के चरथला-एलेपी-हरिपद-कायमकुलम भाग के निर्माण कार्य में हो रहे अनावश्यक विलंब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 हेतु कोल्लम उपमार्ग को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) रा.रा. 47 के चेरथलै-अलेप्पी-हरिपद-कायमकुलम खंड को पहले से ही दो लेन वाले मार्ग में विकसित किया गया है। आगे के विकास कार्य के लिए इस खंड के चुनिंदा खंडों में पेव्ड शोल्डर के प्रावधान को चालू वार्षिक योजना 2002-03 में शामिल कर लिया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग से यह प्रस्ताव अभी आना बाकी है।

(ग) और (घ) कोल्लम बाइपास के चरण-I और चरण-II का सड़क कार्य पूरा कर लिया गया है सिवाय चरण-II में एक सड़क उपरि पुल (आर.ओ.बी.) के जिसे रेलवे द्वारा किया जा रहा है और इसे सितम्बर, 2002 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस बाइपास के शेष भाग को पूरा करने के लिए यह योजना बनाई गई है कि यह सड़क कार्य बजटीय संसाधनों से और पुल कार्य निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाए। दिसम्बर, 2001 में राज्य

लोक निर्माण विभाग से यह अनुरोध किया गया था कि वह इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करे। राज्य लोक निर्माण विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

नागपुर से उड़ानें

2173. श्री नरेश पुगलिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर और अहमदाबाद तथा नागपुर और बंगलौर के बीच इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर की कोई उड़ानें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर अथवा निजी विमानन कंपनियों की उड़ानों को शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी, हां। इस समय, इंडियन एयरलाइंस क्षमता तथा वाणिज्यिक तंगी की वजह से नागपुर को अहमदाबाद तथा बंगलौर के साथ हवाई संपर्क से जोड़ने की स्थिति में नहीं है। एयरलाइन ऑपरेटर मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए किसी भी सेक्टर पर सेवा प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

मेहर रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण कार्य

2174. श्री रामानन्द सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर रेलवे जोन (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर मेहर रेलवे ऊपरिपुल के निर्माण कार्य के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा इस ऊपरिपुल के शीघ्र निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) मेहर रेल उपरि पुल के संरेखण को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य एडवांस स्टेज में है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है।

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

2175. श्री राजो सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में चालू सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए बिहार में कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि के ऋण की मांग की गई है; और

(घ) उक्त ऋण के द्वारा वित्त पोषण की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) वर्तमान में बिहार में 7 वृहत एवं 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	चल रही परियोजनाओं का का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई मूल	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	
			अनुमोदित मूल	अद्यतन
1	2	3	4	5
(क) वृहद परियोजनाएं				
1.	ऊपरी किउल	V	8.07	109.93
2.	बरनार जलाशय	V	8.03	230.43

1	2	3	4	5
3.	बटेश्वरस्थान पंप चरण-I	V	13.88	249.54
4.	दुर्गावती	VI	25.30	234.41
5.	गंडक फेज-II	VI	21.00	578.27
6.	कोसी पूर्वी नहर चरण-II	VI	26.93	156.32
7.	पश्चिमी कोसी नहर	III	13.49	900.00
(ख) मध्यम परियोजनाएं				
1.	बटेश्वरस्थान पंप चरण-II	V	2.97	37.87
2.	सिद्धवारनी जलाशय स्कीम	VI	4.45	34.10
3.	ओरनी जलाशय	V	2.96	58.76

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण

2176. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार आनुवंशिकीय खेती (जेनेटिक फार्मिंग) हेतु किसानों को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रयोगशालाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां।

कृषि तथा सहकारिता विभाग ने किसानों को भण्डारण, गिरवी के आधार पर वित्त देने की सुविधाएं (प्लैज लाइसैंसिंग) तथा अन्य विपणन सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण गोदामों के निर्माण/पुनरुद्धार/विस्तार के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का निरूपण किया है। इस स्कीम का उद्देश्य छोटे किसानों को उनकी धारण क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम बनाना है ताकि उनको ब्याज की कम दर पर गिरवी के आधार पर ऋण की सुविधा प्रदान करके उनके उत्पादों की बिक्री लाभकारी मूल्यों पर की जा सके और उनको संकटकालीन बिक्री से बचाया जा सके। इस स्कीम में भंडारण के समय कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग और मानकीकरण की परिकल्पना की गई है ताकि गोदाम के रखवाले द्वारा जारी की गई प्राप्तियां जब कभी भी ऐसी प्राप्तियों को वैधानिक मान्यता दी जाती है, पराक्राम्य अभिलेख (निगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट) के रूप में उपयोग में लाई जा सकें। इस स्कीम के तहत परियोजना के समापन के पश्चात् गोदाम के निर्माण की पूंजीगत लागत के 25% की सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पहाड़ी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित व्यक्तियों के लिए सब्सिडी की राशि 33.33% है। इस स्कीम को 26.2.2002 को अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के तहत 18.50 लाख मी. टन की नई भण्डारण क्षमता और 1.50 लाख मी. टन के सहकारी गोदामों के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 31 मार्च, 2003 तक के लिए 90.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृषि-क्लिनिकों की स्थापना से संबंधित स्कीम कृषि स्नातकों के लिए एक स्व-रोजगारपरक स्कीम है और सरकार कोई भी कृषि-क्लिनिक नहीं खोलेगी।

[अनुवाद]

मंदिरों और पूजा स्थलों के लिए न्यास

2177. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से प्रमुख मंदिरों और पूजा स्थलों के प्रबंधन हेतु न्यास की स्थापना करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन न्यासों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) ऐसी कोई सलाह औपचारिक रूप से नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2178. श्री जी.जे. जावीया : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में ग्यारह (11) यूनिटों के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई।

(ख) आज की तारीख में दो प्रस्ताव राज्य नोडल एजेंसी की सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण लंबित हैं। इसके अलावा, इनमें से एक मामले में आवेदक ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया गया है।

(ग) चूंकि अभी राज्य नोडल एजेंसी और आवेदक यूनिट द्वारा सूचना भेजी जानी है इसलिए किसी निश्चित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

कोकराझार स्थित नये विमानपत्तन

2179. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोकराझार स्थित एक नये विमानपत्तन को स्वीकृति प्रदान करने और लोबर असम में तत्कालीन रूपसी विमानपत्तन को पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) आसाम राज्य सरकार ने, ए.टी.आर.-72 प्रकार के विमानों के प्रचालनों के लिए एक हवाई अड्डे के विकास के लिए, कोकराझार के निकट चांदमारी गांव में एक स्थल की पहचान की थी। तथापि, वन तथा पर्यावरण विभाग की इस भूमि को बोडोलैण्ड परिषद को सौंपने पर कड़ी आपत्ति के कारण, कोकराझार में हवाई अड्डे के निर्माण की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था। कोकराझार सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नए अंतर्देशीय हवाई अड्डे के निर्माण की साध्यता तथा आवश्यकता की छानबीन करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन पुनरुद्धार ने एक समिति का गठन किया है।

रूपसी हवाई अड्डे के पुनरूद्धार में बहुत अधिक व्यय के अंतर्ग्रस्त होने, प्रचालनों के लिए एयरलाइनों से मांग न होने और इस क्षेत्र की गंभीर सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे के पुनरुद्धार करने की कोई योजना नहीं हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पवनहंस का परिचालन

2180. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों सहित लक्षदीप, सिक्किम के लिए पवनहंस हेलीकॉप्टर सेवा को प्रदान की जा रही वित्तीय राज सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या शिलांग, कोहिमा, इटानगर और आइजोल में उड़ानों के नियमित परिचालन की संभाव्यता का सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा सकता है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा में

पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. द्वारा हेलीकॉप्टर प्रचालन के लिए सरकार लगभग 75% की सब्सिडी दे रही है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. 80% की सरकारी सब्सिडी से लक्षद्वीप में प्रचालन कर रही है।

(ख) पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. द्वारा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य सरकारों को दिए गए हेलीकॉप्टरों का प्रचालन पहले से ही इटानगर और शिलांग तक आने जाने वाली उड़ानों के लिए किया जाता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. ने नागालैंड और मिजोरम में हेलीकॉप्टर प्रचालन के लिए इन राज्य सरकारों को प्रस्ताव दिया है। यद्यपि दोनों राज्यों ने अब तक प्रत्योत्तर नहीं दिया है।

फलों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि

2181. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा फल उत्पादन में वृद्धि करने और फलों तथा इसके सह-उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): सरकार कृषि में वृहत् प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण, संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसके तहत फलों के विकास के लिये भी सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने क्रियाकलापों में प्राथमिकता का निर्धारण कर सकती हैं। फल उत्पादन नर्सरियों के द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, क्षेत्र विस्तार के लिये सहायता प्राप्त करके तथा उत्पादकता सुधार कार्यक्रमों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण के द्वारा इस स्कीम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कटाई पश्चात् प्रबन्ध तथा उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिये सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से (1) कटाई पश्चात् प्रबंध के द्वारा वाणिज्यिक बागवानी का विकास और शीतगारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिये पूंजी निवेश सब्सिडी जैसी विभिन्न स्कीमें भी क्रियान्वित कर रही है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा) फलों और फल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, पैकेजिंग के विकास, मानव संसाधन एवं विकास, निर्यात संवर्धन, मण्डी विकास तथा गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में लिये व्यक्तियों/निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ अपीडा ने फलों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों पर अत्यधिक बल देने हेतु कृषि निर्यात अंचलों के तहत बहुत से कार्यक्रम शुरू किये हैं। देश के सम्भावित क्षेत्रों में आम, लीची, अंगूर, केला आदि जैसे फलों के लिये कृषि निर्यात अंचलों की स्थापना की जा रही है।

पशुपालन एवं बागवानी विकास

2182. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में पशुपालन एवं बागवानी विकास से संबंधित कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु लंबित हैं;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हैं और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत कितना धन आबंटित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि अनुसंधान पर व्यय

2183. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि अनुसंधान पर होने वाला औसत व्यय वर्षवार कितना है;

(ख) क्या राज्य में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु फसलों की नई किस्में विकसित की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्यवार आबंटन नहीं करती है तथापि, भा.कृ.अ.प. विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अ.भा.स.अ. परियोजनाओं और कृषि विज्ञान केन्द्रों के कृषि अनुसंधान पर व्यय करती है। तदनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आंध्र प्रदेश स्थित संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अ.भा.स.अ.

परियोजनाओं/कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए कृषि अनुसंधान पर वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान किया गया और औसत व्यय क्रमशः 46.81, 51.29 और 45.21 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) जी, हां। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

खाद्य फसलें एवं दलहन

चावल	निधि, पूसा 677, त्रिगुणा, 6201 (पीएआई 103), 6444 (एचआरआई-120), डीआरआरएच-1, इन्दुरसंभा
गेहूं	गंगा (डी डी के-1009), के 9644
मक्का	4642, पी ए सी 738, पी ए सी 76, अमर (डी-941), पूसा अगेती संकर मक्का-3, विवेक संकर-9, कोहिनूर, सीडटेक 740
ज्वार	एम एल एस एच-14, सी एस एच-13, सी एस एच-16, सी एस एच-15, जे के एस एच-22, सी एस एच-18, सी एस वी-216, सी एस एच-19 आर
बाजरा	जी के 1004, पी ए सी 903, एम एल बी 4-504, नंदी-35
स्माल मिलेट (छोटे मोटे अनाज)	मंडुआ -वी आर 708, चिलिका, भैराब फौक्स एंड मिलेट -टी एन ए यू 186, पी एस-4 कुटकी (लिटिल मिलेट) -तारिणी कोदो मिलेट-जवाहर कोदो -48
चना	जे जी-11
उड़द	शेखर-1 (के यू 301) टी यू 94-2, डब्ल्यू बी जी 26
मूंग	एच यू एम-1, पी डी एम 84-178
लोबिया	जी सी-3
कुलथी	पैयूर-2, पालेम-1, पालेम-2
अरहर	दुर्गा (आई.सी.पी.एल. 84031) लक्ष्मी (आई.पी.सी.एल. 85063)
सब्जियां	
बैंगन	के.एस. 331
टमाटर	बी टी 116-3-2, बी आर एच-2 (बैक्टीरिया विल्ट रोग की प्रतिरोधी)
मिर्च	बी सी-14-2
तरबूज	एफ-1 संकर, एम एच डब्ल्यू-6
भिंडी	एफ-1, संकर डी वी आर-4 एवं बी आर ओ-4 (वायरस प्रतिरोधी)
मटर	एन डी वी पी-250 (चूर्णी फफूंद की प्रतिरोधी)
खरबूजा	डी एम डी आर-2 (रोमिल फफूंद प्रतिरोधी)
शकरकंदी	एस-30/21 और श्रीभद्रा
कसावा	एच-165

समुद्री मछलियां

2184. श्री रामजी मांझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री मछलियों को सुखाने और उनके प्रसंस्करण हेतु निम्न लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु किसी अनुसंधान संस्थान से संपर्क किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई तथा पश्चिम बंगाल पशु तथा मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय को क्रमश: सूखी मछलियों की पैकेजिंग तथा कम लागत की अल्प उपयोग समुद्री मछलियों के मूल्यवर्धन को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास योजना के तहत सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान तथा पशुपालन और डेरी विभाग के तहत समेकित मात्स्यिकी परियोजना को समुद्री मछली के प्रसंस्करण के लिए अल्प लागत वाली प्रौद्योगिकियां विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जैव-कृषि विकास केन्द्र की स्थापना

2185. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ''राष्ट्रीय जैव-कृषि विकास केन्द्र'' की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) जैव कृषि की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत छ: क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ एक राष्ट्रीय जैव कृषि संस्थान की स्थापना की जाएगी। उनमें से एक क्षेत्रीय केन्द्र मध्य प्रदेश में स्थित होगा।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का यू.पी. एयरवेज पर बकाया

2186. डा. बलिराम :
श्री रामरती बिन्द :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 50 करोड़ रुपये यू.पी. एयरवेज (निजी विमान सेवाएं) एवं इसके निदेशकों पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं। यू.पी. एयरवेज के पास 5 लाख रुपए की सुरक्षित जमा राशि के बदले लगभग 35 लाख रुपए देय है। ये देय, उनके दो विमानों के दिल्ली हवाई अड्डे तथा राजकोट हवाई अड्डे पर 1998 से पार्किंग रहने के कारण पार्किंग प्रभारों के इकट्ठा होने से मुख्यत: इकट्ठे हुए हैं।

(ख) पार्टी को देय राशि का भुगतान करने का परामर्श दिया गया है।

(ग) पार्टी को महानिदेशक, नागर विमानन से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने के लिए कहा गया है, ताकि उनके विमान मरम्मत करने/उड़ान भरने की स्थिति में हो सके। ऐसा करने की अनुमति देने से पहले उन्हें देयों का भुगतान करने का परामर्श दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कृषि नीति

2187. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 जून, 2002 को गुवाहाटी में दो-दिवसीय सेमिनार में भाग लेने वाले किसानों ने केन्द्र सरकार से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र के संसाधनों और बागवानी की उत्कृष्ट संभावनाओं पर समुचित ध्यान देते हुए एक विशेष कृषि नीति बनाने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) ''असम के कृषि विकास'' पर एक दो दिवसीय सेमिनार 24 व 25 जून, 2002 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इस सेमिनार में भाग लेने वाले किसानों ने केन्द्रीय सरकार से पूर्वोत्तर के लिए विशेष कृषि नीति निरूपित करने की मांग नहीं की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चारे के उत्पादन में वृद्धि

2188. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में चारे के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसी केन्द्रीय योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में उक्त योजना की सफलता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) देश में, विशेषकर चारे की कमी वाले क्षेत्रों में चारे के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार देश में आहार तथा चारे के विकास के लिए एक ''केन्द्रीय चारा विकास संगठन'' नामक योजना का कार्यान्वयन करती है। विभिन्न कृषि जलवायुवीय स्थितियों के चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन के लिए 7 क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो कल्याण (पश्चिम बंगाल), हिसार (हरियाणा), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), सूरतगढ़ (राजस्थान), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु) था गांधी नगर (गुजरात) में है। एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैस्सरघट्टा, बंगलौर में है। केन्द्रों के अधिकार क्षेत्र विवरण में दिए गए हैं। गांधी नगर स्थित आर.एस.एफ.पी. एंड डी. गुजरात राज्य में आहार तथा चारा विकास कार्यक्रम पर नजर रखता है। ये केन्द्र नई अपनाई गई चारा प्रजातियों की अच्छी गुणवत्ता के बीजों के बहुलीकरण में लगे हुए हैं। ये केन्द्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र दिवस/कृषक मेलों का तथा चारा उत्पादन के विषय में नवीनतम जानकारी का प्रदर्शन करने तथा विश्वविद्यालयों/ आई.सी.ए.आर. संस्थानों द्वारा शुरू की गई नई चारा प्रजातियों को अपनाने के लिए किसानों के खेतों में चारा प्रदर्शन का भी आयोजन करते है। इसके अतिरिक्त एक चारा फसलों संबंधी केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम भी है जिसके तहत राज्य सरकारों को चारा मिनीकिट उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे उसके बाद किसानों को खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में उनकी मुफ्त आपूर्ति कर सकें।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा प्रगति की निरन्तर निगरानी की जा रही है।

(ङ) ''साझा सम्पत्ति संसाधनों के सुधार सहित आहार तथा चारा उत्पादन में वृद्धि'' नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का 10वीं योजना में देश में समग्र रूप से कार्यान्वयन का प्रस्ताव है।

विवरण

क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्रों के अधिकार क्षेत्र

क्र.सं.	केन्द्र	अधिकार क्षेत्र
1.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, कल्याणी (पश्चिम बंगाल)	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य
2.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, हिसार (हरियाणा)	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
3.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)	जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश
4.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़ (राजस्थान)	राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
5.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक
6.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, चेन्नई (तमिलनाडु)	तमिलनाडु और केरल
7.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, गांधी नगर (गुजरात)	गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा

कार्यालय व्यय

2189. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, सत्कार, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, सेमिनारों, सम्मेलनों, दौरों (विदेश दौरों सहित), एस.टी.डी. एवं आई.एस.टी. टेलीफोन बिलों, विद्युत विशेषकर एयरकंडिशनरों एवं कूलरों से संबंधित विद्युत बिलों जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत किए जा रहे व्यय में कमी लाने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

अजंता की गुफाओं के निकट ''टी जंक्शन''

2190. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के निकट ''टी जंक्शन'' का कार्य पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है तथा अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारों जिम्मेदार होती हैं। अजंता गुफाओं के समीप ''टी जंक्शन'' राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा पर सेमिनार

2191. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश में सड़क सुरक्षा पर एक सेमिनार आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और इस सेमिनार में भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनमें बेहतर चौराहा रूपरेखा, सर्विस रोड, संकेत, चिह्नांकन, सुरक्षा अवरोधक, बसों के लिए खाली स्थान और ट्रक पार्किंग शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर कोटपुतली और आमेर के बीच खंड में राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था की गई है जिसमें आपातकालीन कॉल बॉक्स, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, परिवर्तनशील संदेश संकेत, मोबाइल संचार, एम्बुलेंस, क्रेन और राजमार्ग गश्त की व्यवस्था है।

अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए रोजगार

2192. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित उद्योग में सुधारों की शुरूआत से अनु.जा. और अनु.ज.जा. दोनों के लिए रोजगार के अवसरों में धीरे-धीरे कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनु.जा. और अनु.ज.जा. के कितने लोगों को रोजगार मिला; और

(ग) इस प्रक्रिया को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) वर्तमान परिदृश्य से यह पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन नगण्य है तथा अधिकांश रोजगार अवसरों के निजी क्षेत्र में सृजित होने की संभावना है, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु कोई आरक्षण नीति नहीं है। संगठित क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसर, अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति सहित कुल मिलाकर सम्पूर्ण श्रम बल के लिए पर्याप्त नहीं हैं। निजी क्षेत्र के रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कौशल में वृद्धि हेतु उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि उन्हें रोजगार हेतु निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा तेल एवं गैस का छेदन (ड्रिलिंग)

2193. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 18 जलाई, 2002 के "दी हिन्दू" में प्रकाशित खबर के अनुसार उनके मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना पूर्वी तट पर तेल और गैस का छेदन करने के लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोनों से सूचना मांगी है।

सतत विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन

2194. **डा. मन्दा जगन्नाथ :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 अगस्त से 4 सितम्बर, 2002 तक जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले "सतत विकास" संबंधी सेमिनार में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 26 अगस्त से 4 सितम्बर, 2002 को आयोजित किया जाने वाला सतत विकास से संबंधित विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यू.एस.एस.डी.) वर्ष 1992 को रिओ डि जनेरो में आरम्भ की गई पर्यावरण एवं विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.ई.डी.) प्रक्रिया की 10वर्षीय अनुवर्ती समीक्षा का काम करेगा। सतत विकास से संबंधित विश्व शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार किए जाने की संभावना है:-

(1) गरीबी उन्मूलन

(2) उपयोग और उत्पादन के बदलते असतत पैटर्न

(3) आर्थिक और सामाजिक विकास के प्राकृतिक संसाधन आधार की सुरक्षा और प्रबंधन

(4) ग्लोबलाइज़िंग विश्व में सतत विकास

(5) स्वास्थ्य और सतत विकास

(6) लघु द्वीपों का विकास करने वाले राज्यों का सतत विकास

(7) अफ्रीका हेतु सतत विकास

(8) कार्यान्वयन के साधन

भू-प्रबंधन

2195. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अभिलेखों की जांच से यह पता चला है कि राज्य सरकारों ने भू-प्रबंधन को निम्न प्राथमिकता दी है जिसमें मृदा एवं नमी संरक्षण शामिल है और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी नहीं। कृषि मंत्रालय के पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि राज्य सरकारों ने मृदा और जल संरक्षण सहित भूमि प्रबंधन को निम्न प्राथमिकता दी है जिसके कारण कृषि की उत्पादकता में कमी आने की संभावना है। अपरदित जमीनों और बंजर भूमियों की उपलब्धता में सुधार लाने

के उद्देश्य से राज्य सरकारें मृदा और जल संरक्षण से सम्बन्धित कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चल रही हैं, जैसे:-

1. वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
2. नदी घाटी परियोजनाओं (आर.वी.पी.) और बाढ़ प्रवण नदियों (एफ.पी.आर.) में निम्नीकृत पनधाराओं में उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
4. क्षारीय मृदा का पुनरूद्धार
5. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना
6. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
7. मरूस्थल विकास कार्यक्रम

बीड़ी उद्योग में सुधार

2196. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सुधारों एवं परिवर्तनों के कारण बीड़ी उद्योग में रोजगार के होने वाले संभावित नुकसान के संबंध में अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वैकल्पिक रोजगार हेतु इस उद्योग को कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) उक्त धन को जारी करने की कार्याविधि क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को भी वैकल्पिक रोजगार केन्द्र स्थापित करने हेतु धन दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। योजना आयोग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क दुर्घटनाएं

2197. श्री के. येरननायडू :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य एक्सप्रेस मार्गों पर जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् होने वाली दुर्घटनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999 और 2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह मंत्रालय पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में अलग से सड़क दुर्घटना आंकड़े एकत्र नहीं करता है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय सड़क दुर्घटना आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण से पता लगता है कि 83.5% दुर्घटनाएं चालकों की गलती के कारण होती हैं। वाहनों का यांत्रिक दोष (3.0%), पैदल यात्रियों की गलती (2.3%), यात्रियों की गलती (2.4%), खराब सड़कें (1.1%), खराब मौसम (0.9%), तथा पशु, पेड़ों का गिरना, सड़क का अवरूद्ध होना, आगे वाले वाहन में अचानक खराबी, पश्च परावर्तकों का न होना, संकेतकों का कार्य न करना और सड़क संकेतों का अभाव आदि जैसे अन्य कारण (6.8%) दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों के संकरे और कमजोर खंडों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना।

(2) दोषपूर्ण सड़क ज्यामिति डिजाइन में सुधार जिससे पर्याप्त चौड़ाई, उर्ध्व और क्षैतिज संरेखण, मोड़ अर्धव्यास, आसान ग्रेड और दृष्टि दूरी आदि सुनिश्चित होती है।

(3) सड़क डिजाइन उपाय जिनमें डिजाइन और अच्छी जल निकासी की व्यवस्था का प्रावधान, पैरापेट, पुश्ता दीवार, ब्रेस्ट वॉल, रेलिंग, बर्फ चारदीवारी, बर्फ और बुल्डर शेल्टर, रौलिंग बुल्डर बफर (जाल व्यवस्था) आदि जैसे संरक्षण उपाय शामिल हैं।

(4) पूर्व-परावर्तक सड़क संकेत, सिग्नल, थर्मोप्लास्टिक मार्ग चिह्नांकन, रेखांकन जैसे यातायात नियंत्रण उपाय।

(5) गैर-सरकारी संगठनों तथा पत्र-पत्रिकाओं और दृश्य-श्रव्य माध्यमों आदि के जरिए सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाना।

विवरण

वर्ष 1999 और 2000 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मृतकों की राज्यवार संख्या

सम्पूर्ण भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000
1	2	3
आंध्र प्रदेश	3273	2539
अरुणाचल प्रदेश	13	11
असम	848	808
बिहार	842	727
छत्तीसगढ़	प्रदेश	363
गोवा	96	110
गुजरात	1241	1973
हरियाणा	1137	1150
हिमाचल प्रदेश	209	159
जम्मू और कश्मीर	360	320
झारखंड	बिहार	493
कर्नाटक	2015	2185
केरल	876	945
मध्य प्रदेश	1480	1266
महाराष्ट्र	3181	3445
मणिपुर	73	56
मेघालय	78	66
मिजोरम	16	33
नागालैंड	13	33
उड़ीसा	869	951
पंजाब	887	823
राजस्थान	2313	2312
सिक्किम	10	8
तमिलनाडु	3639	4362
त्रिपुरा	86	41
उत्तरांचल	प्रदेश	142
उत्तर प्रदेश	3700	3418
पश्चिम बंगाल	1069	1026
अंदमान और निकोबार द्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चंडीगढ़	21	22
दादरा और नागर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दमण और दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली	296	330
लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पांडिचेरी	72	99
जोड़	28713	30216

वर्ष 1999 और 2000 के दौरान भारत में राज्यीय राजमार्गों पर मृतकों की राज्यवार संख्या

सम्पूर्ण भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2841	2355
अरुणाचल प्रदेश	31	44
असम	92	118
बिहार	543	440
छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश में शामिल आंकड़े	314
गोवा	46	29
गुजरात	1817	1854

1	2	3
हरियाणा	1056	1070
हिमाचल प्रदेश	106	120
जम्मू और कश्मीर	135	146
झारखंड	बिहार में शामिल आंकड़े	310
कर्नाटक	1424	1340
केरल	608	598
मध्य प्रदेश	1739	1168
महाराष्ट्र	3772	3600
मणिपुर	61	42
मेघालय	72	61
मिजोरम	7	14
नागालैंड	23	7
उड़ीसा	552	538
पंजाब	556	679
राजस्थान	1300	976
सिक्किम	32	19
तमिलनाडु	3212	2801
त्रिपुरा	11	14
उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश में शामिल आंकड़े	251
उत्तर प्रदेश	3702	2572
पश्चिमी बंगाल	1113	1179
अंदमान और निकोबार द्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चंडीगढ़	25	30
दादरा और नागर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दमण और दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पांडिचेरी	27	कुछ नहीं
जोड़	24903	22689

कटाई के पश्चात् प्रबंधन में सुधार

2198. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री पदमसेन चौधरी:
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री रामपाल सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खेतों के निकट कटाई पश्चात् संरक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के फल एवं सब्जियां नष्ट हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शीत गृहों संबंधी परियोजनाओं को संस्वीकृति देने और नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए प्रभावी परिवहन प्रणाली आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या हाल में ही किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है;

(ज) यदि हां, तो क्या अध्ययन ने यह दर्शाया है कि देश को कटाई पश्चात् प्रबंधन में अवश्य सुधार करना चाहिए;

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ञ) उक्त सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) फल और सब्जियों जैसे बागवानी उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं और योजना आयोग द्वारा 10वीं योजना के लिए गठित बागवानी विकास संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार फसलोपरांत रख-रखाव के विभिन्न स्तरों पर परिवहन और भण्डारण समेत फसलोपरांत की बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण ये फसलें 8-37% तक खराब हो जाती हैं।

(ग) से (ञ) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है जिसके तहत इन फसलों की जीवन अवधि (शेल्फ लाइफ) को बढ़ाने के लिए फसलोपरांत बुनियादी सुविधायें सृजित करके फलों, सब्जियों जैसे बागवानी फसलों की फसलोपरांत होने वाली हानि कम की जा रही है। यह कार्यक्रम हैं (1) बागवानी उत्पादों के लिए शीत भण्डारों और भण्डारागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम, और (2) उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

अभी तक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बागवानी उत्पादों के शीत भण्डारण और भण्डारण के लिए 549 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 2520378.31 मीटरी टन है। बोर्ड ने इन परियोजनाओं के लिए सब्सिडी के रूप में 185.17 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। विश्व उत्पादन की सांख्यिकी के अनुसार भारत फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में उपरिपुलों का निर्माण

2199. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उपरिपुलों के निर्माण से संबंधित महाराष्ट्र सरकार के कुछ प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) जी, हां। रा.रा. 6 पर 399/0 कि.मी. (फेकरी) में बी.ओ.टी. आधार पर रेल उपरि पुल के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। रा.रा. 6 पर (1) 626/400 कि.मी. (चिंचपाड़ा) और (2) 637/800 कि.मी. (नवापुर) में आर.ओ.बी. के संरेखण के निर्धारण के लिए दो अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और इनकी भी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

कर्नाटक को केंद्रीय सड़क कोष से धनराशि जारी करना

2200. श्री आर.एल. जालप्पा :
श्री अम्बरीश :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार से राज्य राजमार्गों एवं जिलों की बड़ी सड़कों के विकास और राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, उनका विस्तार करने एवं अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत निधियों के आबंटन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए वर्ष-वार कुल कितना आबंटन किया गया;

(ग) अभी भी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान किए गए प्रत्येक कार्य एवं चालू वर्ष के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक उस संबंध में क्या प्रगति हुई है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि, राज्यीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के विकास के लिए प्रदान की जा रही है न कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों और प्रमुख जिला सड़कों के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से गत

तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्ताव के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव		टिप्पणियां
	संख्या	राशि (लाख रु.)	
1999-2000	18	1529.40	पुरानी केंद्रीय सड़क निधि
2000-2001	33	4799.73	नई केंद्रीय सड़क निधि
2001-2002	117	9042.00	नई केंद्रीय सड़क निधि

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रु.)	
	पुरानी केंद्रीय सड़क निधि	नई केंद्रीय सड़क निधि
1999-2000	16.01	-
2000-2001	232.50	1917.00
2001-2002	-	1196.00

(ग) इस समय केंद्रीय सड़क निधि कार्यों का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कार्य राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (लाख रु.)
1999-2000	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2000-2001	33	4805.00
2001-2002	106	7753.00
जोड़	139	12558.00

राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा भेजी गई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, 139 कार्यों में से 23 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, 96 कार्य चल रहे हैं और 20 कार्य चालू वर्ष के दौरान शुरू किए जाने हैं। राज्य सरकार से कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए आग्रह किया गया है।

चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को आठ लेनों वाले राजमार्ग में बदला जाना

2201. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के 40,000 किलोमीटर लंबे हिस्से को आठ लेनों वाली सड़क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं। इस समय देश में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 2300 कि.मी. ही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण पर खर्च की गई धनराशि

2202. योगी आदित्यनाथ :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपायों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) बाढ़ को नियंत्रित करने में उक्त धनराशि किस सीमा तक सहायक हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बाढ़ नियंत्रण उपायों सहित बाढ़ प्रबंधन कार्यों पर 3812.65 करोड़ रुपये (अनुमानित) खर्च किए गए हैं।

(ख) 1.142 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ होने की संभावना है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त स्मारक

2203. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में चक्रवात, बाढ़ और भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक स्मारक को किस सीमा तक क्षति पहुंची है:

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्मारकों की मरम्मत/पुनरूद्धार हेतु स्मारक-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक स्मारक के लिए कितनी निधियां निर्गत की गई हैं; और

(ङ) भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से स्मारकों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) चक्रवात, बाढ़ों तथा भूकंप से पिछले एक वर्ष के दौरान, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की किसी क्षति की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रख-रखाव के साथ-साथ, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

अंग्रेजी न जानने के कारण विमान दुर्घटनाएं

2204. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 2002 के 'दि स्टेट्समैन' में ''पॉयलट्स इग्नोरेन्स ऑफ इंग्लिश लीड्स टु क्रेशेस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कजाकिस्तान के विमान पायलटों के अंग्रेजी के अपर्याप्त ज्ञान के कारण 12 नवम्बर 1996 को चरखी दादरी में बोइंग 747 की दुर्घटना हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या लाहोटी आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपने रिकार्ड में यह पाया कि कजाख विमान के फ्लाईट क्रू की अंग्रेजी भाषा में रेडियो टेलीफोनी संचार करने में दक्षता में कमी और विमान यातायात नियंत्रक (एटीसी) के निर्देशों को अंग्रेजी भाषा में समझने में उनकी कठिनाई के कारण दुर्घटना हुई।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है तथा सरकार द्वारा अन्य सिफारिशों को सीज किया गया है।

किसानों को संरक्षण

2205. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के अस्थिर मूल्यों से किसानों को संरक्षण देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): कृषि उत्पादों के अस्थिर मूल्यों से किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं जिसमें प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा करना, एम.एस.पी. स्कीम के अंतर्गत नामोदिष्ट केन्द्रीय शीर्ष अभिकरणों द्वारा प्रमुख कृषि जिंसों का मूल्य समर्थन कार्य करना और कृषि जिंसों के निर्यात को प्रोत्साहित करने और आयात को हतोत्साहित करने के लिए व्यापार के साधनों का प्रयोग करना इत्यादि शामिल है। यदि मण्डी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित एम.एस.पी. से नीचे गिर जाते हैं तो नामोदिष्ट केन्द्रीय शीर्ष अभिकरणों से खरीद कार्य करने के लिए मण्डी में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है। सरकार बागवानी जिंसों और जल्दी खराब होने वाले अन्य लघु कृषि फसलों के लिए भी मण्डी हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) कार्यान्वित कर रही है। एम.आई.एस. उन राज्य सरकार (सरकारों) के अनुरोध पर विशेष जिंस के लिए कार्यान्वित

की जाती है यदि जो स्कीम के कार्यान्वयन में कोई हानि होती है तो हानि का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों में 25%) वहन करने को तैयार होती हैं। सरकार ने कृषि उत्पाद के मण्डी विस्तार को ध्यान में रखते हुए कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए है जिससे किसान बेहतर और अधिक स्थिर मूल्य वसूल कर सकें। कई कृषि जिंसों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया हैं। आयातों का बारीकी से प्रबोधन किया जा रहा है और सरकार टैरिफ तंत्र के समुचित प्रयोग के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प है कि आयातों से घरेलू किसानों को कोई नुकसान न उठाना पड़े। कृषि जिन्सों के थोक मूल्यों में उतार-चढ़ाव का भी निरंतर प्रबोधन किया जाता है जिससे कि जब भी आवश्यकता हो सरकार मण्डी में हस्तक्षेप करने में सक्षम हो सके।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

2206. श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को बढ़ाने हेतु कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को बढ़ाने के लिए क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार का विचार शामलाजी से वापी (बरास्ता आदिवासी क्षेत्र) तक एक नए उप राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लबाई 2461 कि.मी. है।

(ख) से (च) गुजरात में राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए शामलाजी-वापी सड़क सहित 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अब नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंड के आधार पर समीक्षा के लिए ये प्रस्ताव जून, 2002 में राज्य सरकार को वापस लौटा दिए गए हैं। निधियों की कमी के कारण फिलहाल देश में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों में से कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार कर सकती है।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों की भूमिका

2207. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के लिए योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के लिए यथोचित सेवानिवृत्ति संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने उत्पादक कम्पनियों को समावेश करने में सक्षम बनाने के लिए कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया था। विधेयक में विद्यमान अंतर-राज्यीय सहकारी समितियों को ऐसी उत्पादक कम्पनियों में परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। विधेयक लोक सभा में विचाराधीन है।

(ग) और (घ) लोक सभा में लम्बित कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 में सहकारी समितियों के अपसरण के लिए पृथक रूप से ऐसा कोई दिशा-निर्देश नहीं है।

बी.टी. कपास फसल के कारण पारिस्थितिकीय खतरे

2208. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बी.टी. कपास की फसल की लाभप्रदता के साथ-साथ उसके कारण उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिकीय खतरे संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फसल के लाभ लंबे समय तक मिल सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) किन-किन राज्यों ने अब तक बी.टी. कपास का उत्पादन करना शुरू कर दिया हैं; और

(च) सरकार द्वारा बी.टी. कपास फसल के पारिस्थितिकीय खतरों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कंपनी ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जैनेटिक मैनीपुलेशन पर पुनरीक्षा समिति द्वारा विकसित एवं अनुमोदित सलेख के अनुसार बी.टी. कपास का अध्ययन किया था। इन अध्ययनों का जैव प्रौद्योगिकी विभाग की निगरानी और मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अपनी अखिल भारतीय समन्वय परियोजना के अंतर्गत इन बी.टी. कॉटन हाईब्रिडों के बड़े पैमाने पर फील्ड परीक्षण किए। बी.टी. कॉटन हाइब्रिड के पर्यावरणीय सुरक्षा मूल्यांकन में पराग रिलीज हो जाना, आक्रामकता और खरपतवार, अलक्षित आर्गनिज्मों पर प्रभाव, मृदा क्राई 1 ए सी प्रोटीन की उपस्थिति, मृदा माइक्रोफ्लोरा पर क्राई 1 ए सी प्रोटीन का प्रभाव और संवेदा आधारभूत अध्ययन शामिल है। खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए किए अध्ययनों मे मिश्रित विश्लेषण, एलरजैनीसिटी अध्ययन, विष विज्ञान अध्ययन, बी.टी. कॉटन सीड तेल में डी.एन.ए. और प्रोटीन की उपस्थिति, मछली, मुर्गो, गायों और भैसों के चारे के रूप में प्रयोग पर अध्ययन शामिल है। इन अध्ययनों से किसी तरह के प्रतिकूल प्रभाव का पता नहीं चलता है। बी.टी. कॉटन हाइब्रिडों के तीन वर्षों से अधिक अवधि के कृषीय मूल्यांकन से पता चलता है कि बी.टी. काटन हाइब्रिड में प्रति पौध डोडों की औसतन संख्या में और साथ ही साथ उपज में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। बी.टी. कॉटन पर कीटनाशीय छिड़काव की कुल संख्या सात से कम करके दो कर दी गई थी। इन जैव सुरक्षा मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर तीन बी.टी. कॉटन हाइब्रिडों की वाणिज्यिक खेती के लिए सशर्त अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों ने बी.टी. काटन उगाना शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों और विधायकों की विमानों में बैठते समय सुरक्षा जांच

2209. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों, विधायकों और सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों को विमानपत्तनों पर फ्रिस्किंग, मेटल डिटेक्टर आदि जैसी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें ऐसी सुरक्षा जांच से छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होता है केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार की जांच से छूट दी गई है। संसद सदस्यों, विधायकों और उच्चाधिकारियों को इन जांचों से छूट देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा

2210. श्री के.ए. सांगतम : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये पर्यटन योजना तैयार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अग्रणी पर्यटन परामर्शदात्री फर्म के साथ किसी सौदे को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के सभी राज्यों में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु नई स्कीमों, अर्थात् पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास एवं उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पहले ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के लिए परामर्शदाताओं के माध्यम से 20 वर्षीय भावी योजनाओं की तैयारी प्रारंभ कर दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के छः राज्यों के लिए प्रारूप रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

मत्स्यन संबंधी दिशानिर्देश

2211. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मत्स्यन नीति संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) अंतर्देशीय तथा प्रादेशिक जल में मात्स्यिकी राज्य का विषय है। गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रादेशिक जल में मत्स्यन संबंधी नीति दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम (एम.एफ.आर.ए.) के लागू होने के साथ पूरा कर लिया गया है। भारतीय ई.ई.जैड. में विदेशी यानों द्वारा किये जाने वाले मत्स्यन को विनियमित करने के लिए भारतीय समुद्रवर्ती क्षेत्र अधिनियम (एम.जेड.आई.) 1981 के रूप में मत्स्यन संबंधी नीति दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं। जहां तक संयुक्त प्रयासों के रूप में या भारतीय स्वामित्व के यानों द्वारा मत्स्यन का संबंध है, सरकार ने 1996 में गहरे समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी समीक्षा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उसके बाद एक विशेषज्ञ दल ने व्यापक समुद्री मत्स्यन नीति का प्रारूप तैयार किया जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है।

केरल में सड़क कार्य में सुधार

2212. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में छेरथला-अरूकुट्टी सड़क का सुधार कार्य शुरू करने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार है। चेरथला-अरूकुट्टी प्रमुख जिला सड़क है। इसलिए, केरल सरकार इस सड़क के सुधार कार्य को करने के लिए जिम्मेदार है।

हिमालयी क्षेत्र में वनों की कटाई

2213. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालयी क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण उत्तर प्रदेश की नदियों में गाद जमा होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण की ''वन स्थिति रिपोर्ट 1999'' के अनुसार 1997 से पहाड़ी राज्यों के वन आवरण में, उत्तरांचल में 17 वर्ग कि.मी. की वृद्धि सहित 324 वर्ग कि.मी. की शुद्ध वृद्धि हुई है। इसलिए हिमालयी क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई का कोई संकेत नहीं है। हालांकि नदियों में गाद भारी वर्षा, बादलों के फटने, हिमालयी क्षेत्र के अस्थिर भौगोलिक फार्मेशन, दोषपूर्ण भूमि उपयोग और अपर्याप्त वन आवरण आदि के कारण पैदा होती है।

(ख) सरकार द्वारा उपचारात्मक उपायों में शामिल हैं अवक्रमित पहाड़ी ढलानों में वनीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु संयुक्त वन प्रबन्धन और विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से जनभागीदारी सहित वन सुरक्षा उपाय करना।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लाभ/हानि

2214. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियमित और नैमित्तिक-जनशक्ति कितनी है:

(ग) क्या विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को विमानपत्तन प्रशासन के प्रबन्धन और पर्यवेक्षण हेतु अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 476.98 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

(ख) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 20,895 नियमित तथा 13 अनियमित कर्मचारी हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) तथा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ए.सी.आई.) की सहायता से व्यावसायिक और तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित करता है। दिनांक 21 मार्च से 25 मार्च, 2000 तक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा ''एयर ट्रैफिक फोरकास्टिंग एंड एयरपोर्ट मास्टर प्लानिंग'' पर आयोजित कार्यशाला में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 33 कार्मिकों ने भाग लिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के 19 कार्मिकों ने दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई, 2001 तक आयोजित इकाओ ट्रेनएयर ''कोर्स डवलपर सेमिनार'' में भाग लिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के 28 कार्मिकों ने दिनांक 11 मार्च से 16 मार्च, 2002 तक ए.सी.आई. द्वारा ''बेंचमार्किंग आफ एयरपोर्ट सर्विसिज'' पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया। ये कार्यक्रम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा भारत में अपने ही संस्थान में संचालित किए गए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) राष्ट्रीय विमानन प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान (नियामार), नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों, हवाई अड्डों तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों व्यावसायिक कार्यक्रमों को संचालित कर अपने मानव संसाधन को विभागीय प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है।

विभिन्न कपास ब्रांडों का उत्पादन

2215. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में कपास के विभिन्न ब्रान्डों का ब्रान्ड-वार और राज्यवार लक्ष्य/उत्पादन क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कपास की कुल घरेलू आवश्यकता कितनी थी और निर्यात के लिए कितना अतिरिक्त कपास का स्टाक दर्ज किया गया; और

(ग) प्रत्येक राज्य में विशेषकर गुजरात में आज की तिथि के अनुसार कपास की खेती का कुल कितना क्षेत्र है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) ब्रांडवार लक्ष्य निर्धरित नहीं किए जाते हैं, तथापि वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान कुल कपास उत्पादन के लक्ष्य और महत्वपूर्ण राज्यों के लिए कपास के नवीनतम उपलब्ध उत्पादन संबंधी आंकड़े (2000-01) संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) कपड़ा मंत्रालय में कपास परामर्शी मंडल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान कपड़ा मिलों, लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) की कपास की कुल घरेलू जरूरत, आपूर्ति और निर्यात के लिए अधिशेष इस प्रकार है:

(प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठें)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
मांग	174.01	173.63	174.00
आपूर्ति	214.51	202.63	209.00
अधिशेष	40.50	29.00	35.00

(ग) गुजरात सहित प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में चालू वर्ष (2002-03) के दौरान रिपोर्ट की तारीख तक जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, अनन्तिम कपास क्षेत्र कवरेज इस प्रकार है:-

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टे.)	निम्न के अनुसार अवस्थिति/रिपोर्ट
1	2	3
पंजाब	4.42	बुवाई पूरी हो गई है
हरियाणा	5.50	बुवाई पूरी हो गई है

1	2	3
राजस्थान	3.33	20 जुलाई तक
मध्य प्रदेश	4.65	13 जुलाई तक
महाराष्ट्र	24.36	18 जुलाई तक
गुजरात	8.77	8 जुलाई तक
आंध्र प्रदेश	3.07	10 जुलाई तक
कर्नाटक	1.47	16 जुलाई तक
तमिलनाडु	0.15	8 जुलाई तक

विवरण

प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 2000-01, 2001-02 और 2002-2003 के दौरान कपास के उत्पादन लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठे)		
		2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	19.00	22.00	22.00
2.	गुजरात	32.00	27.75	31.25
3.	हरियाणा	12.00	15.00	16.55
4.	कर्नाटक	10.00	10.00	10.25
5.	मध्य प्रदेश	4.50	5.00	6.00
6.	महाराष्ट्र	33.00	30.00	31.00
7.	उड़ीसा	1.00	1.00	1.10
8.	पंजाब	15.00	18.35	17.60
9.	तमिलनाडु	6.00	6.00	5.14
10.	राजस्थान	11.00	8.50	8.00
	अखिल भारत योग	145.00	145.00	150.00

प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 2000-01 के दौरान कपास का उत्पादन

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठे) 2000-01
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16.63
2.	गुजरात	11.61
3.	हरियाणा	13.83
4.	कर्नाटक	9.80
5.	मध्य प्रदेश	2.38
6.	महाराष्ट्र	18.03
7.	उड़ीसा	0.65
8.	पंजाब	11.99

1	2	3
9.	तमिलनाडु	3.25
10.	राजस्थान	8.05
	अखिल भारत योग	96.52

नारियल की फसल की राष्ट्रीय फसल के रूप में घोषणा

2216. श्री टी. गोविन्दन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से नारियल की फसल को राष्ट्रीय फसल के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार को नारियल की फसल को राष्ट्रीय फसल के रूप में घोषित करने के लिये राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि भारत सरकार नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने, उत्पाद का विविधीकरण करने तथा उप-उत्पाद उपयोग के लिये सहायता प्रदान करती है। मूल्य समर्थन स्कीम के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) द्वारा कोपरा के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया जाता है और अधिप्राप्ति संबंधी क्रियाकलाप किये जाते हैं।

पशुपालन क्षेत्र का विकास

2217. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए कार्यान्वित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को राज्यवार और योजनावार कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ग) राज्यों को निधियां जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र में क्या परिणाम हासिल किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सरकार देश में पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं के तहत, निधियों की उपलब्धता, विगत उपयोगिता तथा राज्यों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर उन्हें निधियां जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को जारी योजनावार निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02*
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	33.06	24.93	41.87
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	0.50	1.50	2.87
3.	समेकित सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	2.50	2.07	2.65
4.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	4.50	1.35	5.05
5.	आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	4.40	3.00	1.58

1	2	3	4	5
6.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	7.79	7.21	12.00
7.	व्यावसायिक दक्षता विकास	2.41	2.23	6.66
8.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	4.92	12.31	10.21
9.	बूचड़खानों/सी.यू.सी. का सुधार	1.50	2.20	3.63
10.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	3.35	3.59	3.42
11.	भारवाही पशुओं का विकास	0.28	0.30	0.21
	कुल	65.21	60.69	90.15

*अनंतिम आंकड़े

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.) का पुनरूद्धार

2218. श्री रामजी मांझी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के पुनरूद्धार का मुद्दा लंबे समय से लंबित है लेकिन इसके कामगारों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी कब से बिना काम के हैं और उनके वेतन पर कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यबल को अन्यत्र लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) एन.पी.सी.सी. लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक रुग्ण प्रतिष्ठान है और इसे अधिक रोजगार लागत, अधिशेष जनशक्ति, ऋणों पर ब्याज अधिभार, परियोजना प्राधिकारियों से बकाया धनराशि की कम वसूली तथा निधियों के अपर्याप्त सृजन के कारण वर्ष 1989 से लगातार भारी घाटा हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप इस कारपोरेशन को अधिकांश इकाईयां अनुत्पादक (नान-परफारमिंग) हो गई हैं। सरकार इन गैर-उत्पादक इकाईयों के कार्मिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान करने के लिए सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के वास्ते एन.पी.सी.सी. लिमिटेड को गैर-योजना सहायता प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए आज तक सरकार द्वारा एन.पी.सी.सी. लिमिटेड को 95.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके प्रबंधन द्वारा कार्यादेश की स्थिति में सुधार करने तथा कार्यबल (वर्कफोर्स) को लाभकारी ढंग से नियोजित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र एवं देश के अन्य भागों में नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

जल प्रबंधन

2219. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 2002 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में वाटर मेनेजमेंट मेजरस् टु एंटर इंडिया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन कम्पनियों को जल प्रबंधन के लिए ठेके दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा एक नदी से दूसरी नदी के जल प्रबंधन के लिए अन्य किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) जी, हां। जल राज्य का विषय होने के कारण, स्कीमों की आयोजना, तैयारी, क्रियान्वयन और उनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र की भागीदारी से 5 वर्ष की अवधि के लिए ''प्रत्यायोजित प्रबंधन संविदा (डेलीगेटेड मेनेजमेंट कांट्रैक्ट) द्वारा बेंगलोर शहर में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं का सुधार करने का प्रस्ताव है। ग्लोबल वाटर मैनेजमेंट मेजर्स, विवेण्डी वाटर और स्वेज की एक सहायक कंपनी ओनडियो ने ठेके के रूप में प्रबंधन कार्य प्रारंभ करने में अपनी रुचि दिखाई है इस पर कर्नाटक सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

वन्य जीवों की तस्करी

2220. श्री वाई.वी. राव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिंगापुर और अन्य देशों की बड़ी संख्या में कछुओं और अन्य जानवरों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा समय-समय पर की गई जब्तियों के मामले सूचित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार वन्यजीवों, उनके अंगों और उत्पादों का अवैध व्यापार संगठित माफिया द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण जब्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन्यजीवों का शिकार और वन्यजीव उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं।

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम

1. वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

2. राज्य वन्यजीव प्राधिकारी वन्यजीव उत्पादों और पक्षियों के व्यापारियों के स्टॉक की नियमित जांच करते हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

1. भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

3. निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

1. भारत सरकार, वन्यजीव वस्तुओं के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) की हस्ताक्षरकर्ता है।

विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई स्थित वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन्यजीवों, वन्य जीव उत्पाद और पक्षियों की महत्वपूर्ण जब्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजातियां	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6
1.	बाघ	3 (खालें)	4 (खालें) 132 (पंजे)	–	–
2.	तेंदुआ	50 (खालें)	150 (खालें) 18000 (पंजे)	–	–
3.	स्टार टौरटायसेस	–	–	600	1011

1	2	3	4	5	6
4.	सर्प के खाल और मदें	47	2000	20	–
5.	मानीटर लिजर्ड खाल	11001	3	–	–
6.	तितलियां	1.97 कि.ग्रा.	–	1600	–
7.	उदबिलाव की खाल	–	101	–	–
8.	नेवले के बाल	4.5 कि.ग्रा.	–	–	1000 कि.ग्रा.
9.	रोज रिंग्ड पैरकीट	25	73	3	
10.	ऐलेक्जेन्ड्राइन पैराकीट	–	300	35	
11.	ब्लास्म हेडेड पैराकीट	4	17	–	
12.	पहाड़ी मैना	–	350	–	
13.	फेजेन्ट	–	–	6	
14.	लाल मुनिया	–	–	1200	
15.	पेरेग्रीन फलकन्स	–	12	–	
16.	एस्सोरटम मुनिया	125	–	–	–
17.	सी कुकमबर्स	–	–	–	25 कि.ग्रा.
18.	मोलक्कस और कोरलस	–	–	–	3,00,000 टुकड़े ट्रोक्स और टर्बो प्रजातियों के, 2500 कि.ग्रा. टुबीपोरा म्युसीका ओर प्रतिबंधित समुद्री उत्पादों की 143 बोरियां
19.	ग्रीन फिन्च और ब्लैक हेडेड मुनिया	–	8300	–	
20.	एलेक्जेन्ड्रिन पैराकीट, रोज रिंग्ड पैराकीट, बलॉस्म हेडेड पैराकीट, ब्लैक हेडेड पैराकीट व्हाईट ब्रेस्टेड मुनिया, फिन्चेस, बया चिड़िया और पहाड़ी मैना	–	–	1000	

डाल्फिन को संरक्षण देना

2221. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे समय से विशेषकर असम में डाल्फिन नामक संकटापन्न जल स्तनपायी की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए और कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) अवैध शिकार, आवास-विनाश, डाल्फिन द्वारा उपयोग की जाने वाली मछलियों के अतिरेक दोहन, सिंचाई और अन्य प्रयोजनों आदि के लिए जल अपवर्तन के कारण नदी में जल की उपलब्धता कम होने की वजह से डाल्फिन की सम्पूर्ण रेंज की संख्या में गिरावट आती रही हैं।

(ग) डाल्फिनों को बढ़ाने, उसकी सुरक्षा और परिरक्षा के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं :

* नद-डाल्फिन को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है जिसके तहत इसे अधिकतम सुरक्षा प्रदान की गई है। डाल्फिन के शिकार और इसके उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध है।

* भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों की समस्त प्रजातियों और उनके उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

* डाल्फिन के व्यापार को सी आई टी ई एस (वनस्पतिजगत और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश हैं।

* राज्य सरकारों ने डाल्फिन के प्रमुख आवासों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया है। भारत सराकर द्वारा ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती खर्च, दोनों हेतु (कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त) 100% निधि प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

कार्यालय संबंधी व्यय

2222. श्री रामदास आठवले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में प्रचार विज्ञापन, आतिथ्य, खानपान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेशी यात्राओं सहित), एस.टी.डी. और आई.एस.टी.डी. टेलीफोन बिलों बिजली बिलों विशेषकर एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिलों जैसे विभिन्न व्यय शीर्षों के अन्तर्गत कितना खर्चा किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इन शीर्षों के अन्तर्गत किए जा रहे खर्च में कटौती करने के लिए कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पथकर का संग्रहण

2223. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने राजमार्गों से संग्रहित किए जाने वाले पथकर के संबंध में सलाह देने हेतु एक विदेशी परामर्शदाता की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पथकर की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अपनाने जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक सलाहकार समिति की बैठक

2224. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सलाहकार समिति की 13 जुलाई, 2002 को बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर रखी गई कतिपय विकास बाधाओं सहित सरकार की विनियामक प्रक्रियाओं को स्वच्छ बनाने के लिए किए गए वायदे पर कोई जोर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्तमान विनियामक प्रक्रिया की एक व्यापक समीक्षा शुरू की गई हैं। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, सचिव औद्योगिक नीति एवं संवर्धन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सरकारी कार्य दल की स्थापना परियोजनाओं के निवेश अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए वर्तमान प्रक्रिया की जांच करना और सार्वजनिक तथा निजी दोनों निवेशों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और शीघ्र निपटाने के लिए उपाय सुझाने के लिए की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

* पर्यावरणीय मंजूरी के उद्देश्य से नयी परियोजनाओ के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है।

* जन सुनवाई को 60 दिन की समय सीमा में अनिवार्य रूप में पूरा किया जाना।

* अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा उद्योगों इत्यादि के क्षेत्र में गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को अनुमति दी गई है।

* वानिकी मंजूरी के लिए प्रस्तावों के संबंध में मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाना।

बाल श्रम

2225. श्री के. येरननायडू : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रम को रोकने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाल श्रम को समाप्त करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों की सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में समस्या की गंभीरता का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभ के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एन.सी.एल.पी.) और स्वंयसेवी संगठनों को सहायता अनुदान नामक दो योजनाएं चला रही है। एन.सी.एल.पी. के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलाप अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, छात्रवृत्ति इत्यादि के माध्यम से कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए अधिकांशत: गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेष स्कूल/केन्द्र चलाना है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत बाल श्रम के पुनर्वास हेतु परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सीधे सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) देश में बाल श्रम पर प्रामाणिक सूचना दसवर्षीय जनगणना के माध्यम से तैयार की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। 2001 की जनगणना के आंकड़ें प्रकाशित नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण

2226. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजमार्ग इंजीनियरों को अधिकार प्रदान करके और राजमार्ग न्यायाधिकरण स्थापित करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण रोकने तथा भीड़भाड़ समाप्त करने के लिए कोई विधान लाने को प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस विधान के कब तक लाये जाने की संभावना है; और

(ग) राजमार्गों को सुचारू रूप से चलाने में इसके किस हद तक सहायक होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) इस विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में पेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रस्तावित विधान में राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जे को रोकने और उन्हें हटाने, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पहुंच स्तरों को नियंत्रित करने, यातायात के विनियमन तथा सार्वजनिक सुविधाओं आदि के लिए सड़क भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए राजमार्ग विभाग में सक्षम प्राधिकारी हेतु शक्तियों का प्रावधान है।

अनुसंधान और विकास के लिए बजटीय आबंटन

2227. श्री रघुनाथ झा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि मंत्रालय के बजटीय संसाधन से 50 प्रतिशत आबंटन और अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए निर्धारित हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी एफ टी आर आई) अकेला ऐसा संस्थान है जो खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में अनुसंधान कराता है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान और विकास का दायरा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत, अनुसंधान और विकास के वास्ते वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम भी अनुसंधान संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य और केंद्रीय संगठनों, संयुक्त क्षेत्र और सहायता प्राप्त क्षेत्र के संस्थानों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण में अनुसधान और विकास का काम कर रहे निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए भी खुली है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 और 29 पर पुल का निर्माण

2228. योगी आदित्यनाथ : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 और 29 पर किन स्थानों पर स्थायी पुल का निर्माण विचाराधीन है;

(ख) इसका कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके पश्चात् उक्त राजमार्गों पर किन स्थानों पर पुलों का निर्माण किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 पर निम्नलिखित पुल वार्षिक योजना 2002-03 में शामिल किए गए हैं:

(1) 188 कि.मी. में तेलगागरा पुल

(2) 189 कि.मी. में बेश्वा पुल

(3) 191 कि.मी. में पिपरी पुल

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 को चार लेन का बनाने की परिकल्पना है। गोरखपुर बाइपास के लिए परियोजना तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है जिसमें राप्ती नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण शामिल होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के शेष खंड के लिए परियोजना तैयार करने का कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ख) इस स्तर पर पुलों के पूरे होने की तारीखें बता पाना संभव नहीं हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर 188 कि.मी. में अमी पुल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर 44 कि.मी. में एक छोटा पुल पूरा किया गया है।

[अनुवाद]

पुनर्नियोजन

2229. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे लोगों के पुनर्नियोजन का कोई प्रस्ताव है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के कारण बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विस्थापित कामगारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों को कब तक धनराशि जारी कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण हो सकता है कि पुराने प्रकार के उद्यमों में गिरती हुई कार्यकुशलता के कारण रोजगार अवसरों में कुछ गिरावट आई हो। पर वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं आदि जैसे अनेक नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है।

1992-93 से 1998-99 की अवधि के दौरान 2627.83 करोड़ रु. की धनराशि का अंतरण राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एनआरएफ) सार्वजनिक लेखा में किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण निधि के तहत 2616.41 करोड़ रु. का व्यय किया गया। संगठित क्षेत्र के छंटनीशुदा कामगारों को परामर्श/पुन: प्रशिक्षण/

पुनर्नियोजन योजना तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि का दिनांक 12.7.2000 की अधिसूचना के तहत उन्मूलन कर दिया गया है। फिर भी राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अधीन कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओ को बजटीय सहायता देना जारी है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को अब बजटीय सहायता प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई जा रही है तथा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के पुन: प्रशिक्षण/पुनर्वास संबंधी योजना सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 1.4.2001 से कार्यान्वित की जा रही है।

महाराष्ट्र में कृषि विकास

2230. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कृषि विकास संबंधी कतिपय योजनाओ को केन्द्र सरकार के पास उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा महाराष्ट्र सरकार से चल रही केंद्रीय क्षेत्र की/केंद्रीय प्रोयोजित स्कीमों के अलावा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा महिलाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

2231. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन वी टी आई) द्वारा महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर झारखंड और बिहार में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) नोएडा स्थित राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई), कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलैक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डैस्क टॉप पब्लिशिंग, वास्तुविदीय नक्शानवीसी, परिधान निर्माण, सचिवालय, पद्धति इत्यादि जैसे व्यवसायों में बुनियादी तथा गहन कौशल पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह शिक्षण के सिद्धांत (अनुदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) तथा व्यापार सेवाओं जैसे गहन-पश्च पाठ्यक्रमों में भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। उपर्युक्त व्यवसय में अल्पावधि पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(ग) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के महिला विंगो तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था है।

विवरण

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज), सामान्य/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के महिला विंगों तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं हेतु सीटों का आबंटन निम्नलिखित है :

(आकड़े नवम्बर 2001 के अनुसार)

क्षेत्र	कुल सीटें
1	2
दिल्ली (अ)	2712
हिमाचल प्रदेश	784
राजस्थान	916
चंडीगढ़	320
उत्तर प्रदेश (अ)	4672
उत्तरांचल (अ)	608
हरियाणा (अ)	2536
पंजाब	6018
जम्मू-कश्मीर	672

1	2
कर्नाटक	2252
केरल	1784
तमिलनाडु	2182
आंध्र प्रदेश (अ)	3880
पांडिचेरी	280
नागालैण्ड	96
मेघालय	100
पश्चिम बंगाल	604
उड़ीसा	1872
असम (अ)	336
बिहार	432
झारखण्ड (अ)	416
मणिपुर	48
त्रिपुरा	84
गुजरात	2390
मध्य प्रदेश	2656
महाराष्ट्र	9360
कुल योग	48,010

(अ) अनंतिम आंकड़े

औद्योगिक इकाइयां बंद होना

2232. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितनी औद्योगिक इकाईयां बंद पड़ी है;

(ख) इन औद्योगिक इकाईयों के बंद होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए और कितने श्रम-दिवसों की हानि हुई और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्पादन की कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इन इकाईयों को पुन: चालू करने और इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 और 2002 (जनवरी-मई) के दौरान बन्दी की संख्या के संबंध में राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं। वित्तीय अभाव, मांग में कमी और कच्चे माल की कमी बन्दी के मुख्य कारण हैं।

(ग) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान बन्दी से प्रभावित कामगारों की संख्या क्रमश: 15707, 11904 और 11017 है। एक बार स्थायी बन्दी हो जाती है तो नष्ट हुए श्रम दिवसों और उत्पादन क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सामान्यत: बंदी, इकाइयों के पुनरूज्जीवन/पुनर्वास के सभी विकल्पों की संभावनाओं का पता लगाने के बाद ही की जाती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत ऐसी बन्दी से प्रभावित कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के यौक्तिकृत कामगारों को सलाह, पुन: प्रशिक्षण और पुन: तैनाती के लिए वर्ष 2001-02 में एक स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें यौक्तिकृत कर्मचारियों के स्व: नियोजन पर बल दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001 और 2002 (जनवरी-मई) के दौरान हुई राज्यवार बन्दियों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001 (अ)	2002 (जन.-मई) (अ)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
अरूणाचल प्रदेश		उ.न.
असम		उ.न.
बिहार		उ.न.
गोवा	7	
गुजरात	41	9
हरियाणा	1	1

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	5	1
जम्मू-कश्मीर		
कर्नाटक	7	4
केरल	9	3
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		1
मणिपुर		
मेघालय		
मिजोरम		उ.न.
नागालैंड		उ.न.
उड़ीसा	2	1
पंजाब	1	
राजस्थान	1	1
सिक्किम		उ.न.
तमिलनाडु	7	
त्रिपुरा	7	1
उत्तर प्रदेश	39	उ.न.
पश्चिमी बंगाल		उ.न.
अंदमान और निकोबार द्वीप		
चंड़ीगढ़	10	1
दादरा और नागर हवेली		
दिल्ली		1
दमण और द्वीव		
लक्षद्वीप		
पांडिचेरी	6	1
कुल योग	143	25

-- = शून्य
अ. = अनन्तिम
उ.न. - उपलब्ध नहीं

पूर्वोत्तर के लिए राजसहायता प्राप्त हेलीकॉप्टर सेवा

2233. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी की खराब समस्या को हल करने के लिए राजसहायता प्राप्त हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत किन-किन राज्यों को शामिल किया जायेगा; और

(ग) दी जाने वाली राजसहायता का प्रतिशत क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा मेघालय में हेलीकॉप्टर सेवा प्रचालन कर रहा हैं। इसके अलावा, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. के एक डॉफिन हेलीकॉप्टर को भी गृह मंत्रालय द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की आवाजाही के लिए अक्तूबर से मई माह तक प्रत्येक वर्ष गुवाहाटी में प्रचालन के लिए लगाया जाता है। हाल ही में, सरकार ने भी त्रिपुरा राज्य में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. द्वारा हेलीकॉप्टर की प्रचालन सेवाएं अनुमोदित की हैं। सरकार ने इन पूर्वोत्तर राज्यों में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. द्वारा हेलीकॉप्टर प्रचालन सेवाओं के लिए 7% सब्सिडी मुहैया करने की सहमति दे दी है।

गुजरात में और विमानपत्तन

2234. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के राजनीतिक संगठनों तथा सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने गुजरात में और विमानपत्तन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) गुजरात में और अधिक हवाई अड्डे बनाने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की वार्षिक कार्य योजना

2235. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) को प्रदूषण नियंत्रण करने हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार को किन-किन राज्यों ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्यवार कितना धन वितरित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस वर्ष मार्च में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वर्ष 2002-2003 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए लिखा जिसमें वर्ष के दौरान प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यकलापों के साथ-साथ प्रत्येक कार्यकलाप के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विशेष उल्लेख किया गया हो। कार्य योजनाओं में निम्नलिखित को शामिल करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :

* औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
* क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना
* प्रयोगशाला प्रबंधन

गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से ये कार्य योजनाएं प्राप्त हो गई हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई निधियां सलंग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियां

(रुपयों में)

राज्य/संघशासित प्रदेश	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	68026775	516680	11804525
अरूणाचल प्रदेश	875000	0	100000
असम	387880	101757	386613
बिहार	260530	39912073	2711625
चंडीगढ़	0	27778	5556
दिल्ली	13500000	8150000	725892000
गोवा	74360	0	181120

1	2	3	4
गुजरात	172103540	51457830	110406460
हरियाणा	148278715	69798285	230016667
हिमाचल प्रदेश	119545	1217818	208127
जम्मू व कश्मीर	1000000	0	500000
कर्नाटक	43911095	32411785	3159265
केरल	487500	1217110	1590287
लक्षद्वीप	15100	8940	9290
मध्य प्रदेश	115365125	71902587	815995
महाराष्ट्र	25913515	122024031	300420000
मेघालय	1233100	2502500	3499583
मणिपुर	1006730	520440	31850
मिजोरम	800000	0	0
नागालैंड	1335000	897400	0
उड़ीसा	801160	9117337	30698194
पंजाब	129774130	66703610	157136435
पांडिचेरी	45840	791675	38568
राजस्थान	5170304	1075893	979677
सिक्किम	800000	860400	0
तमिलनाडु	108187335	291055438	745469745
त्रिपुरा	852020	59020	13880
उत्तर प्रदेश	798966785	591791624	825253675
पश्चिम बंगाल	40000000	15000000	50094820

यात्री सेवा शुल्क संग्रहण

2236. श्री रामजी मांझी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइनें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से यात्री सेवा शुल्क (पी.एस.एफ.) का संग्रहण करती है और प्रति व्यक्ति 1 रुपया संग्रहण प्रभार काटने के पश्चात् शेष राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विमान सेवाओं से पी.एस.एफ, के जरिये कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और आज की तिथि के अनुसार एयरलाइनों के कुल कितनी पी.एस.एफ. की राशि देय हैं; और

(ग) ब्याज सहित देय राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एयरलाइनों से 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में क्रमश: 121.82 करोड़ रु., 138.55 करोड़ रु. और 374.71 करोड़ रु. की यात्री सेवा शुल्क (पी.एस.एफ.) प्राप्त हुए। सभी प्रचालक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नियमित रूप से यात्री सेवा शुल्क का भुगतान करते हैं।

नए पेड़ लगाना

2237. श्री वाई.वी. राव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जा रहा हैं:

(ख) यदि हां, तो क्या सड़कों को चौड़ा करने के क्रम में सड़कों के दोनों ओर नए पेड़ लगाये बिना पेड़ों की कटाई की जा रही हैं:

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि इससे विशेषकर राजमार्गों पर भारी प्रदूषण संकट होने की संभावना हैं: और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंड़ों को चौड़ा किया जा रहा हैं।

(ख) मे (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने तथा सुधार करने के दौरान विद्यमान वृक्षों को यथा संभव बचाया जाता है। जहां कहीं विद्यमान वृक्षों को हटाना अपरिहार्य होता है, सरकार की नीति के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षो की दुगनी संख्या के बराबर वृक्षारोपण किया जाता हैं।

राष्ट्रीय परिवहन नीति

2238. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक वर्ष के अंदर एक राष्ट्रीय परिवहन नीति को तैयार करने और शहरी परिवहन अधिनियम बनाने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नवीन परिवहन नीति समाज के सभी वर्गों को औचित्यपूर्ण गति से समुचित एवं सस्ती गतिशीलता प्रदान करने में सहायक होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शहरी परिवहन परियोजनाओ का वित्त पोषण करने हेतु संसाधन जुटाने का क्रियाविधि के रूप में विधायी सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ङ) भारत सरकार के अनेक मंत्रालय/एजेंसियां जैसे रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन, नागर विमान तथा शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय पविहन के विभिन्न खंड़ों के लिए जिम्मेदार हैं। योजना आयोग द्वारा अक्टूबर, 2001 में एक एकीकृत परिवहन नीति दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें परिवहन के विभिन्न साधनों से संबंधित व्यापक नीतिगत मुद्दे शामिल हैं। इनमें विस्तार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयम, मूल्य निर्धारण और वित्तपोषण, ऊर्जा और पर्यावरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, नियामक रूपरेखा और संगठनात्मक ढांचा शामिल हैं। इस दस्तावेज में उल्लिखित परिवहन नीति संबंधी प्रस्ताव एक व्यापक दिशा दर्शाता है जिसमें प्रत्येक साधन के संबंध में नीति तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक साधन के लिए विस्तृत नियोजित लक्ष्य और प्राथमिकताएं परवर्ती योजना दस्तावेजों में निर्धारित की जानी है।

एकीकृत परिवहन नीति का उद्देश्य एक व्यवस्था बना कर परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करना हैं जिसमें परिवहन के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक होंगे, उनमें समुचित परस्पर मिलन बिंदु होंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक साधन दक्षतापूर्वक कार्य करे। आवश्यकतानुसार एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी होगा।

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय जो शहरी परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ने सूचित किया है कि शहरी परिवहन के लिए एक व्यापक विधान पर सहमति है और शहरी परिवहन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त संसाधन अर्जन तंत्र तैयार किया जाना है। मंत्रालय ने कोई समय सीमा नहीं बताई है।

बाल-श्रमिकों का पुनर्वास

2239. श्री सी.के. जाफर शरीफ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों का पुनर्वास करने और उन्हें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए राज्यों में कुछ गरीबी उपशमन कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की सफलता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जिनमें ये कार्यक्रम चल रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में मजदूरी रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) और स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना (एस जी एस वाई) चला रहा हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एन सी एल पी) केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसका पूरा वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और यह देश के 100 जिलों में क्रियान्वित की जा रही हैं। 9वीं योजना के लिए इस स्कीम हेतु कुल परिव्यय 249.60 करोड़ रुपये था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पांच जिलों अर्थात् मिर्जापुर तथा फिरोजाबाद (उ.प्र.), जयपुर (राजस्थान) तथा विरूधुनगर और कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में एन सी एल पी सोसाइटियों के माध्यम से वर्ष 2000 से एकीकृत क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाएं चला रहा हैं। जून, 2002 तक इस पर 5.29 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2240. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं;

(ख) इस क्षेत्र में किसी लक्ष्य को निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में उदार आश्वस्त और सुगम वित्तपोषण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों शामिल हैं इसलिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय या भौतिक लक्ष्य विशेष निर्धारित नहीं किए गए हैं। वैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता देता है।

(ग) और (घ) बैंक ऋण के वास्ते प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया हैं। अल्कोहल और बीयर तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर कतिपय शर्तों के अधीन अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को स्वत: अनुमोदन प्राप्त हैं।

पेरेन्ट लेबल ब्रीडिंग स्टॉक का आयात

2241. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुक्कुट पालन उद्योग में पेरेन्ट लेबल ब्रीडिंग स्टॉक के आयात के मुद्दे पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) मौजूदा आयात नीति के अनुसार, जनक स्तर के प्रजनन स्टॉक का आयात प्रतिबंधित सूची में है। मौजूदा नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनक स्तर के प्रजनन स्टाक का आयात प्रतिबंधित है और इसकी अनुमति देश के भीतर बेहतर चूजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से रखे गए स्टाक के निष्पादन का परीक्षण करने के लिए मूल जनक स्टाक रखने वाले कुक्कुट संगठनों को एक बार दी जाती है।

चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयां

2242. श्री आर. एल. जालप्पा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्नाटक सहित राज्य-वार कितनी चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाईयां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करने के लिए विश्वेश्वरैया औद्यौगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बैंगलौर को और चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाईयां प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) कर्नाटक सहित देश में 22 चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयां काम कर रही हैं। राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। कर्नाटक राज्य में पहले ही तीन चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयां काम कर रही हैं।

विवरण

राज्य	स्थान	चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	तिरूपति	1
असम	गुवाहाटी	1
बिहार	पटना	1
दिल्ली	दिल्ली	1
गोवा	गोवा	1
गुजरात	धरमपुर	1
हरियाणा	कुरूक्षेत्र	1
कर्नाटक	बेंगलूर	2
कर्नाटक	गुलबर्गा	1
केरल	कालीकट	1
मध्य प्रदेश	भोपाल	1
महाराष्ट्र	मुंबई	1
महाराष्ट्र	नागपुर	1
उड़ीसा	भुवनेश्वर	1
उड़ीसा	धेनकनाल	1
तमिलनाडु	तिरूनलवेली	1
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1
पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	1
पश्चिम बंगाल	बर्धमान	1
पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	1
	योग	22

[हिन्दी]

बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

2243. श्री वाई. जी. महाजन:
श्रीमती जसकौर मीणा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं उसका निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। निर्माण का लक्ष्य निधियों की उपलब्धता सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल, 30 जुलाई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 30 जुलाई, 2002/8 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।